उत्तर प्रदेश में शिक्षा की प्रगति

सामान्य शिक्षा

1984-85

शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

इलाहाबाद

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Aministration
17-B,Sri Aurbindo Marg,New Delhi-110016
DOC. No.....
Date.....

विषय-सूची

अध्याय संख्या शीर्षक		पृष्ठ संख्या
1	सामान्य पर्यवेक्षण	1–4
2	प्राथमिक शिक्षा	5–6
3	पूर्व माध्यमिक शिक्षा	7
4	माध्यमिक शिक्षा	8–11
5	उच्च शिक्षा	12–14
6	अध्यापक प्रशिक्षण	15–18
7	प्रौढ़ शिक्षा	19–22
8	अनौपचारिक शिक्षा	23–25
9	राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् उत्तर प्रदेश ..	26–40
10	पुनर्व्यवस्था योजना	41–42
11	बालाहार एवं पोष्टाहार योजना	43
12	पुस्तकालय	44–45
13	पत्राचार शिक्षा संस्था, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद	46
14	दक्षिणी भारतीय भाषाओं का शिक्षण	47
15	संस्कृत शिक्षा	48
16	अरबी तथा फारसी शिक्षा	49
17	उर्दू शिक्षा	50–53
18	अनौपचारिक शिक्षा के लक्ष्य एवं नामांकन के आंकड़े ..	54–69

सारणियों की सूची

1	शिक्षा के लिए निर्दिष्ट बजट	71
2	शिक्षा के विभिन्न शीर्षकों के लिये बजट	72–73
3	प्रबन्धानुसार शिक्षा संस्थाएं (सामान्य शिक्षा)	74
4	विभिन्न प्रकार के मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाएं (प्रथम तीन स्तर) ..	75
5	विभिन्न प्रकार की सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थायें (अंतिम दो स्तर) ..	76
6	संख्यानुसार छात्रों की संख्या	77–78
7	संस्थानुसार अध्यपकों की संख्या	79–80
8	स्तरानुसार छात्रों की संख्या	81
9	माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं के लिये मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या	82
10	हाई स्कूल परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या	83

शीर्षक

अध्याय संख्या		पृष्ठ संख्या
11—इण्टरमीडिएट परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या	..	84
12—संस्कृत पाठशालाओं की संख्या और राजकीय सहायता	..	85
13—अरेबिक मदरसों की संख्या और राजकीय सहायता	..	86
14—प्रशिक्षण संस्थान तथा सम्बद्ध प्रशिक्षण संस्थाएं	..	87
15—प्रशिक्षण संस्थाएं तथा सम्बद्ध प्रशिक्षण कक्षाएं (छात्र संख्या)	..	88–89
16—प्रशिक्षण संस्थाएं एवं सम्बद्ध प्रशिक्षण कक्षाएं उत्तीर्ण होने वाले छात्राध्यापकों और छात्र अध्यापिकाओं की संख्या	.. ..	90
17—रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं एवं सचिव माध्यमिक परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं का तीन वर्ष का परीक्षाफल	.. ..	91–93
18—जिलेवार 1981 की जनसंख्या साक्षरता का प्रतिशत तथा 30 सितम्बर 1984 को विद्यालयों की संख्या	.. ..	94–99
19—30 सितम्बर 1984 को जिलेवार संस्थानुसार छात्र संख्या		100–105
20—30 सितम्बर 1984 को जिलेवार संस्थानुसार अध्यापक संख्या	..	106–110
21—जिलेवार महाविद्यालय, छात्र संख्या एवं अध्यापक संख्या (30 सितम्बर 1984 की स्थिति के अनुसार)	.. ..	111–113
22—(अ) केन्द्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1984–85 में संचालित प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का विवरण (माह दिसम्बर, 1984)	..	114–118
(ब) राज्य कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1984–85 में संचालित प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का विवरण (माह दिसम्बर 1984)		118–119
23–अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम	.. .. ..	120–125

संलग्न ग्राफों की सूची	पृष्ठ के समक्ष
उ0 प्र0 के स्कूल तथा कालेजों में छात्र–संख्या	2
जूनियर बेसिक विद्यालय	4
सीनियर बेसिक विद्यालय	6
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	10
उ0 प्र0 में प्रौढ़ शिक्षा के पंजीयन की प्रगति (31–12–84)	20
उ0प्र0 में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की वर्षवार प्रगति (31–12–84)	22

अध्याय–1

सामान्य पर्यवेक्षण

शिक्षा के प्रचलित अर्थ हैं पढ़ना–लिखना–गिनना, जान जाना, तोता–रटायी कर परीक्षा पास कर लेना, सूचनाएं एकत्र कर लेना कुछपाठों को सीख लेनाऔर कंठस्थ कर लेना,डिग्रियां प्राप्त कर लेना, कोराज्ञानार्जन, कुछ कौशलों में दक्षताएवं मात्र अनुभव आदि प्राप्त कर लेना। पढ़ना–लिखना–गिनना जानना साक्षर होना है। साक्षर होना और शिक्षित होने में महान अन्तर है। शिक्षा एक प्रक्रिया है। इसमें विकास की प्रक्रिया, सुविचार 'प्रक्रिया सोद्देश्य प्रक्रिया, गतिशील प्रक्रिया, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया, त्रिमुखी प्रक्रिया, संश्लिष्ट विकास की प्रक्रिया, आयोजित सुधारात्मक प्रक्रिया सम्मिलित है। शिक्षा सुविचार प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति की अपनी और समाज की उन्नति के लिये उसमें सुधारात्मक परिवर्तन होता है। अन्तर्निहित शक्तियों को प्रकाश में लाना, उनको विकसित करना और उचित दिशा में मोड़कर व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना शिक्षा है।

राष्ट्रीय शैक्षिक सिद्धान्तों के आधार के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा पद्धति के रूपान्तरण सामायिक परिवर्तन और उच्च सुधार के निमित्त व्यापक एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम बनाये और अपनाये गये हैं। प्रदेश की जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में ही सीमित संसाधनों के अन्तर्गत क्रमिक रूप से शैक्षिक प्रगति, तथा शिक्षा की विषय वस्तुओं में परिवर्तन परिवर्धन अध्यापन की उन्नत पद्धतियों की ग्राह्यता, परीक्षा प्रणाली में सुधार और उसका स्तरोन्नयन, पाठ्य-पुस्तक अध्ययन अध्यापन और प्रशिक्षण में सुधार हेतु सतत उत्कृष्ट प्रयत्न किये जाते रहे हैं और आगे के लिये भी जारी हैं।

2,94,000 वर्ग किलोमीटर के विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए इस उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 11,08,86,000 हैं, जिसके आधार पर इसे देश के विशालतम् प्रदेश होने का गौरव प्राप्त है शिक्षा जगत की व्यवस्था के अनुरूप कार्य संपादन में सुविधा की दृष्टि से इस प्रदेश को 12मण्डलों में विभक्त किया गया है। हर मण्डल के शैक्षिक कार्य एवं प्रशासन के संचालन के निमित्त एक उप शिक्षा निदेशक का कार्यालय है। इसी प्रकार बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था हेतु प्रत्येक मण्डल में 12 मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं के कार्यालय व्यवस्थित हैं। प्रदेश में 56 जनपदों में भी जनपदीय स्तर पर शैक्षिक नियंत्रण एवं व्यवस्था के लिए एक-एक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की व्यवस्था है। इसी व्यवस्था के अनुरूप जूनियर स्तर की शैक्षिक व्यवस्था एवं नियंत्रण के निमित्त सभी 56 जनपदों में एक-एक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की भी स्थापना हुई है।

सम्पूर्ण प्रदेश का विभाजन 895 विकास खण्डों में हुआ है, जिसमें 1,12,561 ग्राम बसे हैं। प्रदेश की साक्षरता, सन् 1981 की जनगणनानुसार 27.40 प्रतिशत है।

प्रमुख शैक्षिक स्तरों पर प्रदेश की नीतियां एवं कार्य-नीतियां निम्नवत् हैं––

प्राथमिक शिक्षा––

(1) प्रदेश के 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। इसके निमित प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के कार्यक्रम को सर्वाधिक

वरीयता दी जाती है । साथ ही शिक्षा के वार्षिक बजट का अधिकांश इस महत्वपूर्ण कार्य पर व्यय किया जाता है ।

(2) ह्रास एवं अवरोध को कम करने के कारगर उपाय किये जाने हेतु वर्तमान में पूर्ववर्ती कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावोत्पादक एवं उपयोगी बनाना, तथा विद्यालयों की धारण क्षमता में वृद्धि करना ।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के बालकों एवं बालिकाओं को विद्यालयों में प्रविष्ट कराने पर विशेष बल दिया जाना ।

(4) समाज के निर्बल वर्ग के शिक्षार्थियों के लिये निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, पोशाक मध्यान्ह अल्पहार तथा छात्रवृत्तियों की अधिकाधिक व्यवस्था करना ।

(5) प्राथमिक शिक्षा के परिवेश के सुधार हेतु नये भवनों की व्यवस्था और पुराने भवनों के रख-रखाव तथा उनमें आवश्यक उपकरणों एवं शैक्षिक उपकरणों की व्यवस्था करना ।

(6) गत सर्वेक्षण के आधार पर वरीयता-क्रम में नये विद्यालयों का खोला जाना ।

अनौपचारिक शिक्षा--

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा-योजना को लागू किया गया है । इस योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन का उद्देश्य यह है कि 6-14 वय वर्ग के ऐसे उन बालक एवं बालिकाओं को शिक्षित बनाना, जो कभी किसी सामान्य प्राइमरी पाठशालाओं में अध्ययन हेतु नहीं गये या जिन्होंने किन्हीं अपरिहार्य आर्थिक अथवा सामाजिक अन्य किन्हीं कारणों वश अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं की अथवा बीच ही में जिनकी पढ़ाई बन्द हो गई । इस योजना के अन्तर्गत ऐसे अशिक्षित अथवा अर्धशिक्षित बच्चों को शिक्षा एवं अध्ययन की मुख्य धारा में शामिल किया जा रहा है ।

गुणात्मक सुधार--

प्रारम्भिक शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिये पाठ्यक्रमों में संशोधन करना, जैसे उदाहरणार्थ शिक्षा को पर्यावरण से जोड़ना, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य का पाठ्यक्रम में समावेश करना तथा ऐसे पाठ्यक्रमों को विद्यालय के बच्चों के लिये सुसंगत बनाना ।

(2) शिक्षण तथा मूल्यांकन में गतिशील पद्धतियां अपनाना ।

(3) निर्बल वर्ग के बच्चों को शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम ।

निर्बल वर्ग के, विशेषकर, शिक्षा के प्रति उदासीन परिवारों के बच्चों को विद्यालयों में लाने के लिए निःशुल्क पुस्तकें, लेखन सामग्री, यूनीफार्म तथा बालाहार की योजनाओं का संचालन ।

माध्यमिक शिक्षा--

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में, विकास के लिये सुनियोजित नीति का अपनाया जाना तथा क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिये नये माध्यमिक विद्यालयों का मुख्य रूप से कम सेवित पिछड़े क्षेत्र में, खोला जाना ।

2--गुणात्मक सुधार कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जाना, जिनके अन्तर्गत पाठ्यक्रम को सघन बनाना, पाठ्यक्रमों का स्तर उन्नत करना, शिक्षा प्रणाली को उन्नत बनाना आदि सम्मिलित है । विद्यालयों को प्रयोगशीलता की ओर उन्मुख करने के लिये विद्यालयों में अभिनव प्रयोग की योजना का संचालन करना--

उ.प्र. के स्कूल तथा कालेजों में छात्र-संख्या

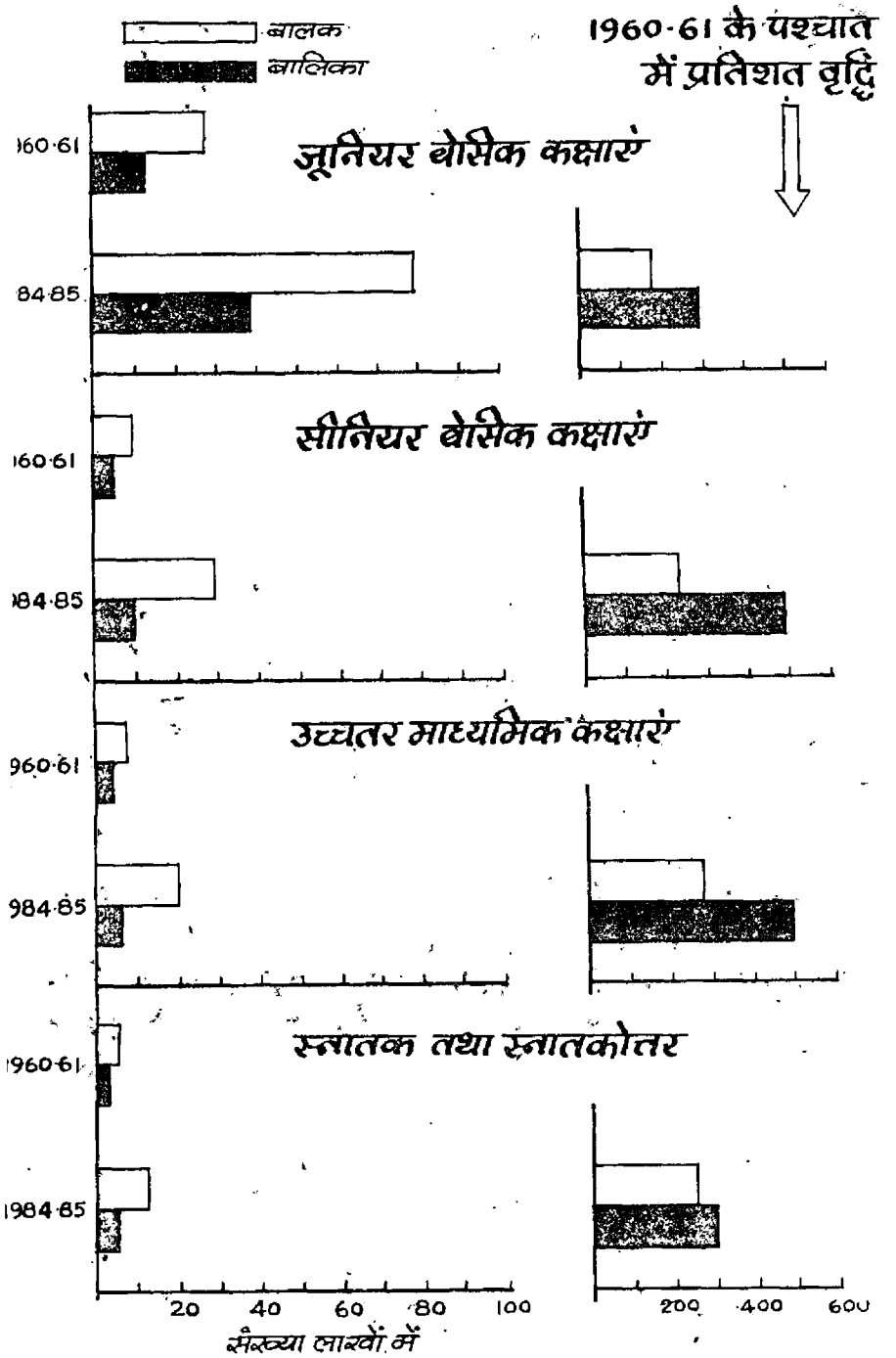

1984–85	79,000	21	आंकड़े उलब्ध नहीं हैं।

3—ऐसे व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करना जिनसे छात्रों को पर्याप्त संख्या में मध्य स्तरीय रोजगार के अवसरों की ओर लगाया जा सके। विद्यालय भवन, काष्ठोपकरण, प्रयोगशालाओं तथा साज-सज्जा की दृष्टि से विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया जाना।

4--10 वर्षीय सामान्य शिक्षा के नये रूप के संदर्भ में विज्ञान की शिक्षा का विस्तार तथा सुधार करना।

5--माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षा पद्धति के अभिनवीकरण हेतु पत्राचार संस्थान की स्थापना।

6--शैक्षिक समस्याओं के अध्ययन एवं अनुसंधान को विशिष्ट गति देने की दृष्टि से राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना।

अध्यापक प्रशिक्षण--

प्राइमरी तथा माध्यमिक स्तर की संस्थाओं के अध्यापकों की सेवा कालीन शैक्षिक सुविधाओं की विस्तृत एवं व्यापक बनाना और वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समुन्नत करना।

उच्च शिक्षा--

उच्च शिक्षा के विस्तार के स्थान पर उसके सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया जाना।

राष्ट्रीय सेवा योजना--

वर्ष 1965—70 में एन0सी0सी0 की अनिवार्यता समाप्त करके भारत सरकार द्वारा अन्य प्रदेशों के साथ-साथ इस प्रदेश के चार विश्वविद्यालयों के 2,500 फर्स्ट डिग्री स्तर के छात्रों पर राष्ट्रीय सेवा योजना लागू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों में अनुशासन की भावना जागृत करना, चरित्र निर्माण तथा छात्रों को मिलजुल कर रचनात्मक कार्यों में लगाना है। इस योजना के अन्तर्गत 7 : 5 के अनुपात में व्यय वहन करने के लिये भारत सरकार वचन बद्ध है।

योजना की उपादेयता को ध्यान में रखते हुये वर्ष 1974–75 से इसे सामान्य कार्यक्रम तथा विशेष शिविर कार्यक्रम में बांट दिया गया। प्रतिवर्ष जितने छात्र राष्ट्रीय सेवा योजना सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित किये जाते हैं उसके आधे छात्र दस दिवसीय विशेष शिवरों में भी भाग लेते हैं। इस योजना में प्रतिवर्ष छात्र संख्या में वृद्धि होती रही हैं। वर्ष 1968—70 में छात्र संख्या 2,500 के विरुद्ध वर्ष 1984–85 में विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को 78,000 छात्र संख्या सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 38,000 छात्र संख्या विशेष शिविरों के लिये आवंटित की गई थी। राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत पिछले पांच वर्षों की प्रगति निम्नवत् है :—

वर्ष	भारत सरकार द्वारा आवंटित	विश्व-विद्यालयों की संख्या	डिग्री कालेजों की संख्या	योजना के अन्तर्गत वास्तविक रूप से प्रवेश के लिये छात्र/छात्रायें		
				छात्र	छात्रायें	योग
1980–81	64,000	18	345	45,813	17,010	62,823
1981–82	70,000	18	361	47,618	20,569	68,187
1982–83	72,000	20	358	48,512	21,133	69,645
1983–84	74,000	21	355	50,013	21,493	71,506
1984–85	79,000	21	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।			

प्रौढ़ शिक्षा--

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के व्यापक संचालन में जिसके अन्तर्गत 15-35 वय वर्ग के निरक्षर व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों तथा समाज के अन्य निर्बल वर्ग के लोगों को साक्षर बनाने, उनमें चेतना जागृत करके उनकी व्यावहारिक कार्य-क्षमता के स्तर को उन्नत बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

खेलकूद एवं युवक कल्याण--

छात्र-छात्राओं को शिक्षा के साथ समुचित सामाजिकता एवं स्वस्थ नागरिकता का प्रशिक्षण देना और उनके शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाना तथा उन्हें चुस्त रखने को उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों का संचालित किया जाना। इसके अन्तर्गत छात्र/छात्राओं को खिलाड़ियों की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिये कोचिंग, विजेताओं को छात्रवृत्तियां देना, राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान विद्यालयों में पाठ्य सहगामी सांस्कृतिक कार्यक्रम, पूर्व माध्यमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में बालचर योजना का विस्तार, अपना देश अपना प्रदेश जानो आदि ; योजनायें सम्मिलित हैं। विद्यालयीय खेल कूद एवं अन्य शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों के प्रोन्नयन हेतु राज्य विद्यालयीय क्रीड़ा संस्थान फैजाबाद की स्थापना की गई।

अन्य कार्यक्रम--

बालाहार एवं पुष्टाहार--शारीरिकस्वास्थ्य एवं मानसिक दक्षता के लिये पूर्व विद्यालयीय बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं विद्यालयीय (6-11) वय वर्ग के बच्चों के लिये योजना का संचालन।

2--पुस्तकालय नीति--शिक्षा के सभी स्तरों के कार्यक्रमों को आधुनिक पुस्तकालय व्यवस्था का समर्थन प्रदान करना।

3--शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के नियोजन एवं अनुश्रवण हेतु शिविर कार्यालय लखनऊ में नियोजन अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कोष्ठक की स्थापना।

4--अध्यापकों की नियुक्तियों में निष्पक्षता की दृष्टि से माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा (दोनों ही स्तरों के लिये) सेवा-आयोगों की स्थापना।

5--हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं, जैसे-संस्कृत उर्दू आदि का समुचित विकास किया जाना तथा उनके साहित्य में अभिवृद्धि हेतु प्रोत्साहन कार्यक्रमों को संचालित किया जाना।

6--राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से कक्षा 1-12 तक की भाषा और इतिहास की पुस्तकों की समीक्षा किया जाना।

7--उत्तर प्रदेश को इनसेट परियोजना के अन्तर्गत चुन लिये जाने के कारण शैक्षिक प्रसारण कार्यक्रम के क्रियान्वयन और उसमें प्रगति हेतु शैक्षिक टेलीविजन निर्माण केन्द्र का शीघ्र ही लखनऊ नगर में स्थापित किया जाना।

उक्त नीतियों से स्पष्ट है कि देश एवं समाज की नवीनतम आवश्यकताओं और राष्ट्रीय आदर्शों के परिप्रेक्ष्य में, शिक्षा के माध्यम से, प्रदेश में, अनेक अध्याय उद्घाटित हो रहे हैं। उन्हें उत्तरोत्तर प्रगति की दिशा देने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग के सभी स्तरों पर समाज एवं राष्ट्र के बहुमुखी विकास में सहायक कार्यक्रमों का समावेश किया जा रहा है।

जूनियर बेसिक विद्यालय

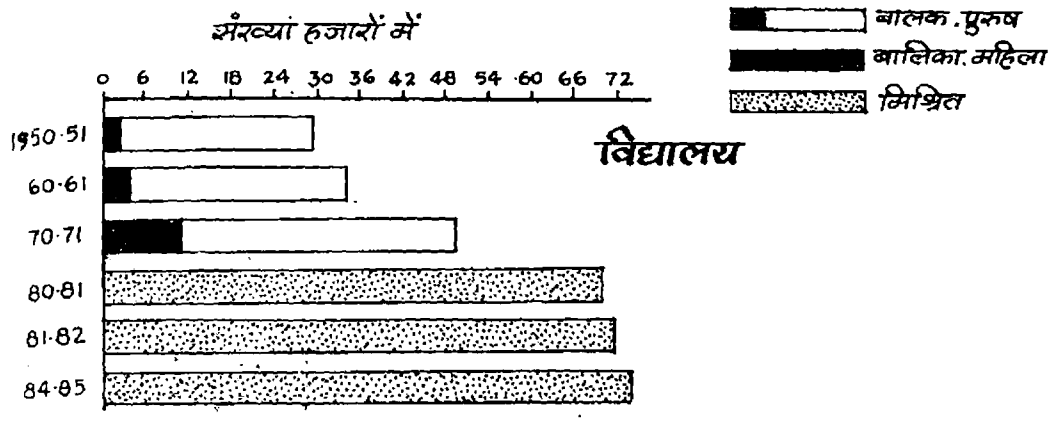

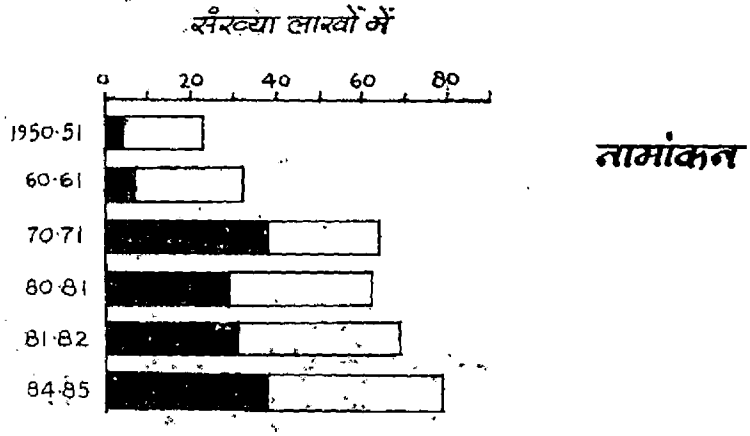

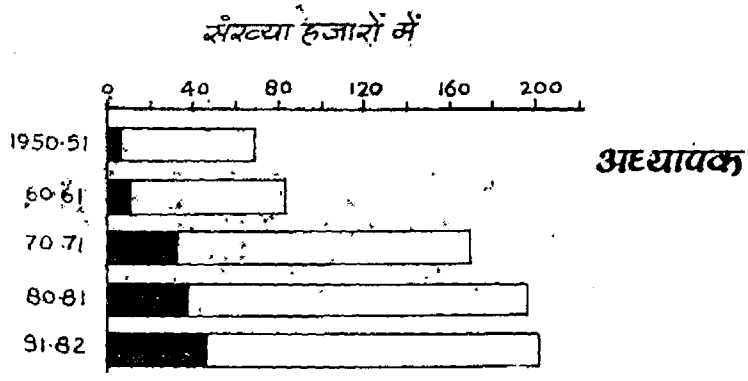

बुलन्दशहर के लिए आदेश निर्गत किया जा चुका है।

छठीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत वर्ष 1984–85 में पर्वतीय जनपदों के नगर क्षेत्रों में 23 जूनियर बेसिक स्कूलों के संचालनार्थ रु0 10,63,000 का प्रावधान निर्धारित किया जा चुका है। वर्ष 1984- 85 में कोई नवीन जू0 बे0 स्कूल खोलने का लक्ष्य निर्धारित नही है।

अध्याय–2

प्राथमिक शिक्षा

(1) पूर्व प्राथमिक (शिशु) शिक्षा--नर्सरी (शिशु) शिक्षा आयुवर्ग 3-5 के बालक-बालिकाओं को दी जाती है। अधिकांशतः पूर्व प्राथमिक (नर्सरी) शिक्षा की व्यवस्था निजी संस्थाओं द्वारा की जाती है। प्रदेश में इस समय सम्प्रति 88 नर्सरी विद्यालय चल रहे हैं। जिनमें केवल नर्सरी पद्धति की ही शिक्षा दी जाती है। ऐसे विद्यालय प्रायः नगर अथवा नगर के समीपस्थ क्षेत्रों में रहते हैं। देश-प्रदेश में ऐसी संस्थाओं की नितान्त आवश्यकता है। शिशु शिक्षा महंगी होने के कारण, शासन द्वारा स्वयं, प्रयोगात्मक रूप से, प्रशिक्षण संस्थाओं से सम्बद्ध 10 राजकीय शिक्षा केन्द्र चलाये जा रहे हैं।

पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में 11600 बालक तथा 7300 बालिकायें अध्ययनरत हैं, जिन्हें 133 पुरुष तथा 668 महिला अध्यापिकायें शिक्षा प्रदान कर रही हैं।

(2) प्राथमिक शिक्षा (जूनियर बेसिक) शैक्षिक सुविधा के विस्तार की दृष्टि से प्रदेश में संविधान के अनुच्छेद 45 में निर्दिष्ट निदेशक तत्व की पूर्ति को सर्वाधिक अग्रता दी जा रही है। माननीया स्व0 प्रधान मन्त्री ने इसकी पूर्ति पर विशेष बल दिया था, और इसे बीस सूत्री कार्यक्रम में सम्मिलित कर प्रमुखता दिलाई थी। अस्तु प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिये पर्याप्त प्रयास किये जा रहे हैं। शिक्षा की प्रत्याशित प्रगति और विकास के ध्येय से माननीय वर्तमान प्रधानमन्त्री जी के भी ऐसे संकेत हैं कि शिक्षा-प्रणाली में व्यापक परिवर्तन अनिवार्यतः आवश्यक है।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बच्चों को घर से, मैदानी क्षेत्र में 1 1/2 (डेढ़) कि0 मी0 तथा पर्वतीय क्षेत्र में एक कि0मी0 परिधि में जूनियर बेसिक स्कूल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रक्खा गया है।

(3) इस समय में प्रदेश मे 72,959 मिश्रित जूनियर बेसिक विद्यालय संचालित हैं, जिनमें से 66,156 स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं। प्रदेश के जूनियर बेसिक विद्यालयों में 1,16,08,542 छात्र/छात्रायें अध्ययनरत हैं, जिनमें 79,05,132 बालक तथा 37,03,410 बालिकायें हैं। अध्यापकों की कुल संख्या 2,54,902 है जिनमें 46,145 महिलायें हैं।

कक्षा 1-5 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की संख्या 1,17,07,354 हैं जिनमें 37,77,122 बालिकायें हैं।

मैदानी जनपदों के नगर क्षेत्रों में जू0 बे0 स्कूलों के खोलने हेतु अनुदान के निमित्त जिला योजना में 4,70,00,000 रुपये का परिव्यय/प्रावधान निर्धारित है। शासन से एक स्कूल खोलने हेतु 1,47,000 रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है। शासन द्वारा मैदानी जनपदों में से बुलन्दशहर जिले में इस स्कूल के खोलने एवं संचालित करने हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलन्दशहर के लिये आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

छठी पंचवर्षीय योजनान्तर्गत वर्ष 1984–85 में पर्वतीय जनपदों के नगर क्षेत्रों में 23 जूनियर बेसिक स्कूलों के संचालनार्थ रु0 10,63,000 का प्रावधान निर्धारित किया जा चुका है। वर्ष 1984-85 में कोई नवीन जू0 बे0 स्कूल खोलने का लक्ष्य निर्धारित नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्र में मिश्रित प्राथमिक विद्यालय खोलने की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 में मैदानी क्षेत्र में 276 तथा पर्वतीय क्षेत्र में 75 विद्यालय खोले गये हैं।

प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण में सुधार के दृष्टिकोण से वर्ष 1984-85 में रु0 300 प्रति विद्यालय की दर से पर्वतीय क्षेत्र के 400 विद्यालयों तथा मैदानी क्षेत्र में 2117 विद्यालयों के लिये विज्ञान शिक्षण सामग्री क्रय करने हेतु अनुदान स्वीकृत किया गया हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र संख्या में वृद्धि करके स्थिरता लाने हेतु बालिकाओं तथा निर्बल वर्ग के बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण की प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 में मैदानी क्षेत्र में 2,34,324 तथा पर्वतीय क्षेत्र में 23,000 छात्र/छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु 7.99 लाख रु0 की स्वीकृति की गई हैं।

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करने हेतु वर्ष 1984-85 में मैदानी क्षेत्र में 3596 तथा पर्वतीय क्षेत्र के 800 विद्यालयों को लगभग 21.90 लाख रुपये स्वीकृत किये गये है।

निर्बल वर्ग के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिये वर्ष 1984-85 में मैदानी क्षेत्र में 47,548 तथा पर्वतीय क्षेत्र में 20,000 बच्चों को निःशुल्क पोशाक देने हेतु रु0 16.89 लाख स्वीकृत किया गया है।

सीनियर बेसिक विद्यालय

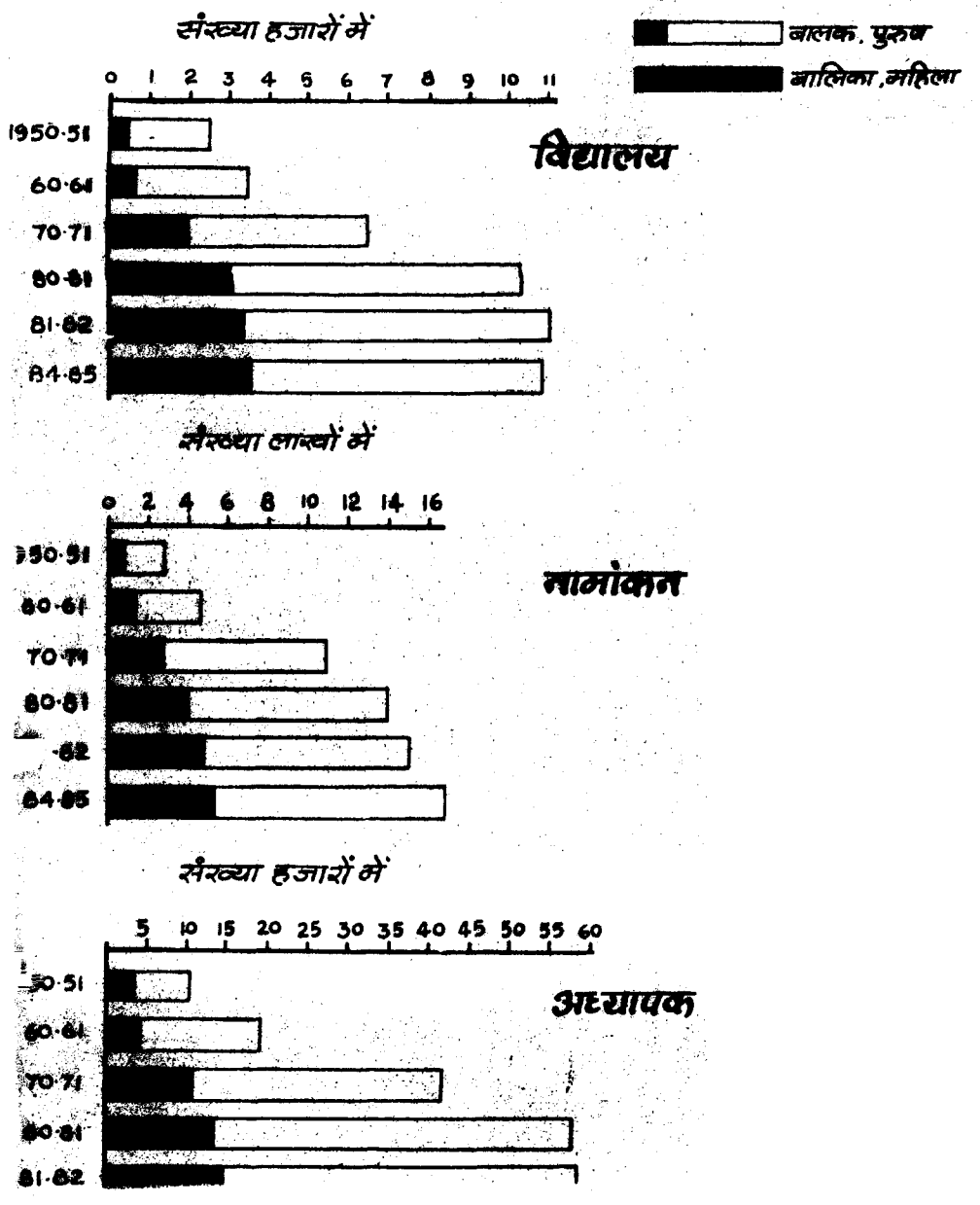

अध्याय—3

पूर्व माध्यमिक शिक्षा

इस समय प्रदेश में 11261 बालक तथा 3353 बालिकाओं के कुल 14614 सीनियर बेसिक स्कूल चल रहे है, जिनमें 12,039 ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है । कुल विद्यालयों में 21,62,558 छात्र/छात्रायें अध्ययन कर रही है, जिनमें 16,33,735 बालक तथा 5,28,823 बालिकायें है । इन विद्यालयों में अध्यापन कार्य में कार्यरत अध्यापकों/अध्यापिकाओं की संख्या 75,032 है, जिनमें 59,975 पुरुष तथा 15,057 महिलायें है ।

कक्षा 6- 8 में 37,23,772 बालक/बालिकायें अध्ययनरत है, जिनमें बालिकाओं की संख्या 8,95,132 है ।

ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 1984- 85 में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 81 सीनियर बेसिक स्कूल खोले गये । इनके अतिरिक्त पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्र में भी 19 सीनियर बेसिक विद्यालय खोले गये । जबकि पर्वतीय नगर क्षेत्रों में इस वर्ष 1984- 85 में कोई सीयनेयर बेसिक विद्यालय खोलने का लक्ष्य नहीं निर्धारित है ।

निर्बल वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्य पुस्तक बैंक स्थापित करने की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1984- 85 में पाठ्य पुस्तक बैंक स्थापित करने हेतु रु0 1.95 लाख का अनुदान स्वीकृत किया गया है और तद्नुसार मैदानी क्षेत्र में 389 पाठ्य पुस्तक बैंकों की स्थापना की गई है ।

ग्रामीण क्षेत्र के सीनियर बेसिक स्कूलों में साज-सज्जा की व्यवस्था करने हेतु वर्ष 1984- 85 में मैदानी क्षेत्र के 994 तथा पर्वतीय क्षेत्र के 300 विद्यालयों के लिये रु0 11,94,000 की धनराशि स्वीकृत की गई है ।

वर्ष 1984- 85 में मैदानी क्षेत्र के 200 तथा पर्वतीय क्षेत्र के 12 अर्थात् प्रदेश के कुल 212 स्थायी मान्यता प्राप्त अशासकीय सीनियर बेसिक स्कूलों को विभाग की अनुदान सूची में सम्मिलित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषदीय सीनियर बेसिक स्कूलों में उर्दू विषय के अध्यापन हेतु सहायक अध्यापक उर्दू के 5,000 (पांच हजार) पदों का सृजन हुआ ।

इसी प्रकार प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषदीय सीनियर बेसिक स्कूलों में ही संस्कृत विषय के अध्यापन हेतु भी 1000 (एक हजार) सहायक अध्यापक (संस्कृत) के पदों का भी सृजन हुआ ।

अध्याय—4

माध्यमिक शिक्षा

इस समय प्रदेश में 4,822 बालक तथा 832 बालिकाओं के और इस प्रकार 5654 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चल रहे है। इनमें से 3672 विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। कुल विद्यालयों में 42,21,123 बालक/बालिकायें अध्ययन कर रही है। इनमें बालकों तथा बालिकाओं की पृथक-पृथक संस्थायें क्रमशः 32,32,892 तथा 9,88,231 है। इन विद्यालयों में अध्यापन हेतु कार्यरत अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की भी संख्या क्रमशः 99,669 तथा 22,605 है। इस प्रकार छात्रों/छात्राओं की संख्या में थोड़ी वृद्धि के साथ अध्यापकों/अध्यापिकाओं की संख्या में गत वर्ष की अपेक्षा कोई वृद्धि नहीं हुई।

कक्षा 9–12 में कुल 25,58,152 छात्र/छात्रायें अध्ययन कर रही है; इनमें से बालिकाओं की संख्या 5,62,017 है।

वर्ष 1984–85 मैदानी क्षेत्र के 200 तथा पर्वतीय क्षेत्र के 10 इस प्रकार कुल 210 गैर सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विभाग की अनुदान सूची पर लिये जाने का लक्ष्य निर्धारित है।

वर्ष 1984-85 में मैदानी क्षेत्र के तथा पर्वतीय क्षेत्र के सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण हेतु क्रमशः 66 तथा 8 अर्थात् कुल 74 एवं साज-सज्जा एवं काष्ठोपकरण के लिये मैदानी क्षेत्र के 125 तथा पर्वतीय क्षेत्र के 10 अर्थात् कुल 135 विद्यालयों को अनावर्तक अनुदान स्वीकृत किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वर्ष 1984–85 में मैदानी क्षेत्र के 181 तथा पर्वतीय क्षेत्र के 14 अर्थात् प्रदेश के कुल 195 सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को पुस्तकालय सम्बर्धन अनुदान स्वीकृत किये जाने के लक्ष्य का निर्धारण है।

वर्ष 1984–85 में प्रदेश के मैदानी क्षेत्र के 30 सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अभिनव प्रयोग अनुदान की स्वीकृति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वर्ष 1984–85 में मैदानी क्षेत्र के 30 तथा पर्वतीय क्षेत्र के 18 इस प्रकार प्रदेश के कुल 48 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को उत्तम परीक्षाफल के आधार पर दक्षता अनुदान देने के भी लक्ष्य का निर्धारण है।

वर्ष 1984–85 में प्रदेश के सहायता प्राप्त ऐसे 263 अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, जिनमें विज्ञान विषय के शिक्षण की व्यवस्था नहीं है, को विज्ञान अनुदान की स्वीकृति से लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। ऐसे इन विद्यालयों में से 243 मैदानी क्षेत्र के और शेष 20 पर्वतीय क्षेत्र के है।

ग्रामीण क्षेत्र में बालिका विद्यालयों के अभाववश बालकों के ही उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं के भी अध्ययनरत होने के कारण ऐसी बालिकाओं की सुविधा की दृष्टि से वर्ष 1984–85 में प्रदेश के ऐसे 13 मैदानी एवं 5 पर्वतीय क्षेत्र के अर्थात् कुल 18 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अलग से प्रक्षालन कक्ष एवं कामन रूम के निर्माणार्थ इस वर्ष अनावर्तक अनुदान की स्वीकृति के लक्ष्य निर्धारित है।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

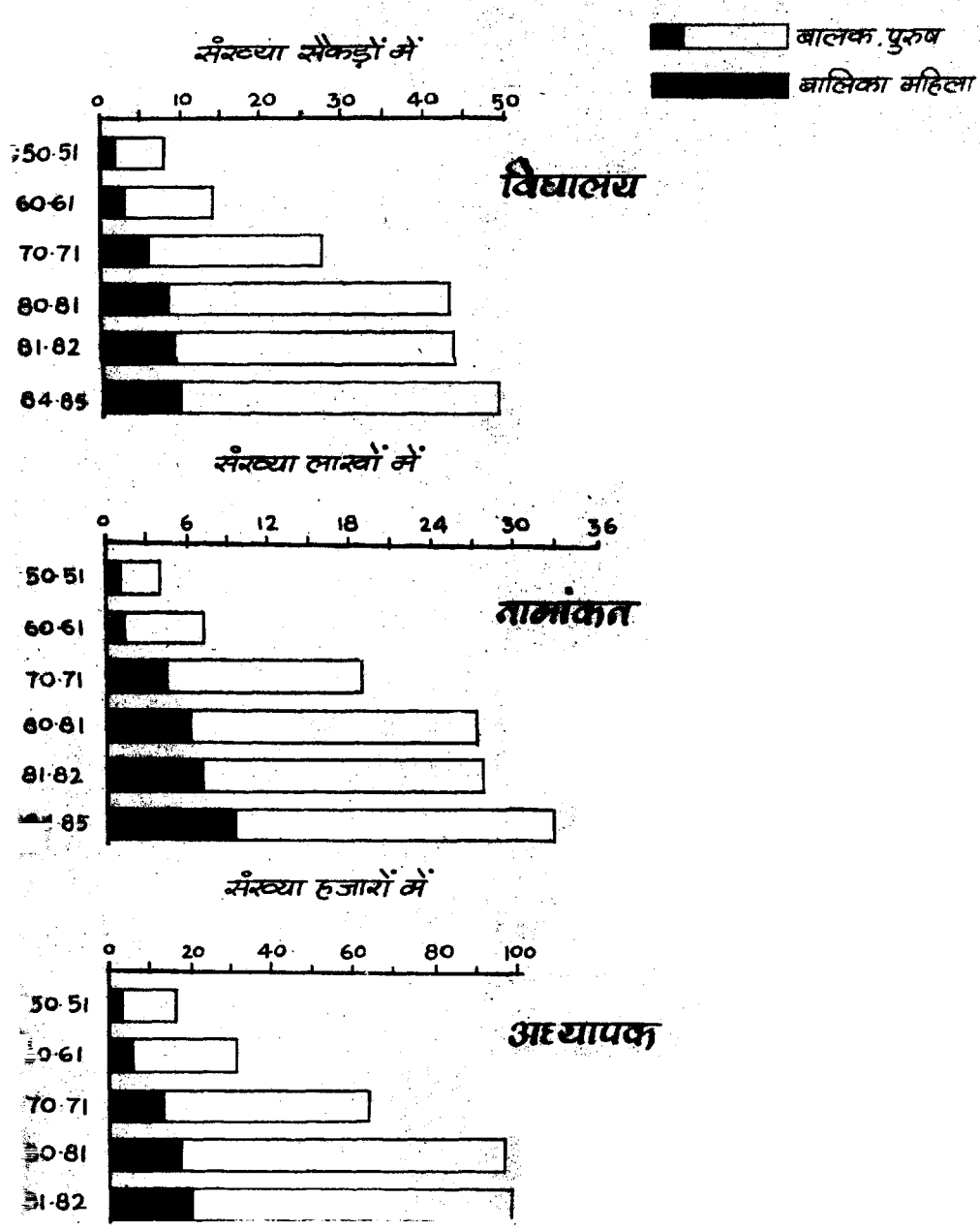

वर्ष 1984-85 में मैदानी क्षेत्र के उत्कृष्ट कोटि के से 3 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, जिनका परीक्षाफल उत्तम अनुशासन विशिष्ट रूप से अच्छा एवं जो विशिष्ट शैक्षिक कार्यक्रम युक्त रहे हैं, को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित है ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की विकेन्द्रीकरण योजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ द्वारा हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट 1984 की पूरक परीक्षाओं का आयोजन समस्त प्रदेश के लिये किया गया ।

2--1985 की परीक्षाओं से पूरक परीक्षा की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है और इसके स्थान पर व्यवस्था यह की गई है कि परीक्षा में प्रविष्ट एक परीक्षार्थी यदि केवल एक ही विषय में अनुत्तीर्ण रहे और उसे उस विषय में 25 प्रतिशत या इससे अधिक अंक मिले हों और उसके सम्पूर्ण विषयों के प्राप्तांकों का योग 40 प्रतिशत हो तो उसे अनुत्तीर्ण हुए विषय में 33 प्रतिशत तक अंक पाने के लिये आवश्यक अंक कृपांक के रूप में देकर उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा और उसे श्रेणी भी प्रदान की जायेगी ।

3--माध्यमिक शिक्षा परिषद् के शोध एवं मूल्यांकन अनुभाग द्वारा हाई स्कूल स्तर के 1985 की परीक्षा हेतु विज्ञान एक, विज्ञान दो, जीव विज्ञान तथा भूगोल विषयों के लिये तथा इण्टर भूगोल विषय में प्रति 10 प्रश्न पत्र तैयार किये गये और प्रथम 10 स्थान प्राप्त परीक्षार्थियों के उत्तरों को संकलित करके "प्रेरणा पुष्प 1982" नामक प्रकाशन प्रकाशित कराया गया । रोजगार परक शिक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वाणिज्य वर्ग के लिये नये पाठ्य-क्रमों की रूप रेखा तैयार करवाई गई है ।

4--माध्यमिक शिक्षा परिषद् विकेन्द्रीकरण योजना के अन्तर्गत शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि चतुर्थ कार्यालय सातवीं योजनाकाल में लखनऊ में स्थापित किया जाय ।

5--सातवीं योजनाकाल में माध्यमिक शिक्षा परिषद् के कार्यालय के लिये सिक्योरिटी सेल की स्थापना एवं पाठ्य पुस्तक माइक्रोफिल्मिंग शोध एवं मूल्यांकन नियोजन आदि अनुभागों के विस्तार को प्रस्तावित किया गया ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्
पाठ्यक्रम शोध एवं मूल्यांकन अनुभाग
द्वारा किये गये कार्यों का विवरण

पाठ्यक्रम शोध एवं मूल्यांकन अनुभाग की स्थापना वर्ष 1975 में इस आशय से की गई थी कि परिषद् में चल रहे हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट स्तरीय परम्परागत पाठ्यक्रमों एवं प्रश्न-पत्रों का सर्वेक्षण कर उन्हें समुन्नत कर परीक्षाफल में सुधार किया जाय ।

अनुभाग उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति में लगातार परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं में दिये गये उत्तरों के आधार पर इस बात का सर्वेक्षण करता रहा है कि विद्यालय स्तर पर शिक्षा में कौन सी कमियां है तथा उन्हें दूर करने के लिये पाठ्यक्रमों में, शिक्षण में एवं प्रश्न पत्रों में कौन से सुधार किये जायं । इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्व प्रथम इण्टर तथा हाई स्कूल स्तरीय विज्ञान एवं गणित में एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 द्वारा निर्धारित प्रश्न-पत्रों के नये प्रारूपों को लागू किया गया ।

उपर्युक्त प्रारूपों को लागू करने पर उनकी सफलता को दृष्टिगत रखते हुए द्वितीय चरण में वर्ष 1983 से भाषा एवं सामाजिक विषयों और तृतीय चरण में वर्ष 1984 से नई शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रमों के निर्धारण के साथ-साथ विज्ञान- 1 तथा सामाजिक विज्ञान पूर्णतः दो नवीन विषयों में भी प्रश्न पत्रों के नवीन प्रारूपों को लागू कर दिया गया है ।

उपर्युक्त कार्यक्रमों के साथ-साथ वर्ष 1980 से प्रदेश में प्रथम दस स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों के उत्कृष्ट उत्तरों को "प्रतिभा-प्रसून" नामक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में भेजा जा रहा है जिससे कि छात्रों को अच्छे उत्तर लिखने की प्रेरणा मिले।

वर्ष 1984-85 में चल रहे कार्यक्रमों के अतिरिक्त जो कार्य किये गये हैं, वे निम्नवत् हैं:--

(1) कोमेट योजनान्तर्गत गणित-2 के पाठ्यक्रमों का नवीनीकरण--कोमेट योजनान्तर्गत इंगलैण्ड में प्रशिक्षित प्रदेश के 13 प्रवक्ताओं को पाठ्यक्रम शोध एवं मूल्यांकन अनुभाग म बुलाकर प्रचलित पाठ्यक्रम का विश्लेषण कराया गया तथा नये एप्रोच पर आधारित पाठ्यक्रम का नवीनीकरण कराया गया जिसे शीघ्र ही लागू करने पर विचार किया जा रहा है।

(2) प्रतिदर्श प्रश्न पत्रों का निर्माण तथा प्रेषण--विज्ञान-1, विज्ञान-2, जीव विज्ञान तथा भूगोल के प्रश्न पत्रों में पायी जाने वाली विसंगतियों को दूर कर, बढ़े हुए पाठ्यक्रमों का समावेश करने हेतु तथा गिरते हुए परीक्षाफल को दृष्टिगत रख उपर्युक्त विषयों के प्रश्न पत्रों में कठिनाई स्तर को कम करने की दिशा में जो परिवर्तन किये गये, उनका समावेश कर संदर्भित सभी विषयों के प्रश्न पत्रों का प्रतिदर्श बनवा कर छात्रों के हित में एवं अध्यापकों के मार्गदर्शन हेतु सभी विद्यालयों में भेजा जा रहा है।

(3)+2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों का निर्माण--व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रदेश में चल रहे वाणिज्य, कृषि रचनात्मक, प्राविधिक, उत्तर-बेसिक एवं रचनात्मक वर्गों के पाठ्यक्रमों में से सर्व प्रथम वाणिज्य के पाठ्यक्रमों को और अधिक व्यवसायपरक बनाने हेतु उसकी कुल आठ धाराओं की संकल्पना की गई। प्रत्येक धारा हेतु निर्धारित पाठ्यचर्या में 70 प्रतिशत बल के अनुसार 5-5 प्रश्नपत्रों के पाठ्यक्रमों का निर्धारण कराया गया जिसे जुलाई, 1985 से लागू करने पर विचार किया जा रहा है।

विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 में शोध अनुभाग द्वारा निर्मित पुस्तिकाओं एवं प्रकाशनों का विवरण निम्नवत् है:--

1984-85 के प्रकाशन

(1) प्रतिभा-प्रसून (हाई स्कूल परीक्षा 1982 के प्रतिभाशाली परीक्षार्थियों के उत्कृष्ट उत्तर)।

(2) 10 वर्षीय नयी शिक्षा प्रणाली (अनुसरण विशेषांक)।

(3) कोमेट योजनान्तर्गत गणित-2 के पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन।

(4) कोमेट योजनान्तर्गत गणित के पाठ्यक्रम के नवीनीकरण हेतु आयोजित कार्य गोष्ठी की आख्या।

(5) उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा-एक संकल्पना।

(6) 1984-85 तक मान्यता प्राप्त विद्यालयों की सूची भाग-1।

(7) 1984-85 तक मान्यता प्राप्त विद्यालयों की सूची भाग-2।

(8) व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत वाणिज्य वर्ग की कार्यशाला की आख्या।

(9) व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत कृषि वर्ग की कार्यशाला की आख्या ।

(10) विज्ञान–1 के प्रतिदर्श प्रश्नपत्रों के प्रारूप ।

(11) विज्ञान–2 के प्रतिदर्श प्रश्न पत्रों के प्रारूप ।

(12) जीव विज्ञान के प्रतिदर्श प्रश्न पत्रों के प्रारूप ।

(13) भूगोल के प्रतिदर्श प्रश्न पत्रों के प्रारूप ।

(14) व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रस्तावित वाणिज्य वर्ग की आठ धाराओं के पाठ्यक्रम ।

माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षण योजना

कम्प्यूटर तकनीक का ज्ञान विज्ञान की अत्यन्त श्रेष्ठ उपलब्धियों में से एक है । विकसित देशों में आज कम्प्यूटर प्रणाली के उपयोग के कारण जीवन अत्यन्त गतिशील हो गया है । सावजनकि क्षत्र के प्रतिष्ठानों , व्यापारिक प्रतिष्ठानों , औद्योगिक प्रतिष्ठानों , वैज्ञानिक कार्यशालाओं और यहां तक कि आवासों में भी दिन प्रतिदिन के कार्यों में कम्प्यूटर का प्रयोग सामान्य ढंग से किया जा रहा है । कम्प्यूटर की कार्य-क्षमता तथा स्पष्टतया मनमोहक, सुखद और आश्चर्यजनक है । यदि हमें विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, प्रगति के पथ पर अग्रसर होना है तो कम्प्यूटर प्रणाली का तीव्रगति से विकास करना नितान्त आवश्यक है ।

कम्प्यूटर के महत्व को ध्यान में रखकर भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इसे माध्यमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयुक्त करने का निश्चय किया था और वर्तमान प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी द्रुतगति से इसके प्रचार–प्रसार के लिये प्रयत्नशील हैं ।

शैक्षिक सत्र 1984–85 से देश के 750 माध्यमिक विद्यालयों को कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा शिक्षण योजना के 'पाइलट प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है । इन विद्यालयों में केन्द्रीय विद्यालय तथा प्रादेशिक सरकारों के अधीन शासकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय सम्मिलित हैं । इसमें जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक विद्यालय सम्मिलित है । छात्राओं के विद्यालयों और ग्रामीण अंचल के विद्यालयों को भी पाइलेट प्रोजेक्ट, में चुना गया है । इन विद्यालयों में से प्रत्येक विद्यालय के तीन-तीन शिक्षकों को कम्प्यूटर प्रणाली के प्रयोग संबंधी प्रशिक्षण की योजना राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली द्वारा जून-जुलाई 1984 में संचालित की गयी थी । प्रत्येक विद्यालय में दो-दो माइक्रो कम्प्यूटर भी प्रदान किये जा चुके हैं जहां 18–20 आयु वग में कक्षा 11, 12 के छात्र 30–30 की टोलियों में इसके प्रयोग सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करते हैं ।

यहां यह बात स्पष्ट कर देना अनिवार्य है कि कम्प्यूटर का प्रयोग विज्ञान और गणित के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, भाषा-विज्ञान तथा समाज विज्ञान जैसे विषयों में भी इसका प्रयोग समान रूप से हो रहा है । पर्यावरण, और प्रदूषण संबंधी जानकारी और वीडियो गेम्स के लिये भी यह उतना ही महत्वपूर्ण है । वह दिन दूर नहीं जब हमारे देश के सामान्य नागरिक विशेष रूप से छात्र और अध्यापक कम्प्यूटरों का सहज प्रयोग करने लगेंगे ।

अध्याय 5

उच्च शिक्षा

प्रदेश में उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय समान मानी गई संस्थाओं सहित कुल 21 विश्वविद्यालय एवं 401 महाविद्यालय संचालित हैं, इन महाविद्यालयों में से 48 राजकीय एवं 353 अशासकीय हैं। कुल महिला महाविद्यालयों की संख्या 84 है।

वर्ष 1984–85 में कोई नया राजकीय महाविद्यालय नहीं खोला गया और वर्तमान महाविद्यालयों की गुणात्मक वृद्धि की ओर विशेष ध्यान दिया गया। बुन्देलखण्ड की छात्राओं को उच्च शिक्षा की विशेष सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राजकीय महाविद्यालय बांदा का उच्चीकरण करने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है।

विभिन्न अशासकीय महाविद्यालयों की कार्य क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 1984–85 में अक्टूबर 1984 तक शिक्षकों के 75, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के 58 तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 30 पद सृजित किये गये। अशासकीय महाविद्यालयों की समस्याओं के निराकरण एवं उन पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना परियोजना के अन्तर्गत इस वर्ष दूसरे क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना लखनऊ में की गई है। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ के क्षेत्र में कानपुर, लखनऊ तथा अवध विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालय होंगे। इस प्रकार अब दो क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये जा चुके हैं।

अशासकीय महाविद्यालयों के गुणात्मक सुधार के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये जा रहे अनुदान का उपभोग करने को प्रोत्साहित करने हेतु शासकीय अनुदान की राशि बढ़ाकर इस वर्ष 13 लाख रुपया कर दी गई है। इससे महाविद्यालयों को पर्याप्त मात्रा में उनके विकास तथा छात्रावासों में सुधार की सुविधा प्राप्त होगी।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों में स्वाध्याय एवं आत्म विश्वास जागृत करने के उद्देश्य से स्वतः रोजगार योजनान्तर्गत नई शिक्षा नामक परियोजना का कार्यान्वयन किया गया। प्रयोगात्मक तौर पर यह योजना अवध विश्वविद्यालय, फज़ाबाद में संचालित की गई है। इस परियोजना हेतु वर्ष 1984–85 में 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश शासन ने मेधावी छात्रों को प्रादेशिक स्तर पर पुरस्कृत करने की एक नई योजना आरम्भ की है जिसके अन्तर्गत कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं कृषि संकाय की वर्ष 1981 का विश्वविद्यालयी स्नातक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले 53 छात्र/छात्राओं को गत वर्ष 28 नवम्बर 1983 को सचिवालय लखनऊ में आयोजित एक समारोह में पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया। इस वर्ष स्नातक परीक्षा 1982 व 1983 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त छात्र/छात्राओं को पुरस्कृत किया जायेगा।

उच्च शिक्षा की शिक्षण संस्थाओं की सूचना देने हेतु प्रयाग में लगने वाले माघ मेले के दौरान इस वर्ष भी एक प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है जिसमें माडलों के माध्यम से दर्शनार्थियों को प्रदेश के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी करायी जायेगी। गत वष इस प्रकार की आयोजित प्रदर्शनी 55 हजार से अधिक लोगों ने देखी और यह काफी लोकप्रिय सिद्ध हुई।

प्रदेश में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत परिश्रमी तथा प्रभिभावान छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन तथा आर्थिक सहायता देने हेतु विभिन्न प्रकार की छात्र वृत्तियों, वृत्तिकाओं एवं पुस्तकीय सहायता संबंधी वर्ष 1984–85 के आयोजनेतर एवं आयोजनागत व्ययक का प्रावधान निम्नवत है:—

आयोजनेतर

आयोजनेतर व्ययक वर्ष 1984–85 स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर 1902 नवीन छात्रवृत्तियों तथा विगत वर्षों की स्वीकृत छात्रवृत्तियों का नवीनीकरण तथा शिक्षा संहिता के विभिन्न अनुच्छेदों के अनुसार आर्थिक सहायता, प्रतिरक्षा कर्मचारियों के आश्रितों, इण्डियन स्कूल आफ इंटर नेशनल स्टडीज के शोध छात्रों को छात्रवृत्ति/छात्रवेतन के निमित्त रु0 55,18 लाख धनराशि स्वीकृत करने का प्रावधान है। इन छात्रवृत्तियों तथा धनराशि के अन्तर्गत मुख्य-मुख्य छात्रवृत्तियों का विवरण निम्नवत् है:—

1—प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की सन्तानों को योग्यता छात्रवृत्ति के अन्तर्गत स्नातक स्तर से शोध कार्य करने वाले छात्रों को रु0 75 एवं रु0 100 छात्रवृत्ति तथा 110 एवं 125 रु0 छात्रावासी छात्रों को छात्रवृत्ति देने हेतु रु0 2.13 लाख का प्रावधान है। छात्रों से प्रगति आख्या प्राप्त होने पर इन छात्रवृत्तियों का नवीनीकरण किया जाता है।

2—केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत हाई स्कूल की श्रेष्ठता सूची के आधार पर स्नातक कक्षाओं में तथा जो छात्र प्राविधिक शिक्षा में प्रवेश ले लेते हैं उन्हें 90 रुपया एवं 120 रु0 छात्रावासी धनराशि 140 रु0 एवं 170 रु0 प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। इसी दर से इण्टरमीडिएट श्रेष्ठता की सूची के आधार पर वर्ष 1981 में 265 नवीन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति का प्रादुर्भाव भारत सरकार द्वारा किया गया है। वर्ष 1982 में यह कोटा बढ़ाकर 453 एवं 1983 में 614 एवं 84 में 824 कर दिया गया है। यह छात्रवृत्ति प्रथम डिग्री कोर्स तक चालू रहेगी। इसी प्रकार स्नातक श्रेष्ठता सूची के आधार पर जो विश्वविद्यालय से प्राप्त होती है, स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं रु0 120 एवं रु0 170 छात्रावासों को प्रतिमाह की स्वीकृति की जाती है। इस हेतु रु0 44.70 लाख का बजट प्राविधान है।

3—प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बच्चों को 300 छात्रवृत्तियों की स्वीकृति करने हेतु 60,000 रुपये का प्रावधान है तथा प्रतिरक्षा कर्मचारियों को मुफ्त शिक्षा हेतु 88,000 रुपये का बजट प्रावधान है।

4—इण्डियन स्कूल आफ इण्टरनेशनल स्टडीज जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में शोध कार्य करने वाले उत्तर प्रदेश के दो छात्र/छात्राओं को रु0 300 प्रतिमाह की छात्रवृत्ति स्वीकृत करने हेतु 29,000 रु0 का प्रावधान है। यह छात्रवृत्ति शोधरत छात्रों को 4 वर्ष तक देय होती हैं।

5—स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों तथा आश्रितों को डिग्री स्तर पर छात्रवृत्तियों एवं आर्थिक सहायता स्वीकृत करने हेतु तथा उस पर व्यय हेतु रु0 3,88000 का प्रावधान है।

6—शासन द्वारा प्रतिरक्षा कर्मचारियों के आश्रितों को की छात्रावास में रहे हैं, कों मुफ्त भोजन की व्यवस्था हेतु आवश्यक प्रस्ताव एवं धन की मांग शासन से की गयी है।

आयोजनागत

1—विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को नर्सरी एवं पुस्तकीय सहायता की धनराशि में बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप रु0 8 लाख का वर्ष 1984–85 में प्रावधान है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु 1.36 लाख व्यय का बजट प्रावधान वर्ष 1984–85 में है।

2—पर्वतीय जिलों में सामान्य एवं प्राविधिक शिक्षा को ग्रहण करने हेतु छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं पुस्तकीय सहायता स्वीकृत करने हेतु वर्ष 1984–85 में रुपया 4 लाख का प्रावधान है।

3—पर्वतीय जिलों के असेक्ति क्षेत्रों के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृत करने हेतु वर्ष 1984–85 में रु0 8,34 लाख का प्रावधान है।

4—पर्वतीय अंचल में अध्ययनरत विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं को नर्सरी की धनराशि में बढ़ोत्तरी हेतु वित्तीय वर्ष 1984–85 में रु0 35,000 का प्रावधान है।

अध्याय 6

अध्यापक प्रशिक्षण

पूर्व माध्यमिक-स्तर

(1) शिशु शिक्षा संस्थाओं के लिये प्रशिक्षित अध्यापिकायें सुलभ कराने हेतु दो राजकीय तथा तीन अराजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय चल रहे हैं। इनमें दो वर्षीय सी0 टी0 (नर्सरी) पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रति वर्ष 154 महिलाओं को प्रशिक्षित करने हेतु प्रवेश स्थान निर्धारित है।

(2) प्रारम्भिक विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिका सुलभ कराने हेतु राजकीय दीक्षा विद्यालयों के पुनर्गठन के पश्चात् 65 राजकीय दीक्षा विद्यालय पुरुष के हैं जिनमें 4 राजकीय दीक्षा विद्यालय उर्दू इकाई के रूप में है तथा महिलाओं के 51 दीक्षा विद्यालय एवं 5 बी0 टी0 सी0 इकाई चल रहे हैं। प्रवेश क्षमता 25 प्रति पुरुष दीक्षा विद्यालय 20 प्रति महिला दीक्षा विद्यालय बी0 टी0 सी0 इकाई को मिलाकर है। इस हिसाब से 1525 (पुरुष) एवं 1120 (महिला) प्रति वर्ष प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। 4 (चार) बी0 टी0 सी0 उर्दू इकाई हेतु चल रहे राजकीय दीक्षा विद्यालयों में प्रत्येक की प्रवेश संख्या 15 है जिसके हिसाब से कुल 60 उर्दू इकाई के अभ्यर्थी प्रति वर्ष प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्राविधान है।

(3) वर्ष 1980-81 से प्रदेश के सभी राजकीय दीक्षा विद्यालयों पुरुष तथा महिला दोनों में पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक जनपद में एक पुरुष एवं एक महिला दीक्षा विद्यालय में प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है। जिसके अन्तर्गत सेवारत अध्यापकों को पुनर्बोधित करने की योजना है। इसमें प्रतिभागियों को 15 दिन का प्रशिक्षण अवधि का 75 रुपया दैनिक भत्ता एवं 25 रुपया यात्रा भत्ता देय है।

(4) वर्ष 1978 से बेसिक शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अशासकीय मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में और प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति के सेवा शर्तों के लागू होने के फलस्वरूप 30-6-78 तक मान्यता प्राप्त अशासकीय जूनियर हाई स्कूलों/प्राइमरी स्कूलों में पूर्व से कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं के विनियमितीकरण हेतु--

(क) जो अध्यापक/अध्यापिकायें 30-6-78 तक 10 वर्ष या उससे अधिक सेवा कर चुके थे उन्हें शासनादेशों के अनुसार बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण से मुक्ति प्रदान कर देने की व्यवस्था की गई।

(ख) जिन अध्यापक तथा अध्यापिकाओं का सेवाकाल 30-6-78 को पांच वर्ष से अधिक और दस वर्ष से कम था उन्हें कार्यरत अध्यापक प्रमाण पत्र परीक्षा (मिनिमाटेस्ट) के माध्यम से बी0टी0सी0 प्रशिक्षण में प्रशिक्षित कराने की व्यवस्था दी गई।

(ग) जिन अध्यापक/अध्यापिकाओं का सेवाकाल 30-6-78 को एक वर्ष से पांच वर्ष तक का था उन्हें पत्राचार प्रणाली से बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण में प्रशिक्षित किये जाने का व्यवस्था की गई है।

(5) अप्रशिक्षित अध्यापकों को पत्राचार प्रणाली द्वारा बी0 टी0 सी0 का प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु राज्य शिक्षण संस्थान उ0 प्र0, इलाहाबाद में एक पत्राचार प्रणाली केन्द्र स्थापित है जो पत्राचार प्रणाली द्वारा बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। कार्य तथा अनुभव पर आधारित कार्यरत अध्यापक प्रमाण-पत्र परीक्षा रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें उ0 प्र0, इलाहाबाद द्वारा

आयोजित की गई। बी0टी0सी0 प्रशिक्षण से छूट देने का कार्य संबंधित संभागीय उप निदेशकों तथा बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं द्वारा किया जा रहा है।

(6) गृह विज्ञान तथा शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी अध्यापक/अध्यापिकाओं को सी0टी0/सी0पी0एड0 स्तर पर प्रशिक्षण देने हेतु निम्नलिखित संस्थायें चल रही हैं:—

	पुरुष	महिला	योग
1—राजकीय गृह विज्ञान सी0टी0 कालेज	..	1	1
2—राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय	.. 1	1	2
3—सहायता प्राप्त शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय	.. 2	..	2

माध्यमिक स्तर

(क) माध्यमिक स्तर पर अध्यापकों को प्रशिक्षित करने हेतु प्रदेश में पांच राजकीय तथा सात अशासकीय एल0टी0 प्रशिक्षण महाविद्यालय है। इनमें से 2 महिलाओं के तथा 3 पुरुषों के राजकीय महाविद्यालय हैं। इन महाविद्यालयों में प्रवेश क्षमता निम्नवत् है:—

1—राजकीय केन्द्रीय अध्यापन, संस्थान, इलाहाबाद ..	.. 80
2—राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद ..	.. 80
3—राजकीय महिला गृह विज्ञान प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद	.. 30
4—राजकीय बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, वाराणसी 50 पुरुष—50 महिला	100
5—राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ 70 विज्ञान 70 रच0 15 कृषि	.. 155
6—के0पी0 प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद ..	.. 100
7—किशोरी रमण ट्रेनिंग कालेज, मथुरा	.. 80
8—डी0ए0वी ट्रेनिंग कालेज, कानपुर	.. 100
9—सकलडीहा प्रशिक्षण महाविद्यालय, वाराणसी ..	.. 100
10—दिग्विजयनाथ प्रशिक्षण महाविद्यालय, गोरखपुर (60 एल0टी0 सामान्य—60 एल टी0 कृषि)	.. 120
11—किसान प्रशिक्षण महाविद्यालय, बस्ती	.. 80
12—क्रिश्चियन ट्रेनिंग कालेज, लखनऊ—80, 20 अंग्रेजी माध्यम	.. 100

(क्रिश्चियन ट्रेनिंग कालेज में निर्धारित कुल स्थान का 5% प्रतिशत स्थान क्रिश्चियन अभ्यर्थियों के लिये सुरक्षित है)।

इस प्रकार एल0 टी0 स्तर के प्रशिक्षण हेतु 1125 अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। राजकीय महिला गृह विज्ञान प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद में प्रवेश अर्हता में इस वर्ष 1982—83 से विशेष शिथिलता प्रदान की गई है जिसके अनुसार बी0ए0 में एक विषय गृह विज्ञान में उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी प्रवेश हेतु अर्ह है।

(8) उपर्युक्त संस्थाओं के अतिरिक्त मनोविज्ञान शाला, उ0 प्र0, इलाहाबाद में डिप्लोमा इन गाइडेंस साईकलाजी प्रशिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध है जिसके अनुसार 15 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि अगस्त से अगले वर्ष की माह मई तक है तथा

प्रवेशार्थी की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एम0ए0 (मनोविज्ञान) अथवा एम0 एड0 में द्वितीय श्रेणी है। शिक्षा विभाग के राजकीय कर्मचारियों को भी यह प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधा रखी गई है।

(9) वर्ष 1980–81 से प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिये पुनर्शिक्षण एवं पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण संबंधी सतत शिक्षा/पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण योजना प्रारम्भ की गई है। सतत शिक्षा योजना राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के सहयोग से निम्न 12 केन्द्रों पर चलाई जा रही हैं :—

1—राजकीय सेन्ट्रल पेडागाजिकल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद।

2—राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ।

3—राजकीय बेसिक ट्रेनिंग कालेज, वाराणसी।

4—पीताम्बर दत्त बर्थवाल राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार, पौड़ी।

5—दयालबाग, शिक्षण संस्थान, दयालबाग, आगरा।

6—मेरठ, कालेज, मेरठ।

7—शिक्षा विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़।

8—स्वामी सुकदेवानन्द महाविद्यालय, शाहजहांपुर।

9—शिक्षा विभाग गोकुलदास हिन्दू गर्ल्स डिग्री कालेज, मुरादाबाद।

10—आर0 आर0 डिग्री कालेज, अमेठी, सुल्तानपुर।

11—शिक्षा विभाग, गोरखपुर, वि0 वि0, गोरखपुर।

12—क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, झांसी।

उक्त प्रशिक्षण का कार्यक्रम उपरलिखित केन्द्रों पर इस दृष्टिकोण से चलाया जा रहा है कि वे 10 वर्षीय पाठ्यक्रम एवं नवीन विषय वस्तु से संबंधित हो सकें। प्रशिक्षण दिया जाना निर्धारित है। इस पुनर्शिक्षण कार्य के सम्पादन हेतु केन्द्रों के समन्वयकों को तथा उनके सहयोगियों को निर्धारित दरों पर मानदेय तथा शिक्षण प्रशिक्षणार्थियों को टी0 ए0 एवं डी0ए0 भी देय है।

पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण योजना विभागीय योजना है जो एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 के सहयोग प्राप्त उपर्युक्त पुनर्शिक्षण योजना के साथ चलाई जा रही है। इस योजना के लिये पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण का कार्य नियमित कार्यकाल में ही संचालित किया जाता है जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थाओं के निर्धारित प्रवेश संख्या में 20 अभ्यर्थियों की कटौती कर दी गई है। उपर्युक्त योजनाओं के 10 वर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत विज्ञान के एक अध्यापक को जिला स्तर पर विज्ञान में पुनः शिक्षण दिया गया है।

(10) रीजनल कालेज आफ एजूकेशन अजमेर द्वारा अयोजित ग्रीष्मकालीन एवं पत्र व्यवहार बी0 एड0 पाठ्यक्रम में अप्रशिक्षित अध्यापकों को भेजने की भी सुविधा उपलब्ध है जिसमें प्रवेश लेने वाले अध्यापकों में से 30 अध्यापकों का विभाग द्वारा वरीयता के आधार पर मनोनयन किया जाता है।

(11) प्रदेश की विशिष्ट शैक्षिक संस्थाओं के कार्यकलापों में समन्वयन एवं एक सूत्रता बनाये रखने की आवश्यकता को समझते हुये कतिपय अन्य राज्यों की भ ति इस प्रदेश में भी राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना की गई है जो इन संस्थाओं को दीर्घकालीन नियोजित कार्यक्रम कार्यप्रणाली और उपलब्धियों को नवचेतना प्रदान करेगी।

शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी अध्यापकों को प्रशिक्षण देने हेतु एल 0टी 0/सी 0टी 0 स्तर पर डी 0पी 0एड 0/सी 0पी 0 एड 0 प्रशिक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित संस्थाओं में उपलब्ध है।

क्रम	प्रशिक्षण महाविद्यालयों का नाम	पाठ्यक्रम	निर्धारित प्रवेश सं 0
1	2	3	4
1	राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय रामपुर।	1—डी 0पी 0एड 0	50
		2—सी 0पी 0एड 0	50
2	राजकीय महिला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय इलाहाबाद।	1—डी 0पी 0एड 0	25
		2—सी 0पी 0एड 0	25
3	श्री गान्धी स्मारक शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय—समोघपुर, जौनपुर।	सी 0पी 0एड 0	50
	क्रिश्चियन कालेज आफ फिजीकल एजूकेशन, लखनऊ।	1—डी 0पी 0एड 0	30
		2—सी 0पी 0एड 0	60
	(क्रिश्चियन कालेज आफ फिजीकल एजूकेशन लखनऊ में निर्धारित कुल स्थानों के प्रतिशत स्थान क्रिश्चियन अभ्यर्थियों के लिये सुरक्षित हैं।)		15

13—आवासीय विद्यालयों में मनोवैज्ञानिक सेवा की व्यवस्था :

एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा के आधार पर प्रदेश के बालकों में मेधावी छात्रों का चयन करके उन्हें आवासीय शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना चल रही है। यह छात्र ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी विद्यालयों में प्रवेश प्राप्त करते हैं। अतएव उनके समक्ष समायोजन संबंधी अनेक समस्यायें उत्पन्न होती है। उन समस्याओं तथा उनके मनोवैज्ञानिक परीक्षण की दिन प्रतिदिन की प्राप्त परीक्षा आख्या को देखने तथा उससे विद्यालयों को अवगत कराने हेतु आवासीय विद्यालयों में स्कूल कौंसलर की नियुक्ति की गयी है। इस योजना के अंतर्गत लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर एवं आगरा में स्थापित आवासीय विद्यालयों में स्कूल कौंसलर की नियुक्ति के आदेश प्रयोगात्मक आधार पर निर्गत कर दिये गये हैं।

अध्याय 7

प्रौढ़ शिक्षा

अन्य प्रदेशों की भांति उत्तर प्रदेश में निरक्षरता उन्मूलन हेतु प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम वर्ष 1979–80 में प्रदेश के चुने हुए 32 जनपदों के 64 विकास खण्डों में 15–35 वय वर्ग के लक्ष्य समूह को साक्षर बनाने के लिये संचालित किया गया। प्रौढ़ शिक्षा के नवीन कार्यक्रम की संकल्पना के अनुसार लोगों को साक्षर बनाना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु उनकी व्यावहारिक कुशलता बढ़ाना और उनमें सामाजिक चेतना जागृत कर उनको बेहतर नागरिक भी बनाना आवश्यक है। कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य अपवंचित एवं दलित वर्ग के लोगों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाना है। इस कार्यक्रम द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि–शिक्षा का लाभ ऐसे कृषकों एवं मजदूरों को मिल सके जो निरन्तर परिश्रम का जीवन व्यतीत करते हैं स्कूली शिक्षा से वंचित रह गये हैं और निरक्षरता के कारण अन्य विकास कार्यक्रमों से समुचित लाभ नहीं उठा सके, जो शासन द्वारा उनके लिये समय समय पर चलाये गये थे। कार्यक्रम में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पिछड़ी जाति अल्पसंख्यक व्यक्तियों को केन्द्रों पर आने के लिये विशेष रूप से प्रेरित किया जाता है तथा उनकी आवश्यकताओं से सम्बन्धित जानकारी/सुविधायें उन्हें उपलब्ध कराये जाने का भी प्रयास होता है।

वर्ष 1981 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर देश में साक्षरता का प्रतिशत 36.17 है और राज्य में साक्षरों का प्रतिशत 27.38 है। राज्य में साक्षर पुरुष 38.87 और महिलायें 14.42 प्रतिशत हैं प्रदेश के 57 जनपदों में से 44 जनपदों में साक्षरता का प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर से कम है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मध्य महिलाओं की निरक्षरता की स्थिति सोचनीय है। प्रदेश में 8 करोड़ व्यक्ति निरक्षर हैं। इनमें 15–35 वय वर्ग के प्रौढ़ों की संख्या लगभग 203 लाख थी। प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता जनपद देहरादून (52.84 प्रतिशत) में है और इसके विपरीत बदायूं जनपद में साक्षरता प्रतिशत मात्र 16.03 है। संपूर्ण प्रदेश में 20 प्रतिशत साक्षरता से कम वाले जनपद 6 हैं। 20 से 25 प्रतिशत के मध्य 15 जनपद हैं और 25 से 30 प्रतिशत साक्षरता वाले जनपदों की संख्या 16 है। 8 जनपदों में साक्षरता का औसत 30 से 36 प्रतिशत के मध्य है और 36 प्रतिशत से अधिक साक्षरता वाले जनपदों की संख्या मात्र 11 है।

उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम वर्ष 1979–80 के अन्तिम त्रैमास में प्रारम्भ किया गया। वर्ष के अन्तिम चरण में प्रारम्भ होने के कारण 10 मास की अवधि वाली यह परियोजनायें वर्ष 1980–81 के मध्य तक संचालित रहीं। कुल 9600 केंद्रों के लक्ष्य के प्रति 9563 केन्द्र भारत सरकार की परियोजनाओं में तथा 23 25 केन्द्र विभिन्न संगठनों द्वारा खोले गये जिन पर पंजीकृत प्रतिभागियों की संख्या 5,21,296 थी। इनमें से 5127 केन्द्र (प्रतिभागी 91,865) वर्ष 1979–80 में खोले जा चुके थे।

वर्ष 1981–82 में केन्द्र पोषित 32 परियोजनाओं के अतिरिक्त राज्य शासन के संसाधनों से 300 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की 3 परियोजनायें तथा 100 केन्द्रों की 11 परियोजनायें भी प्रारम्भ की गई थी। इस वर्ष प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम प्रदेश के 44 जनपदों के 81 विकास खण्डों में संचालित रहा और 11,490 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र राजकीय

कार्यक्रम के अन्तर्गत खोले गये। अन्य एजेन्सियों द्वारा भी 1287 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र संचालित हुये। इस वर्ष सभी प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों पर कुल 3,61908 व्यक्तियों को पंजीकृत किया गया जिनमें, 2,27,896 पुरुष तथा 1,34,012 महिलायें थीं।

वर्ष 1982–83 में केन्द्र पोषित 300 प्रौढ़शिक्षा केन्द्रों की 32 परियोजनाओं के तृतीय चक्र में समस्त 9600 केन्द्र खोले गये तथा राज्य कार्यक्रम के अन्तर्गत भी द्वितीय चक्र के समस्त 2000 केन्द्र खोले गये। इसी वर्ष डिग्री कालेज, द्वारा 494 नेहरू युवक केन्द्र द्वारा 928 और स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा 60 केन्द्र संचालित किये गये। इन सभी केन्द्रों पर पंजीकृत प्रतिभागियों की संख्या 3,73,041 थी जिसमें पुरुष 2,28,644 और महिलायें 1,44,397 थीं।

वर्ष 1983–84 में केन्द्र शासन द्वारा उक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त 300 केन्द्रों वाली 13 और परियोजनाएं स्वीकृत की गई तथा राज्य शासन द्वारा जो मैदानी क्षेत्र के 10 जनपदों में 100 केन्द्रों वाली परियोजनायें संचालित थी उसमें एक अतिरिक्त विकास खण्ड तथा 200 केन्द्र और बढ़ाकर 300 केन्द्रों वाली परियोजनायें संचालित की गई। नैनीताल जनपद के ओखल काण्डा विकास खण्ड में 100 केन्द्रों की एक परियोजना पूर्ववत संचालित रहे वर्ष 1983–84 में शासकीय कार्यक्रम के अन्तर्गत 17,500 केन्द्र संचालित रहीं जिनमें केन्द्रीय कार्यक्रम के केन्द्र 13500 और राज्य कार्यक्रम के केन्द्रों की संख्या 4000 थी। अन्य एजेंसियों द्वारा 1802 केन्द्र संचालित किये गये जिनमें स्वैच्छिक संस्थाओं के केन्द्रों की संख्या 700, नेहरू युवक केन्द्र की संख्या 498 और विश्व विद्यालयों/ डिग्री कालेज, के केन्द्रों की संख्या 604 थीं। समस्त 19302 केन्द्रों पर 5,75,095 प्रतिभागी पंचीयत थे जिनमें पुरुषों की संख्या 3,52,378 और महिलाओं की संख्या 2,22,717 थी। अनुसूचित जाति के प्रतिभागियों की संख्या 1,99,592 जनजाति के प्रतिभागियों की संख्या 7,238 थी।

वर्ष 1984–85 में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम भारत सरकार के वित्तीय संसाधनों से अब प्रदेश के समस्त 56 जनपदों में संचालित है। राज्य कार्यक्रम में अभी 300 केन्द्रों वाली 13 और 100 केन्द्रों वाली 1 परियोजना प्रति जनपद एक की दर से 14 जनपदों में संचालित है। शासकीय कार्यक्रम के 20234 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र संचालित रहे जिनके द्वारा 5,92,658 प्रतिभागियों को लाभान्वित किया गया है। इसके अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित 3102 केन्द्रों के माध्यम से 89625 प्रतिभागी लाभान्वित किये गये। समस्त 704260 प्रतिभागियों में से 425285 महिलायें, 253536 अनुसूचित जाति तथा 8064 अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति लाभान्वित किये गये हैं।

भारत सरकार द्वारा प्रदेश में 300 केन्द्रों वाली 63 परियोजनायें स्वीकृत हैं: जिनके आगामी वर्ष में और बढ़ जाने की संभावना है। राज्य कार्यक्रम में जिला योजना के अन्तर्गत 300 केन्द्रों वाली 17 अन्य परियोजनाओं की स्वीकृति भी जानी है, जो वित्तीय वर्ष 1985–86 में विचाराधीन हैं।

लक्ष्य एवं उपलब्धि वर्षवार

उपलब्धि (लाभान्वित प्रतिभागी)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि कुल	महिला	अनुसूचित जाति	जनजाति
1980–81	310,800	321,296	103814	83297	7723
1981–82	339000	361908	134012	119409	6462
1982–83	348000	373041	144397	125852	5600
1983–84	550000	575095	222717	199592	7238
1984–85	690000	704260	425285	253536	8064

महिला साक्षरता पुरस्कार

महिला साक्षरता की दिशा में प्रदेश की अभूतपूर्व उपलब्धियों को देखते हुये उत्तर प्रदेश को वर्ष 1984–85 में रु0 38.25 लाख का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसमें रु0 25 लाख प्रदेश को विशेष अग्रणी कार्य हेतु रु0 3 लाख सर्वोत्कृष्ट जनपद पौड़ी गढ़वाल को तथा 5000 प्रति प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र की दर से सर्वोत्तम कार्य करने वाले 205 महिला केन्द्रों को भारत सरकार द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया है।

यूनेस्को पुरस्कार

महिला साक्षरता के प्रसार एवं सामुदायिक सहभागिता की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धियों को देखते हुये, वर्ष 1984 में इस प्रदेश को यू0एस0एस0 आर0 द्वारा प्रायोजित तथा यूनेस्को द्वारा निर्णीत नटेझपा के0 कुपस्कया पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90)

योजनान्तर्गत 15–35 वय वर्ग के निरक्षर 205 लाख व्यक्तियों को सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में साक्षर किया जाना है परन्तु सीमित साधनों के कारण विभिन्न स्रोतो से निम्नवत् व्यक्ति ही साक्षर किये जा सकेंगे :—

क्रमांक	स्तर		लाख रुपये में आयोजनागत पक्ष से
1	2		
1	केन्द्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत	..	25.20
2	प्रदेशीय कार्यक्रम के अन्तर्गत	..	10.26
3	नेहरू युवक केन्द्रों के अन्तर्गत	..	7.20
4	महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा	..	6.47
5	विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा	..	6.58
	योग	..	55.71

अनुवान कार्यक्रम

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों पर लाभान्वित व्यक्ति पुनः निरक्षरता की ओर न चले जायें इस दृष्टि से अनुगमन कार्यक्रम भी आरम्भ कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की प्रगति

विवरण	उपलब्धि				
	1080–81	81–82	82–83	83–84	84–85 दिसम्बर 84 तक
1—केन्द्रीय कार्यक्रम					
अ—कुल केन्द्र	9563	9538	9600	13500	16234
ब—कुल प्रतिभागी	252206	269672	284359	403662	491776
2—राज्य कार्यक्रम					
अ—केन्द्र	..	1952	2000	4000	4000
ब—प्रतिभागी	..	53427	58916	119496	122859
3—अन्य संस्थायें					
अ—केन्द्र	2325	1287	1182	1802	3102
ब—प्रतिभागी महिला	23080	38809	29766	51937	89625
योग केन्द्र	11888	12777	12782	19302	23336
योग प्रतिभागी	321296	361908	373041	575095	704260
महिला प्रतिभागी	103814	134012	144397	222717	425285
कुल प्रतिभागियों में					
अनुसूचित जाति	52533	119409	125852	199592	237969
अनुसूचित जनजाति	6573	6462	5600	7238	6078

उ.प्र. में प्रौढ़ शिक्षा के पंजीयन की प्रगति

(31-12-84)

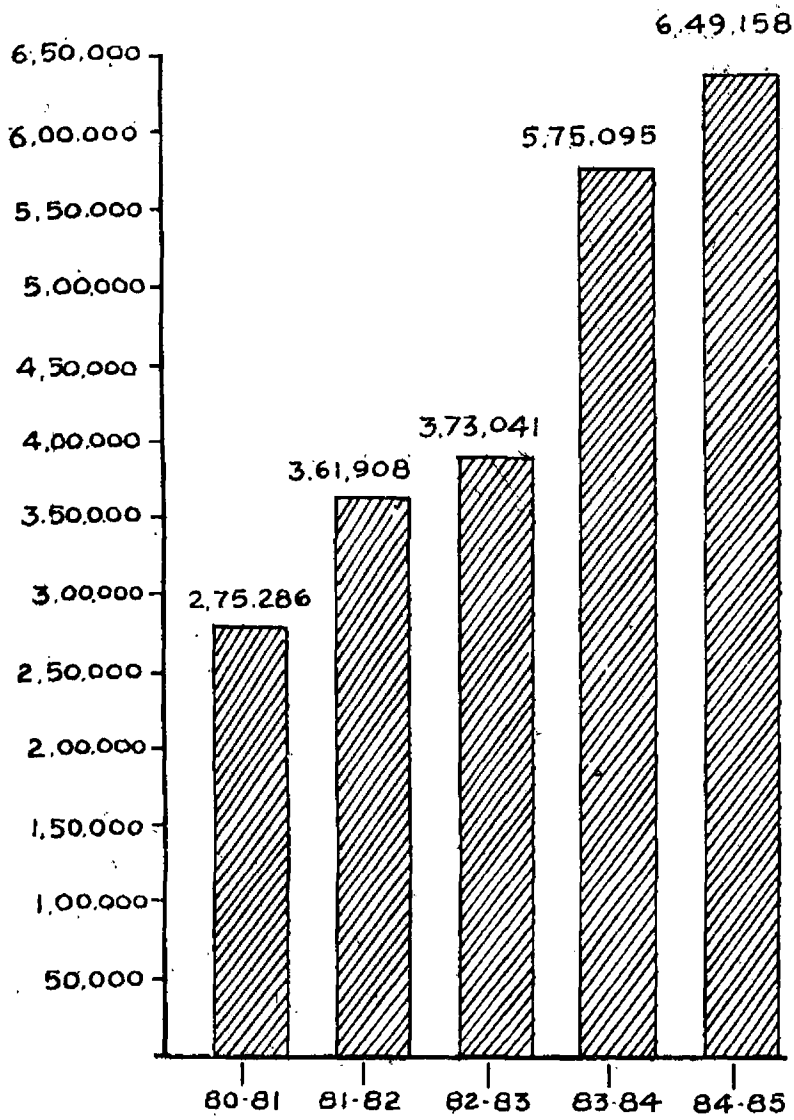

अध्याय 8

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम

उद्देश्य—

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये छठीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में वर्ष 1979–80 से अनौपचारिक शिक्षा योजना अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के पूरक के रूप में चलाई जा रही है। इस योजना में 9–14 वय वर्ग के उन बालक/बालिकाओं को शिक्षा देने की व्यवस्था है। जो आर्थिक, सामाजिक अथवा अन्य किसी कारण से विद्यालयी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके हैं अथवा किन्हीं परिस्थितियों के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़ने के लिये विवश हो गये हैं। ऐसे बालक/बालिकायें शिक्षा से सदैव वंचित न रह जायें, उन्हें उनके स्थान एवं समय की सुविधानुसार शिक्षा देने की व्यवस्था इस योजना में की गयी है।

आबादियों का चयन

सन् 1978 में शैक्षिक सर्वेक्षण हुआ था। इस सर्वेक्षण में जिन विकास खंडोंको शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ इंगित किया गया है, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने के लिये उनका चयन अवरोही क्रम में किया जा रहा ह। प्रदेश में इस समय 895 विकास खंड हैं। इसमें से वर्तमान वित्तीय वर्ष 1984–85 तक प्रदेश के 48 मदानी जनपदों के 464 एवं 8 पर्वतीय जनपदों के 72 विकास खंडों में इस योजना का विस्तार हो जाने का लक्ष्य था जिसमें से मैदानी जनपदों के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया ह तथा पर्वतीय जनपदों के लिये वर्तमान वर्ष की स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर लक्ष्य पूरा हो जायगा। इन केन्द्रों क संचालित हो जाने पर उक्त समस्त विकास खंडों में 50–50 प्राइमरी स्तर के केन्द्र स्थापित हो जायेंगे। इसी प्रकार मैदानी जनपदों के 8 विकास खंडों में 15/8–7 तथा पर्वतीय जनपदों के विकास खंडों में 10/5–5 मिडिल स्तर के केन्द्र संचालित हो जायेंगे।

उपर्युक्त के अतिरिक्त वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत सरकार के 90 प्रतिशत आर्थिक सहायता से बालिकाओं के 3200 प्राइमरी स्तर क केन्द्र पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी तथा टेहरी गढ़वाल जनपद को छोड़कर समस्त जनपदों में 50–50 केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है, इसमें से लखनऊ, बलिया तथा अलीगढ़ में प्रति जनपद 250 केन्द्र खोलने का लक्ष्य है। इसके साथ ही नारवे तथा स्वीडेन की सहायता से लखनऊ, रायबरेली तथा मिर्जापुर जनपदों में भी आई0 सी0 डी0 एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत 20 विकास खंडों में 100 केन्द्र प्रति विकास खंड खोलने का लक्ष्य रखा गया है।

केन्द्र स्थल

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित अथवा मान्यता प्राप्त प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों म रखे गये हैं। पंचायत घर सामुदायिक केन्द्र पूजा-स्थल, निजी आवास अथवा अन्य किसी भवन में भी बालक/बालिकाओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए यह शिक्षा केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं।

अध्यापकों का चयन

अनौपचारिक शिक्षा के लिये शिक्षकों को चयन गांवों में स्थानीय निवास करने वाले शिक्षक, अवकाश प्राप्त शिक्षक, प्रशिक्षित बेरोजगार युवक या हाई स्कूल बेरोजगार युवक में से किया जाता है। महिलाओं को चयन में प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

शिक्षण अवधि एवं पाठ्य सामग्री

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम में प्राइमरी स्तर की शिक्षा 2 वर्षों में तथा मिडिल स्तर की शिक्षा 3 वर्षों में पूरी करने की योजना बनाई गई है। इस पांच वर्ष की शिक्षा के लिये ज्ञानदीप भाग 1 से 5 तक पाठ्य पुस्तकों की रचना की गयी है। ज्ञानदीप भाग 1 और 2 प्राइमरी स्तर के प्रथम तथा द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिये और ज्ञानदीप भाग–3; 4 एवं 5 क्रमशः कक्षा–6, 7 और 8 के छात्रों के लिये हैं।

प्रशासनिक तन्त्र

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक तन्त्र को सुदृढ़ किया गया है। राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम की संयुक्त शिक्षा निदेशक, सहायक शिक्षा निदेशक एवं अपर शिक्षा निदेशक द्वारा नियमित मानीटरिंग की जाती है। मंडल स्तर पर मंडलीय उप–शिक्षा निदेशक, विशेष कार्याधिकारी अनौ0 शिक्षा द्वारा कार्यक्रम देखा जाता है। इसी प्रकार जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं अपर उप विद्यालय निरीक्षक कार्यक्रम को देखते हैं। विकास खंड स्तर पर पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया है जो कार्यक्रम के निरीक्षण, नियमन एवं मानीटरिंग के लिये उत्तरदायी बनाये गये हैं।

मूल्यांकन

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर मूल्यांकन की व्यवस्था की गयी ह, जिसके अन्तर्गत छात्रों का मूल्यांकन केन्द्र का मूल्यांकन तथा कार्यक्रम का मूल्यांकन किया जाता है। छात्रों की प्रगति के निरन्तर मूल्याकन की व्यवस्था की गयी ह। छात्रों द्वारा निर्धारित अवधि की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत गुणात्मक आगणन के आधार पर अगली कक्षाओं में प्रोन्नति की व्यवस्था है। वर्ष 1984-85 में आयोजित परिणाम निम्नवत् है:

	पंजीकृत	सम्मिलित	प्रगति	विवरण
प्राइमरी	212643	162846	152061	52 जनपद की सूचना
मिडिल	16751	10152	7337	तदैव

अनौपचारिक शिक्षा योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 1984–85 में माह अक्टूबर 1984 के प्रगति के अनुसार 48 मैदानी जनपदों में 20,061 प्राइमरी तथा 3543 मिडिल स्तर के कन्द्र सम्मिलित हैं। 18 पर्वतीय जनपदों में प्राइमरी स्तर के संचालित केन्द्रों की संख्या 2344 तथा मिडिल स्तर के केन्द्रों की संख्या 296 है। इन केन्द्रों में आयोजित छात्रों की संख्या का विवरण निम्नवत् रहा। विस्तृत विवरण परिशिष्ट 23 पर अंकित है।

मैदानी क्षेत्र	बालक	बालिका	योग
प्राइमरी स्तर ..	278489	193878	472367
मिडिल स्तर ..	57608	19412	77020
पर्वतीय क्षेत्र ..			
प्राइमरी स्तर ..	19370	15780	35150
मिडिल स्तर ..	2746	1821	4567

पर्यवेक्षण

अनौपचारिक शिक्षा योजना के नियमित रूप से पर्यवेक्षण की व्यवस्था की गयी है। योजनान्तर्गत अब तक प्रत्येक 50 प्राइमरी स्तर के केन्द्रों पर एक एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति का प्रस्ताव था। इसके अन्तर्गत वर्ष 1980–81 के केन्द्रों हेतु 112 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गयी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 1984–85 में 224 पर्यवेक्षकों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इनकी नियुक्ति के संबंध में आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। शेष वर्षों के केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक प्राइमरी स्तर के 40 केन्द्रों पर एक पर्यवेक्षक के पद की व्यवस्था के लिये शासन से अनुरोध किया गया जा रहा है। इसी के आधार पर छठी योजनान्तर्गत कुल खोले गये केन्द्रों पर प्राइमरी स्तर के केन्द्रों के लिये 700 पर्यवेक्षकों के पद आते हैं। इस आधार पर अब तक शासन द्वारा स्वीकृत 336 पदों के अतिरिक्त शेष 364 पदों की मांग शासन से की जा रही है।

अध्याय—9

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना वर्ष 1981 में निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य की पूर्ति हेतु की गई है :—

(क) शिक्षा में स्वयं अनुसंधान करना, अनुसंधानों का समन्वय करना तथा उनको प्रोत्साहित करना।

(ख) सेवा-पूर्व और सेवारत, मुख्यतः उच्च स्तरीय, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(ग) ऐसी संस्थाओं को परामर्श सेवा प्रदान करना जो शैक्षिक अनुसंधान/प्रशिक्षण में विद्यालयों के विस्तार सेवा में कार्यरत हो।

(घ) उन्नत शैक्षिक विधियों और कार्यक्रमों से विद्यालयों तथा प्रशासकों को अवगत कराना।

(च) अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये राज्य के शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं के साथ कार्य करना अथवा उन्हें सहायता देना।

(छ) विद्यालय स्तरीय शिक्षा संबंधी उन्नत विचारों तथा सूचनाओं का एकत्रीकरण और प्रसारण।

(ज) राज्य प्रशासन को तथा अन्य संगठनों को विद्यालय स्तरीय शिक्षा के स्तरोन्नयन के संबंध में परामर्श देना।

(झ) अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक पुस्तकों, सामग्री, पत्रिकाओं तथा अन्य साहित्य का निर्माण तथा प्रकाशन।

(ट) ऐसे सभी कृत्यों का करना, जो परिषद् अपने प्रमुख उद्देश्यों के लिये आवश्यक अनिवार्य या लाभप्रद समझे, शैक्षिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, शैक्षिक कार्यकर्ताओं का उच्च स्तरीय व्यवसायिक प्रशिक्षण और विद्यालयों में विस्तार सेवा की सुविधा देना।

(ठ) राज्य सरकार द्वारा संदर्भित शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संबंधी अन्य कार्य सम्पादित करना।

इन उद्देश्यों के सन्दर्भ में स्पष्ट करना समीचीन होगा कि शैक्षिक अनुसंधान, नीति-निर्धारण, स्कूलों में अध्यापन तथा शैक्षिक प्रशासन और नियोजन में गुणता, उन्नति और सुधार के उपायों से संबंधित होंगे। मूल अनुसंधान विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् या अन्य संस्थाओं को सहयोग देने और सहकारिता के आधार पर सम्बद्ध होने तक सीमित रह जायगा। अनुसंधानों में कार्यरत शोध (एक्शन रिसर्च) को भी प्रमुखता दी जायेगी, जिससे कार्यरत अध्यापकों और विद्यालयों को भी उन्नत विधियां विकसित करने में प्रोत्साहन मिले। प्रशिक्षण के क्षेत्र में मुख्यतः सेवारत प्रशिक्षण के कार्यक्रम लिये जायेंगे, जिनमें अध्यापकों के अतिरिक्त शैक्षिक प्रशासकों तथा नियोजकों का प्रशिक्षण भी सम्मिलित होगा।

2--परिषद् का गठन निम्नवत् है :--

(1)	शिक्षा मंत्री	अध्यक्ष
(2)	शिक्षा सचिव	उपाध्यक्ष
(3)	वित्त सचिव या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
(4)	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के प्रतिनिधि	सदस्य
(5)	राष्ट्रीय योजना एवं प्रशासन संस्थान, दिल्ली के प्रतिनिधि	सदस्य
(6)	शिक्षा निदेशक	सदस्य
(7)	श्री श्रीनिवास शर्मा, सेवा निवृत्त शिक्षा निदेशक, सी-46, निराला नगर लखनऊ।	सदस्य
(8)	श्रीमती शान्ति तनखा, सेवा निवृत्त प्रधानाचार्या, चाइना गेट (अमेरिकन लाइब्रेरी के सामने), लखनऊ।	सदस्य
(9)	निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश।	सदस्य सचिव

3--परिषद के निम्नलिखित विभाग, संबंधित संस्थाओं/कार्यालयों के माध्यम से परिषद् के निदेशक, जो इनके विभागाध्यक्ष भी हैं, के सीधे नियन्त्रण में कार्य करती हैं:--

1—आरम्भिक शिक्षा विभाग	..	राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद
2--मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग	..	राज्य केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद।
3--गणित और विज्ञान विभाग :	..	राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद।
4--मनोविज्ञान और निदेशन विभाग	..	मनोविज्ञान शाला, इलाहाबाद।
5--शैक्षिक तकनीकी विभाग	..	शैक्षिक तकनीकी संस्थान, लखनऊ तथा शिक्षा प्रसार कार्यालय, इलाहाबाद।
6--हिन्दी भाषा विभाग	..	राज्य हिन्दी संस्थान, वाराणसी।
7--अंग्रेजी भाषा विभाग	..	अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान, इलाहाबाद।
8--प्रकाशन विभाग	..	पाठ्य पुस्तक अधिकारी लखनऊ।

4--शिक्षा के क्षेत्र में जो समस्यायें हैं उनके निदान के लिये नये प्रयोगात्मक कार्यक्रमों और व्यावहारिक तथा उपयोगी, शोधों, प्रयोगों, सर्वेक्षणों, अध्ययनों और अनुसंधानों की आवश्यकता है। इनके अतिरिक्त इस बात की भी आवश्यकता है कि जो अनुसंधान विभिन्न संस्थानों या एन० सी० ई० आर० टी० द्वारा पूर्व में किये गये हैं, उनके निष्कर्षों की जानकारी अध्यापकों और प्रशासकों को कराई जाये। शिक्षा के वे विषय जिन पर विशेष ध्यान दिया जाता है और जिनकी समस्याओं के विषय में कार्य तत्काल किया जाना है वे शिक्षा के सार्वजनीकरण,

दस वर्षीय पाठ्यक्रम, विज्ञान शिक्षा की समस्या, सामाजिक विज्ञान की नयी संकल्पना और उसकी शिक्षण विधि अंग्रेजी भाषा के शिक्षण के गिरते हुए स्तर के सुधार की समस्या, जनसंख्या शिक्षा, राष्ट्रीय एकीकरण के लिये मानवीय मूल्य की शिक्षा, नये दस वर्षीय पाठ्यक्रम के लिये अध्यापकों के प्रशिक्षण में संशोधन, शिक्षा के व्यवसायीकरण के संदर्भ में छात्रों को उपयुक्त मनोवैज्ञानिक निर्देशन आदि हैं। इसमें से प्रत्येक पर प्रयोगात्मक कार्य व्यवहारिक शोध और उपयुक्त प्रकाशन तथा अध्यापकों और प्रशासकों के मार्गदर्शन एवं उनमें विशेषज्ञता की वृद्धि हेतु तथा गुणात्मक सुधार कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

5—परिषद् के अन्तर्गत विभिन्न इकाइयों में प्रमुखतः पुनर्शिक्षण (सेवारत) के अन्तर्गत ऐसे कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं और भविष्य में लिये जायेंगे जिनका राज्य के स्कूल स्तर की शैक्षिक समस्याओं, और शिक्षा विकास तथा स्तरोन्नयन से (प्रत्यक्ष) संबंध है। प्रशिक्षण के अन्तर्गत कार्यक्रमों का विवरण निम्नलिखित है :—

नये कार्य क्रम

(1) प्रचलित कार्यक्रमों के अतिरिक्त एक नये कार्यक्रम के अन्तर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अन्य विद्यालयों के अध्यापकों को प्रक्षेप उपकरणों और कम व्यय के उपकरणों के व्यवहारिक उपाय तथा फिल्म स्क्रिप्ट/स्लाइड बनाने का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(2) राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रोन्नति से नियुक्त होने वाले प्रधानाध्यापकों को शैक्षिक प्रबन्ध तथा प्रशासन में दक्षता के लिये एक प्रशिक्षण देने की योजना प्रारम्भ कर दी गई है।

(3) राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से अनुसंधान की विधियों और मूल्यांकनों की नई विधियों में अधिकारियों का प्रशिक्षण कराया गया।

(4) सामुदायिक गायन में संगीत अध्यापकों का प्रशिक्षण कराया गया।

(5) गणित की नवीन शिक्षा "कामेट" के अन्तर्गत प्रशिक्षण।

सेवापूर्व प्रशिक्षण

क—राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद में एल0 टी0 (सामान्य) स्नातकोत्तर शिक्षक-प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम तथा उपचारात्मक शिक्षा-विशेषीकरण के प्रशिक्षण चल रहे हैं। उप-चारात्मक शिक्षा में दक्षता-विषयक कार्यक्रम मात्र इस संस्थान में ही चलता है। एल0 टी0 पाठ्यक्रम मे सभी प्रशिक्षणार्थी इसमें सम्मिलित रहते हैं।

ख—मनोविज्ञानशाला, इलाहाबाद में 10 माह की अवधि का मनोवैज्ञानिक निर्देशन नामक एक डिप्लोमा प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य बौद्धिक व्यक्तित्व परीक्षणों का व्यावहारिक ज्ञान कराना, निर्देशन और परामर्श की व्यावहारिक उपयोगिता से परिचय कराना तथा आधुनिक मनोविज्ञान के सिद्धान्तों व सांख्यिकी का पूर्ण बोध कराना है।

सेवाकालीन प्रशिक्षण

क—राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद

1—पत्राचार प्रणाली द्वारा बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण। इसमें अप्रशिक्षित अध्यापकों को दो वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है।

2--अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों पर कार्यरत अध्यापकों को वर्ष में एक बार प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है।

ख--मनोविज्ञान शाला, इलाहाबाद

1--उत्तर प्रदेश के मनोविज्ञान तथा शिक्षा शास्त्र के इण्टरमीडिएट कालेजों के प्रवक्ताओं को शिक्षा एवं मनोविज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम उपलब्धियों से अवगत् कराने का तीन सप्ताह का कार्यक्रम।

2--उन्हें निर्देशन एवं परामर्श की व्यावहारिक क्रिया विधियों से परिचित कराने का तीन सप्ताह का कार्यक्रम।

ग--शिक्षा प्रसार विभाग, इलाहाबाद श्रव्य दृश्य उपादान प्रशिक्षण, जिसकी अवधि दो सप्ताह है।

घ)—आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान इलाहाबाद

1—आंग्ल भाषा प्रशिक्षण डिप्लोमा – इसका उद्देश्य हाई स्कूल/इंटर कक्षाओं के रिसोर्स परसन तैयार करना तथा उनकी अंग्रेजी शिक्षण क्षमता में वृद्धि करना है।

2--सतत् शिक्षा—इसका उद्देश्य हाई स्कूल स्तरीय अंग्रेजी शिक्षकों का पुनर्बोधन तथा उनकी अनुभूत शैक्षिक कठिनाइयों का निराकरण करना है

3--पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण द्वारा हाईस्कूल स्तरीय अंग्रेजी शिक्षकों का पुनर्बोधन तथा उनकी अनुभूत शैक्षिक कठिनाइयों का निराकरण होता है।

4—अनुगमन गोष्ठियों का उद्देश्य जूनियर हाई स्कूल/हाई स्कूल स्तर पर कक्षा शिक्षण की वास्तविक स्थिति की जानकारी देना तथा शिक्षकों की अनुभूत शैक्षणिक कठिनाइयों का निराकरण करना एवं अंग्रेजी तथा भाषा शिक्षण के एक महत्वपूर्ण अंश पर चर्चा करना है।

5--क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों के माध्यम से बेसिक स्तर के पुनर्बोधन/प्रशिक्षण कार्यक्रम से जूनियर हाई स्कूल स्तर के शिक्षकों के सस्वर पठन के सुधार, लिखित कार्य में सुधार तथा उनकी कठिनाइयों का निराकरण का प्रयत्न किया जाता है।

ङ--राजकीय केंद्रीय अध्ययन विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद सतत शिक्षा तथा पुनर्बोधात्मक शिक्षा के कार्यक्रम माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लाभार्थ चलाये जाते हैं।

च—राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा निम्नलिखित प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं।

(1) जूनियर हाई स्कूल स्तरीय विज्ञान अध्यापकों के लाभार्थ पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण,

(2) हाई स्कूल स्तरीय विज्ञान, जीव विज्ञान एवं गणित अध्यापकों के लाभार्थ पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण।

(3) हाई स्कूल विज्ञान–1 में विज्ञान, जीव विज्ञान अध्यापकों एवं संदर्भ व्यक्तियों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण।

(4) दीक्षा विद्यालय के विज्ञान अध्यापकों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण।

(5) शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं निरीक्षकों का प्रशिक्षण।

(6) राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण।

अनुसंधान/अध्ययन कार्यक्रम

(क) प्रारम्भिक स्तर

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के विद्यालयों में प्रवेश न लेने और पढ़ाई छोड़ने के कारणों का अध्ययन तथा समाधान के उपायों का प्रभाव। (राज्य शिक्षा संस्थान)।

(2) अनौपचारिक (प्रारम्भिक) शिक्षा के कार्यान्वियन की शैक्षिक समस्यायें तथा उनके निदान (राज्य शिक्षा संस्थान)।

(3) प्राइमरी स्तर पर ह्रास और अवरोध का अध्ययन एवं अन्य अनुसंधान/पाठ्यक्रम विकास (राज्य शिक्षा संस्थान)।

(4) कक्षा एक से आठ तक के समाजोपयोगी उत्पादक कार्य विषयक कार्यक्रम (राज्य शिक्षा संस्थान)।

(5) विद्यालयों में प्राइमरी स्तरीय शिक्षकों की कार्य प्रणाली तथा विद्यालय समय के बाहर उनके अवकाश के समय के उपयोग का अध्ययन (राज्य शिक्षा संस्थान)।

(6) कक्षा 6, 7 तथा 8 हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण (राज्य शिक्षा संस्थान।

पाठ्य पुस्तक

(7) कक्षा 6, 7 एवं 8 की इतिहास तथा नागरिक शास्त्र विषयक राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों तथा हमारे पूर्वज पुस्तक का पुनर्लेखन (राज्य शिक्षा संस्थान)।

(8) नवीन प्रस्तावित पाठयक्रम के अनुसार प्रारम्भिक स्तरीय पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन (राज्य शिक्षा संस्थान)।

(9) मुद्रण की गुणवत्ता की दृष्टि से पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा। (पाठ्य पुस्तक विभाग)।

(10) मानवीय एवं सामाजिक मूल्यों की दृष्टि से भाषा एवं सामाजिक विज्ञान विषयक पुस्तकों की विषय-सामग्री का विश्लेषण (पाठ्य पुस्तक अनुभाग)।

(11) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन की प्रक्रिया की व्यापक समीक्षा तथा सुधार के लिये प्रस्ताव (पाठ्य पुस्तक अनुभाग)।

विज्ञान शिक्षा

(12) अध्यापकों द्वारा जूनियर हाई स्कूल कक्षाओं के विज्ञान शिक्षण में विज्ञान किटों का उपयोग न करना एक अध्ययन (विज्ञान संस्थान)।

(13) जूनियर हाई स्कूल कक्षाओं हेतु रसायन विज्ञान किट गाइड का विकास (विज्ञान संस्थान)।

भाषा शिक्षण

(14) सामाजिक विषय की राष्ट्रीय कृत पाठ्य पुस्तकों (कक्षा 1 से 5 तक) में भाषागत प्रयोग का मूल्यांकन (हिन्दी संस्थान)।

(15) राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों में लोकोक्तियों (कविताओं) मुहावरों तथा सूक्तियों का प्रयोग (हिन्दी संस्थान)।

(16) प्राथमिक स्तर के छात्रों की संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण संबंधी त्रुटियों का अध्ययन (सर्वेक्षण के आधार पर) (हिन्दी संस्थान)।

(17) पूर्व माध्यमिक स्तर के छात्रों की क्रिया, क्रिया-विशेषण संबंधी त्रुटियों का अध्ययन (सर्वेक्षण के आधार पर) (हिन्दी संस्थान)।

(18) विज्ञान विषय की राष्ट्रीयकृत पुस्तकों (कक्षा 6 से 8 तक) में भाषागत प्रयोग का मूल्यांकन (हिन्दी संस्थान)।

(19) पूर्व माध्यमिक स्तर पर हिन्दी व्याकरण शिक्षण की विधियां (हिन्दी संस्थान)।

(20) कक्षा 6 में अंग्रेजी शिक्षण में मातृभाषा के लाभप्रद उपयोग (अंग्रेजी संस्थान)।

(21) कक्षा 7 के छात्रों द्वारा की जा रही अशुद्धियों का आलोचनात्मक अध्ययन (अंग्रेजी संस्थान)।

(22) कक्षा के मौखिक कार्य में मास मीडिया के द्वारा अध्यापकों को प्रदत्त बढ़ते सहयोग के प्रकार का अध्ययन (अंग्रेजी संस्थान)।

(23) छात्रों के हस्त-लेख की अशुद्धियों तथा उनके उपचार के मार्ग का अध्ययन (अंग्रजी संस्थान)।

(24) प्रारम्भिक स्तर के अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त पठन तथा लेख विधियों का तुलनात्मक अध्ययन (अंग्रेजी सस्थान)।

ख–माध्यमिक स्तर

(1) माध्यमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यक्रम का विकास (विज्ञान संस्थान)।

(2) उत्तर प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा हेतु सुविधायें - तृतीय चक्र (एक अग्रगामी अध्ययन) अध्यापन (विज्ञान संस्थान)।

(3) जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल स्तर पर गणित एवं हिन्दी में निदान सूचक परीक्षणों की रचना। (अध्यापन विज्ञान संस्थान)।

(4) जनपद स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक के प्रशासन का विश्लेषणात्मक अध्ययन (अध्यापन विज्ञान संस्थान।)

(5) अध्यापन शिक्षा में कक्षा शिक्षण अभ्यास में टीचिंग माडल एप्रोच (एम0 सी0ई0आर0टी0 के साथ) (अध्यापन विज्ञान संस्थान)।

(6) एल0टी0 सामान्य परीक्षा 1984 के परीक्षाफल में बाह्य तथा आन्तरिक मूल्यांकन का विश्लेषण (अध्यापन विज्ञान संस्थान)।

(ग) मनोविज्ञान एवं शैक्षिक व्यावसायिक परामर्श

(1) सृजनात्मक एवं बौद्धिक स्तर संबंधी एक अध्ययन (मनोविज्ञान शाला)।

(2) अध्यापक सदृश गुण (टी0 एल0 क्यू0) संबंधी अभिरुचि परीक्षण का निर्माण (मनोविज्ञानशाला)।

(3) भारतीय संस्कृति के अनुरूप सामान्य व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण-(मनोविज्ञानशाला)।

(4) चिल्ड्रेन एपरसेप्शन टेस्ट के प्रति उत्तर प्रदेश के बालकों की प्रतिक्रियाओं का मनोवैज्ञानिक अध्ययन (मनोविज्ञानशाला)।

(5) एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षण का इण्टरमीडिएट परीक्षण से सह संबंधी अध्ययन (मनोविज्ञानशाला)।

(6) अंग्रेजी में लिखित कार्य के शिक्षण में सुधार के सुझाव (अंग्रेजी संस्थान)।

(7) हाई स्कूल एवं जूनियर हाई स्कूल स्तरीय अंग्रेजी शिक्षण में सुलभ सुविधाओं का विश्लेषण तथा उत्तर प्रदेश में हो रहे उपयोग का अध्ययन (अंग्रेजी संस्थान)।

(8) उत्तर प्रदेश के अंग्रेजी शिक्षकों के प्रशिक्षण में प्रयुक्त कार्यक्रमों का मूल्यांकन (अंग्रेजी संस्थान)।

अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम

शैक्षिक तकनीकी कार्यक्रम

प्रदेश में इनसेट परियोजनान्तर्गत शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रम की वृहत एवं महत्वाकांक्षी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश के तीन जनपदों बस्ती, गोरखपुर और आजमगढ़ के ग्रामीण अंचलों में स्थित 900 प्राथमिक विद्यालयों के लिये शैक्षिक तकनीकी संस्थान, लखनऊ के अन्तर्गत कार्यरत शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रम निर्माण केन्द्र द्वारा शैक्षिक कार्यक्रमों के वीडियो टेप निर्मित किये जायेंगे। इन शैक्षिक कार्यक्रमों से संबंधित निर्मित वीडियो टेपों को इनसेट 1–बी तथा नवस्थापित दूरदर्शन केन्द्र, गोरखपुर के माध्यम से प्रसारण कराया जायगा।

इनसेट परियोजना से सेवित जनपदों गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ के चयनित 900 ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में वितरित किये जाने वाले टेलीविजन सेटों के रखरखाव एवं इस नयी विद्या से परिचित कराने के लिये 1800 अध्यापक/कस्टोडियनों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है।

चयनित प्राथमिक विद्यालयों में बिजली के कनेक्शन ग्रामीण विद्युतीकरण विभाग के माध्यम से दिये जा रहे है। इन विद्यालयों हेतु भारत सरकार द्वारा टेलीविजन सेटों की आपूर्ति के लिये भारत सरकार ने दूरदर्शन केन्द्र नई दिल्ली को दायित्व सौपा है और 96 सेटों की पहली किश्त दूरदर्शन केन्द्र गोरखपुर के माध्यम से उपलब्ध करायी जा चुकी है। टेलीविजन सेटों की अगली किश्त शीघ्र ही आने की संभावना है। इस प्रकार 900 टी0 वी0 सेट ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में लगायें जायेंगे।

शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रमों के उत्पादन हेतु इसरो के अभियंताओं की देख-रेख में स्थायी स्टूडियो का निर्माण किया जा रहा है। यह स्टूडियो मार्च 1985 तक निर्मित हो जायेगा।

श्रव्य दृश्य शिक्षा

शिक्षा प्रसार विभाग सामाजिक शिक्षा एवं श्रव्य दृश्य शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है यह विभाग अब परिषद के अधीन है और मुख्य रुप में शिक्षण के लिये श्रव्य दृश्य उपादानों के निर्माण और विद्यालयों में उनके सहयोग से प्रभावी शिक्षा देने की विद्या को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। श्रव्य दृश्य उपादानों के निर्माण तथा उनके शिक्षण में प्रभावी उपयोग के संबंध में आवश्यक साहित्य के सृजन की दिशा में प्रयत्नशील है।

चलचित्र निर्माण

वर्ष 1985–86 में प्राथमिक कक्षाओं में "विज्ञान शिक्षा" से संबंधित सावधानियों और विधाओं से अवगत कराने के लिये विज्ञान किट के उपयोग पर आधारित चलचित्र का निर्माण कराया जायगा। श्रव्य दृश्य शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र पर श्रव्य दृश्य उपादानों के उपयोग का प्रशिक्षण देने के साथ ही चित्रपट्टियों के तथा शैक्षिक श्रव्य दृश्य उपादानों का निर्माण कराया जायगा।

आख्यागत वर्ष में निम्नांकित चलचित्रों के निर्माण का कार्य लिया गया है:—

(1) अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित चलचित्र।
(2) शिक्षकों को प्रदत्त सुविधायें।
(3) विज्ञान किट (प्राइमरी) का उपयोग
(राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के सहयोग से)
(4) शिक्षा विभाग के कार्यकलाप।
(5) उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक झलकियां।

जनपद, मण्डल एवं राज्य स्तर की विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन

छात्रों की जिज्ञासा उद्बुद्ध करने, उन्हें नवीन वैज्ञानिक तथ्यों, नियमों व प्रक्रियाओं से अवगत कराने सूक्ष्म निरीक्षण करने तथा प्रयोगात्मक कार्य में दक्ष बनाने एवं उनमें स्वतंत्र चिन्तन एवं मौलिकता सृजित करने हेतु प्रत्येक वर्ष जनपद, मण्डल तथा राज्य स्तर की विज्ञान प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष जनपद एवं मण्डल स्तर की विज्ञान प्रदर्शनियों का आयोजन सितम्बर तथा अक्टूबर 1984 में किया गया। राज्य स्तर की विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन स्वराज्य भवन/बाल भवन इलाहाबाद में दिनांक 3–12–84 से 7–12–84 तक किया गया।

यूनीसेफ सहायता प्राप्त परियोजनायें

राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा निम्नलिखित यूनीसेफ पोषित परियोजनायें चलाई गई:—

(1) परियोजना संख्या—1—ए

पोषण स्वास्थ्य, स्वास्थ्य शिक्षा व पर्यावरणीय स्वच्छता की परियोजना अग्रगामीकरण में है, इस परियोजना के अन्तर्गत बच्चों एवं उनके अभिभावकों को उनके उत्तम स्वास्थ्य, सामान्य शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु पोषण की आवश्यकता सम्बन्धी ज्ञान, बच्चों को पौष्टिक भोजन का चयन, उसकी तैयारी एवं संरक्षण संबंधी ज्ञान देने तथा वांछनीय स्वास्थ्यप्रद, पर्यावरणीय स्वच्छता संबंधी प्रवृत्तियों का विकास करने का उद्देश्य रखा गया है।

परियोजना के कार्यान्वयन हेतु इलाहाबाद जनपद के कौड़िहार तथा चायल विकास खण्डों के 100 प्राइमरी विद्यालयों का चयन किया गया। इन विकास खण्डों के अधिकतर निवासी आदिवासी, परिगणित जाति तथा पिछड़ी जाति के हैं। इन क्षेत्रों के निवासियों की पोषण, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता संबंधी आदतों को पहले एक सर्वेक्षण द्वारा ज्ञात किया गया। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पाठ्यक्रम का विकास तथा तदनुरुप पाठ्य-सामग्री तैयार की गयी। कक्षा 1 एवं 2 के लिये चित्रों पर आधारित पुस्तक तथा कक्षा 3 के लिये कहानियों आदि के माध्यम से सामग्री प्रस्तुत की गयी है। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के प्रभावी शिक्षण हेतु शिक्षक संदर्शिका की संरचना की गयी। कक्षा 3 की पुस्तक तथा शिक्षक संदर्शिका विद्यालयों को दी जा चुकी है तथा उसके अनुरुप कार्य किया जा रहा है। इसके लिये समस्त विद्यालयों के लगभग 550 शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी सम्पादित किया जा चुका है। समुदाय के लिये भी शैक्षणिक सामग्री निर्माणाधीन है तथा समुदाय-सम्पर्क कार्यक्रम दोनों विकास खण्डों में आयोजित किया जा रहा है।

(2) पाठ्यक्रम नवीनीकरण परियोजना

यह परियोजना अपने राज्य में वर्ष 1976 से चलायी जा रही है। प्राथमिक चरण में यह प्रदेश मे तीन जनपदों के 30 प्राथमिक विद्यालयों में लागू की गयी। वर्ष 1980 में इसका विस्तार प्रदेश के 15 जनपदों के 150 प्राथमिक विद्यालयों में कर दिया गया। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के लिए एक ऐसा पाठ्यक्रम एवं पुस्तकें विकसित करना है जो आवश्यकता परक, जीवनोपयोगी एवं सार्थक हों।

अब तक कक्षा 1 से 5 तक का पाठ्यक्रम विकसित करके प्रयोगाधीन 150 प्राथमिक विद्यालयों में दे दिया गया है। इस संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 1 से 4 तक की पाठ्य पुस्तकें एवं शिक्षक संदर्शिकायें सभी 150 प्राथमिक विद्यालयों में परीक्षण हेतु भेजी जा चुकी है। लगभग 10,000 छात्र इनका प्रयोग कर रहे हैं। कक्षा 1 तथा 2 की सामग्री परीक्षणोपरान्त संशोधित कर दी गयी है। पाठ्य पुस्तकें भेजने के पूर्व संबंधित शिक्षक प्रशिक्षकों तथा प्राथमिक शिक्षकों का अभिनवीकरण किया गया। अब तक लगभग 3460 शिक्षक प्रशिक्षकों तथा शिक्षकों को अभिनवीकृत किया जा चुका है।

परियोजनान्तर्गत रचित कक्षा 1 से 5 तक का पाठ्यक्रम तथा कक्षा 1 से 3 तक की पाठ्य पुस्तकें क्रमशः प्रदेश में लागू करने के लिये बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं।

(3) सामुदायिक शिक्षा एवं सहभागिता में विकासात्मक क्रियाकलाप

राज्य के 5 सामुदायिक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से यह परियोजना चलायी जा रही है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य विद्यालय न जाने वाली जनसंख्या के लिये शैक्षिक

आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्यक्रमों का विकास एवं संचालन करना है। क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों को चलाने वाले विभिन्न अभिकरणों की सहायता से समुदाय का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना भी इस योजना का लक्ष्य है। इन केन्द्रों पर 0–3 वय वर्ग एवं प्रत्याशी माताओं के लिये कार्यक्रम 3–6 वय वर्ग हेतु नर्सरी शिक्षा, 6–14 वय वर्ग हेतु अनौपचारिक शिक्षा 15–35 एवं ऊपर के वय वर्ग हेतु प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अतिरिक्त स्वस्थ मनोरंजन, सामान्य शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत स्थानीय शिल्पों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

परियोजना के अन्तर्गत 6–11 वय वर्ग हेतु अनौपचारिक शिक्षा हेतु पाठ्य पुस्तकों प्रौढ़ों के लिये प्रवेशिका एवं सामन्य शिक्षा कार्यक्रम हेतु लघु पुस्तिकाओं का विकास किया जा चुका है। कार्यकर्त्ताओं, शिक्षकों, शिक्षक-प्रशिक्षकों एवं पर्यवेक्षकों के अभिनवीकरण कार्यक्रम भी आयोजित किये गये हैं। पांचों केन्द्रों का आन्तरिक मूल्यांकन भी किया जा चुका है। 11–14 वय वर्ग हेतु अनौपचारिक शिक्षा हेतु शैक्षणिक सामग्री का विकास मुद्रण प्रशिक्षण एवं अभिनवीकरण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

(4) पूर्व प्राथमिक शिक्षा की परियोजना

फरवरी 1983 से तीन वर्षों के लिये यह परियोजना आरम्भ की गयी है। इसका उद्देश्य परिवार में शिक्षा प्राप्त करने वाले शिशु सदस्यों को रचनात्मक खेलों एवं विकासात्मक क्रियाओं द्वारा प्राथमिक स्तरीय शिक्षा में प्रवेश करने हेतु तैयार करना है। इस योजना के के अन्तर्गत चायल ब्लाक के 61 प्राथमिक विद्यालय संस्थान से संलग्न शोध आदर्श विद्यालय, राजकीय दीक्षा विद्यालय, शिवकुटी, इलाहाबाद तथा राजकीय (महिला) दीक्षा विद्यालय, इलाहाबाद से संलग्न प्रायोगिक पाठशाला को प्रयोग के लिये चुना गया है। केन्द्रों के चुनाव के अतिरिक्त पर्यवेक्षकों, प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया है। बालक शिक्षोपकरण साधन कार्यक्रम के अन्तर्गत कला, संगीत एवं खेल अध्यापक/अध्यापिकाओं को भी प्रशिक्षित किया गया है। बाल साहित्य तथा शिक्षक संदर्शिका का विकास किया जा चुका है। इनके प्रकाशन की व्यवस्था की जा रही है। पूर्व प्राथमिक शिक्षिकाओं की नियुक्ति के लिये प्रयत्न किया जा रहा है।

(5) प्राथमिक शिक्षा व्यापक उपागम

इस परियोजना के अन्तर्गत 9–14 वय वर्ग के उन बच्चों को शिक्षा दी जायेगी, जो किन्हीं कारणों से विद्यालय छोड़ गये हैं अथवा उन्होंने विद्यालय में प्रवेश ही नहीं लिया है। प्रदेश में यह परियोजना प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन करने तथा 9 से 14 वय वर्ग के बच्चों को आवश्यकता एवं समस्याओं पर आधारित तथा जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 1979 से लागू की गयी है। इसके मुख्य उद्देश्य पर्यावरण तथा स्थानीय समस्याओं पर आधारित कार्यपरक, नमनीय विकेन्द्रित पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री का विकास करते हुये जो बच्चे विद्यालय नहीं गये अथवा जिन्होंने विद्यालय छोड़ दिया है उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है।

इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण परिषद के मार्ग दर्शक बिन्दुओं के आधार पर बी0 टी0 सी0 पाठ्यक्रम संशोधित किया गया। सभी दीक्षा विद्यालयों के प्रधानों, शिक्षक-प्रशिक्षकों, समन्वयकों तथा ग्राम सेवक, ग्राम सेविकाओं को परियोजना की संकल्पना एवं सामग्री के विकास तथा प्रकरणों की प्रविधि में प्रशिक्षित किया गया। प्रदेश के जनपद स्तरीय तथा ब्लाक स्तरीय शिक्षा अधिकारियों को भी परियोजना की संकल्पना एवं पर्यवेक्षण के संदर्भ में प्रशिक्षित किया गया। शैक्षणिक सामग्री के चित्रों के निर्माण हेतु चित्रकारों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्राइमरी स्तर के लिये अधिगम सामग्री तैयार की गयी तथा

मिडिल स्तर के लिये अधिगम सामग्री के निर्माण का कार्य हो रहा है। साथ ही प्रत्येक राजकीय दीक्षा विद्यालय तथा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से संलग्न अधिकतम केन्द्रों के संचालन की व्यवस्था पूर्ण कर ली गयी है।

(6) अभिनवीकृत विद्यालय परियोजना

इसके अन्तर्गत इलाहाबाद जनपद के मूरतगंज विकास खण्ड के दस प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया गया है। इन विद्यालयों के मौलिक स्वरुप में सुधार तथा उनकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु संस्थागत नियोजन के विभिन्न सोपान का अनुसरण विभिन्न विषयों के प्रभावी शिक्षण हेतु अध्यापकों की शैक्षिक कठिनाईयों का निराकरण भाषा गणित, विज्ञान तथा सामाजिक विषय के आदर्श पाठों की शिक्षण व्यवस्था, ह्रास-अवरोध के निराकरण के प्रयास, स्वच्छता (भवन एवं बालक बालिकाओं की) का बोध एवं प्रसार, सुलेख का अभ्यास, उच्चारण एवं वर्तनी सुधार, नैतिक शिक्षा की व्यवस्था तथा समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों की योजना के कार्यकलापों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। गत सत्र में इन कार्यों को विकास खण्ड सोरव के दस विद्यालयों में सम्पन्न किया गया था।

जनसंख्या शिक्षाः

जनसंख्या शिक्षा के महत्व की पृष्ठभूमि में 6-14 वय वर्ग के शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों को भी देश की वर्तमान जनसंख्या स्थिति से अवगत कराना आवश्यक है जिससे बच्चों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सके। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी में जन संख्या स्थिति के प्रति सामान्य चेतना विकसित करना तथा शिक्षकों को इस दिशा में जागरूक बनाना है जो प्रत्यक्ष रुप से छात्रों में व्यवहार परिवर्तन हेतु उत्तरदायी हैं। यह शैक्षिक कार्यक्रम मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में एक रचनात्मक कदम है।

परियोजनान्तर्गत कक्षा 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम का प्रारुप तथा प्राइमरी जूनियर एवं माध्यमिक स्तरीय जनसंख्या शिक्षा पाठ्यक्रम तथा प्रारम्भिक एवं माध्यमिक स्तरीय शिक्षक-प्रशिक्षक एवं अनौपचारिक संवर्ग हेतु पाठ्यक्रम का विकास किया जा चुका है। इसी प्रकार प्रारम्भिक स्तरीय पाठ्य सामग्री का विकास तथा विभिन्न विषयों की पाठ्य पुस्तकों में जनसंख्या शिक्षा संबंधी विषयवस्तु का समावेश तथा कक्षा 9-10 की सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान की पुस्तकों में भी सामग्री का समावेश किया जा चुका है।

अनौपचारिक शिक्षा संवर्ग हेतु नमूने की पाठ्य सामग्री का विकास हुआ है तथा चार्टो पोस्टरों एवं प्रोटो-टाइप फोल्डर का निर्माण करते हुये कार्टो की सहायता से फिल्म स्ट्रिप्स का निर्माण भी किया गया है, फिल्म स्ट्रिप्स को फिल्म साइज में बदल कर प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु उसके 70 सेट तैयार किये गये हैं तथा 18 प्रकाशनों हेतु सामग्री तैयार की गई।

महत्वपूर्ण विषयों पर संदर्शिकायें

नया पाठ्यक्रम और विज्ञान प्रयोगशाला

नये पाठ्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा 9-10 में विज्ञान की अनिवार्य शिक्षा के लिये उपकरण और प्रयोगशाला की व्यवस्था न्यूनतम व्यय में किये जाने की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुये यह निर्देश पुस्तिका तैयार करायी गयी है। इस [illegible] की सभी शाखाओं के लिये मिली जुली प्रयोगशाला [illegible] और रसायनों की विस्तृत सूचियां है।

National Institute of Educational
Planning and Aministration
17-B,SriAurbindo Marg,NewDelhi-110016
DOC. No.........................
Date.............................

विज्ञान–1 अध्यापन सदर्शिका

नये पाठ्यक्रम के अन्तर्गत अनिवार्य विज्ञान (विज्ञान–1) एक नया विषय है। परिषद द्वारा विज्ञान (1) अध्यापन संदर्शिका प्रकाशित की गयी है, जो शिक्षण में रोचकता और प्रभावकारिता लाने के लिये उपयोगी सिद्ध होगी।

नये पाठ्यक्रम में आंतरिक मूल्यांकन

नये दस वर्षीय पाठ्यक्रम में नैतिक एवं शारीरिक शिक्षा तथा समाजोपयोगी एवं सेवा कार्य विषय का मूल्यांकन पूर्णतः आन्तरिक ही होना है और उसकी बाह्य परीक्षा अपेक्षित नहीं है। आन्तरिक मूल्यांकन की सही संकल्पना और उसके व्यवहारिक उपयोग से अध्यापक परिचित नहीं हैं। अतः उनके लिये एक संदर्शिका की आवश्यकता स्पष्ट है। इस आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से परिषद द्वारा एक शिक्षक सदर्शिका प्रकाशित की गयी है।

बालिकाओं की माध्यमिक स्तरीय शिक्षा

प्राइमरी शिक्षा में बालिकाओं के कम प्रवेश का एक मुख्य कारण माध्यमिक स्तर तक शिक्षित ग्रामीण महिलाओं की कमी भी है। माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा का संख्यात्मक विस्तार राज्य में अतिन्यून रहा है। इस देश का औसत 29 प्रतिशत है, जबकि इस राज्य में 16 ही चतुर्थ शैक्षिक सर्वेक्षण (1979) में था। अतः ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाओं की माध्यमिक शिक्षा के अवरोधक कारणों को वस्तुनिष्ठ शोध द्वारा ज्ञात करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से परिषद द्वारा इलाहाबाद और गोरखपुर के दो-दो विकास खण्डों में "अनुगामी परियोजना" के रूप में माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण बालिकाओं की शिक्षा के अवरोधक कारणों का लघु शोध सम्पादित कराया गया।

इस अध्ययन आख्या से कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आये। जैसे इलाहाबाद नगर से लगे हुये चायल और कौंड़िहार विकास खण्डों में माध्यमिक स्तर पर नामांकन केवल 2 प्रतिशत है, जबकि राज्य का ग्रामीण औसत 7 प्रतिशत है। इन दोनों विकास खण्डों में बालकों के 9 विद्यालय हैं, जबकि बालिकाओं के कोई भी नहीं हैं। बालकों के विद्यालयों में जो बालिकायें पढ़ रही थीं, उनमें से केवल 2 बालिकायें हाई स्कूल वैज्ञानिक वर्ग में थीं। 76 प्रतिशत अभिभावक आर्थिक दुर्बलता को बालिका शिक्षा की कमी का कारण मानते हैं। घरेलू काम को केवल 24 प्रतिशत ने अवरोधक बताया। परन्तु 91 प्रतिशत ने स्कूल आने जाने की असुरक्षा को कारण बताया। अधिकांश अभिभावक बालकों के स्कूल में पढ़ाने का साहस नहीं करते। सुझावों में बालिकाओं के अलग विद्यालय खोले जाने, बस की सुविधा मिश्रित विद्यालयों में महिला अध्यापिकाओं का प्रावधान आदि हैं।

ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान छात्रों की आवासीय शिक्षा योजना

राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान बालकों को कक्षा 8 के बाद चयन के उपरान्त कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा की विशेष आवासीय सुविधा की योजना 1976 से लागू है। यह योजना पूरे देश में अग्रगामी थी। परन्तु इसका कोई मूल्यांकन नहीं हुआ था, जिससे कमियों और सुधार की दिशायें ज्ञात होंती। अतः परिषद ने तीन शोध परियोजनाओं को प्रारम्भ किया। जिनके द्वारा प्रतिभावान बालकों के चयन को परीक्षा की विश्वसनीयता का मूल्यांकन इलाहाबाद और लखनऊ के विद्यालयों में योजना के कार्यान्वयन की दशा का मूल्यांकन तथा इन प्रतिभावान छात्रों के इण्टर स्तर पर उपलब्धियों की समीक्षा की गयी।

चयन-परीक्षा से सामाजिक विषय का पर्चा निकालने तथा बुद्धि परीक्षण जोड़ देने से परीक्षा की वैधता अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अब तक प्राप्त वैधता के समकक्ष हो जायगी।

वर्तमान रूप में अनेक प्रतिभावान छात्र चयनित नहीं हो पाते हैं । आख्या से अनेक महत्व-पूर्ण निष्कर्श निकले हैं, जिनके आधार पर योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में सुधार किया जाना, इसे प्रभावी और सफल बनाने के लिये आवश्यक है ।

गोष्ठियां और कार्यशालाएं

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कलकत्ता के तत्वाधान में अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह में राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन, नई दिल्ली में किया जाता है । इस संगोष्ठी में उत्तर प्रदेश से एक छात्र/छात्रा सम्मिलित होता है । इस छात्र/छात्रा के चयन हेतु प्रदेश के प्रत्येक जनपद में दिनांक 10–8–84 को जनपद स्तर की विज्ञान संगोष्ठियां आयोजित की गई । इन संगोष्ठियों के प्रत्येक विजेता छात्र/छात्रा को रु0 25 के मूल्य की पुस्तकें पुरस्कार स्वरुप प्रदान की गई तथा उनका चयन राज्य विज्ञान संगोष्ठी में प्रतिभाग करने हेतु किया गया । राज्य विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन दिनांक 3–9–84 को राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ में किया गया । इस संगोष्ठी के विजेता छात्र/छात्रा का चयन राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने हेतु किया गया । संगोष्ठी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को 200 रुपये के मूल्य की तथा अन्य 6 छात्र/छात्राओं को 100 रुपये मूल्य की पुस्तकें पुरस्कार स्वरुप प्रदान की गई । इस वर्ष राज्य विज्ञान संगोष्ठी में सुशीला देवी गर्ल्स इण्टर कालेज, कन्नौज की छात्रा कुमारी शिल्पी टण्डन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया ।

2—आल इण्डिया साइंस एजूकेशन प्रोजेक्ट के अन्तर्गत इण्टर स्तरीय भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान के प्रवक्ताओं हेतु संगोष्ठी/कार्यशाला के आयोजन संबंधी कायक्रम ब्रिटिश काउन्सिल के सहयोग से राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, उ0 प्र0, इलाहाबाद में किया गया, जिसमें प्रदेश के मण्डल स्तर पर आयोजित की जाने वाली कार्यशालाओं के लिये रिसोर्स परसनल प्रशिक्षित किये गये । इस कार्यशाला में चैल्सी कालेज लंदन से आये हुये दो विशेषज्ञों ने परामर्शी के रुप में तथा चेल्सी कालेज लंदन में प्रशिक्षित नौ इण्टरमीडियेट स्तरीय प्रवक्ताओं तथा दो एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 के विशेषज्ञों ने रिसोर्स परसोनल के रुप में कार्य किया । उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुवर्ती कार्यक्रम के रुप में राज्य के प्रत्येक मण्डल मे छः दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है ।

3—जूनियर हाई स्कूल तथा इण्टरमीडियेट स्तर पर विज्ञान के पाठ्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में हाई स्कूल विज्ञान–2 के पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी एवं प्रभावी बनाने की दृष्टि से इसकी विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु राज्य विज्ञान संस्थान द्वारा एक पांच दिवसीय कार्यशाला का आयोजन प्रस्तावित है ।

4—मण्डल स्तर पर विज्ञान शिक्षा उन्नयन संबंधी कार्य मण्डलीय विज्ञान अधिकारियों के माध्यम से सम्पन्न किये जाते है । इन अधिकारियों के माध्यम से प्रदेश के विशिष्ट संस्थानों म विज्ञान शिक्षा के उन्नयन के संबंध में किये गय चिन्तन एवं प्रयोगों को अध्यापकों तक पहुंचाया जाता ह । इन्हीं अधिकारियों द्वारा समय समय पर जनपद एवं मण्डल स्तर पर विज्ञान अध्यापकों की गोष्ठियां, कार्यशालाएं एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किये जाते है । संस्थान का मण्डलीय विज्ञान प्रगति अधिकारियों के साथ सम्पर्क बना रहने की दृष्टि से मण्डलीय विज्ञान अधिकारियों की समय समय पर संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं ।

5—राज्य शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम उत्पादन केन्द्र, लखनऊ के नवनियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को कुआलालम्पुर (मलयशिया) के सहयोग से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद/केन्द्रीय शैक्षिक टेक्नालाजी, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रम

के उत्पादन एवं भारत सरकार से निकट भविष्य में दिये जाने वाले विशिष्ट उपकरणों के रखरखाव आदि के संबंध में आयोजित कार्यशाला में गहन प्रशिक्षण दिया गया।

6—मनोविज्ञानशाला, इलाहाबाद द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षण के प्रश्न पत्र निर्माण की कार्यशाला का आयोजन सितम्बर 1984 माह में किया गया।

7—प्रधानाचार्यों के प्रबन्धकीय एवं अकादमिक प्रशिक्षण के सिलसिले में शैक्षिक प्रशासनिक एवं प्राविधिक प्रबन्ध कौशल के विकास हेतु प्रोन्नत प्रधानचार्यो (राजकीय) के प्रशिक्षण की योजनान्तर्गत वर्ष 1984–85 में 53 प्रधानाचार्यो को प्रशिक्षित किया गया।

8—राष्ट्रीय सद्भावना के लिये राष्ट्रीय स्तर पर संगीत अध्यापक/अध्यापिकाओं के लिय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के सहयोग से राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान द्वारा एक गायन शिविर जनवरी 1985 में आयोजित किये जाने की प्रस्तावना है।

9—राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के सहयोग से जनवरी 85 में राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान द्वारा सर्वेक्षण/संस्थागत नियोजन पर कार्यशाला के आयोजन की प्रस्तावना है।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रकाशन

प्रारम्भिक शिक्षा के पाठ्यक्रम—

(1) प्रारम्भिक स्तरीय पाठ्यक्रम संशोधन कार्यशाला की आख्या

(2) प्रारम्भिक स्तरीय पाठ्यक्रम (कक्षा 1 से 8 तक)
(संशोधित प्रारुप)

(3) प्रारम्भिक स्तरीय पाठ्यक्रम (कक्षा 1 से 8 तक)
(संशोधित प्रारुप का विश्लेषण)

हिन्दी शिक्षण—

(4) वर्तनी की अशुद्धियां वर्गीकरण एवं सुधार
(प्राथमिक स्तर)

(5) वर्तनी की अशुद्धियां वर्गीकरण एवं सुधार
(पूर्व माध्यमिक स्तर)

(6) वर्तनी की अशुद्धियां वर्गीकरण एवं सुधार
(माध्यमिक स्तर)

(7) राष्ट्रीय एकीकरण और हिन्दी
(कविता संग्रह)

(8) हिन्दी गद्य शिक्षण विशेषांक
(वाणी पत्रिका)

विज्ञान की शिक्षा—

(9) शिक्षक संदर्शिका—नये दस वर्षीय विज्ञान–1 पाठ्यक्रम के लिये (भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान)

(10) नये दस वर्षीय पाठ्यक्रम के विज्ञान–1 के लिये संदर्शिका—न्यूनतम उपकरण और प्रयोगशाला।

(11) राष्ट्रीय प्रतिभाखोज–शिक्षक संदर्शिका।

सामाजिक विज्ञान की शिक्षा—

(12) सामाजिक विज्ञान की संकल्पना और शिक्षण विधि (शिक्षक संदर्शिका)

(13) निदानात्मक परीक्षण—सामाजिक विषय (भूगोल, नागरिक शास्त्र, इतिहास) जू0 हा0 स्कूल कक्षा—7।

(14) उपचारात्मक शिक्षण—शिक्षक संदर्शिका

राष्ट्रीय एकीकरण की शिक्षा—

(15) गूंजते स्वर राष्ट्रीय एकीकरण (प्रेरक गीत एवं विचार) हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू

(16) राष्ट्रीय एकीकरण और हिन्दी (विशेषांक)

(17) अन्य भाषायी प्रदेश और हिन्दी (विशेषांक)

(18) हिन्दी की क्षेत्रीय बोलियां (विशेषांक)

(19) अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा—(शिक्षक संदर्शिका)

(20) नये दस वर्षीय पाठ्यक्रम में आन्तरिक मूल्यांकन (शिक्षक संदर्शिका)

(21) विकलांगों की एकीकृत शिक्षा संकल्पना एवं क्रियान्वयन

शिक्षा और मनोविज्ञान—

(22) उत्तर प्रदेश में मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवा (छात्रों और अध्यापकों के लिये)

(23) भारतीय परीक्षणों का सूचीपत्र (अंग्रेजी में)

(24) एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा द्वारा प्रतिभावान छात्रों की खोज का मूल्यांकन (अंग्रेजी में)

शैक्षिक लघु शोध तथा अध्ययन—

(25) माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा सुविधाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन (इलाहाबाद जनपद का ग्रामीण क्षेत्र) एक अग्रगामी अध्ययन।

(26) उत्तर प्रदेश में प्रतिभाशाली छात्रों की आवासीय शिक्षा योजना का अध्ययन।

(27) एल0टी0 पाठ्यक्रम में प्रविष्ट छात्रों की उपलब्धियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन।

(28) अध्यापक में वांछित गुणों का धारण, छात्रों, अध्यापकों और अध्यापक प्रशिक्षकों की दृष्टि से।

(29) माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध शैक्षिक तकनीकी (श्रव्य-दृश्य) संसाधनों उपकरणों की स्थिति एवं उपयोग विषयक अध्ययन।

(30) कम व्यय के दृश्य श्रव्य उपकरण (शिक्षक संदर्शिका)

शैक्षिक तकनीकी—

(31) उत्तर प्रदेश में इनसेट परियोजनान्तर्गत शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रम हेतु प्रस्तावित योजना।

(32) लखनऊ दूरदर्शन केन्द्र की प्रसारण परिधि में आने वाले सामूहिक (कम्युनिटी) व्यूइंग केन्द्रों का न्यादर्श सर्वेक्षण ।

(33) शैक्षिक प्रसारण के राष्ट्रीय निर्देश

नव साक्षरों तथा ग्रामीणों के लिये साहित्य—

(34) नव ज्योति —— कथा विशेषांक
(35) ,, —— लोक कथा विशेषांक
(36) ,, —— बीस सूत्री कार्यक्रम विशेषांक
(37) ,, —— पर्यावरण, जनसंख्या एवं सामाजिक वानिकी विशेषांक

(38) वन सम्पदा

(39) आगे कैसे बढ़ें

जन संख्या शिक्षा

(40) जन संख्या शिक्षा दिग्दर्शिका (द्वितीय संस्करण)

(41) जन संख्या शिक्षा दिग्दर्शिका का अंग्रेजी संस्करण ।

(42) जन संख्या शिक्षा पाठावली (प्रारम्भिक स्तरीय)

(43) जन संख्या शिक्षा पाठ्यक्रम एवं पाठावली (अनौपचारिक शिक्षा)

(44) जनसंख्या शिक्षा चार्ट परिचारिका

(45) उपलब्धि परीक्षण 1985 (कक्षा 7 एवं 8 के लिये)

राज्य शिक्षा संस्थान के अन्य प्रकाशन

(46) अशा की किरण—ए रे आफ होप

(47) पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण—क्यों और कैसे

(48) शैक्षिक परियोजनायें

(49) उत्तर प्रदेश की शिक्षा सांख्यिकी तुलनात्मक एवं प्रगति दर्शन

राज्य विज्ञान संस्थान के अन्य प्रकाशन

(50) रसायन विज्ञान एवं मनोरंजन अध्ययन

(51) प्रारम्भिक स्तरीय विज्ञान पाठ्यक्रम का विस्तार एवं नवीनीकरण

(52) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश एवं एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 नई दिल्ली के इन्टर स्तरीय गणित पाठ्यक्रमों का तुलनात्मक, अध्ययन ।

(53) जूनियर हाई स्कूल स्तरीय जीव विज्ञान किट संदर्शिका

(54) आल इण्डिया साइंस एजूकेशन प्रोग्राम

(55) साइंस एजूकेशन इन दी स्टेट आफ उत्तर प्रदेश

(56) ए0 आई0 एस0 ई0 पी0 वर्कशाप अगस्त 17—अगस्त 25, 1984 फिजिक्स ।

(57) ,, ,, ,, केमिस्ट्री ।

(58) ,, ,, ,, वायोलोजी ।

(59) ए0 आई0 एम0 ई0 पी0 वर्कशाप—एसेसमेन्ट इन फिजिक्स/केमिस्ट्री/वायोलोजी ।

(60) भविष्य के वैज्ञानिक राज्य विज्ञान प्रदर्शनी 1984

(61) राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी विवरण पत्रिका ।

अध्याय 10

पुनर्व्यवस्था योजना

इस निदेशालय के बेसिक अनुभाग के अन्तर्गत व्यवहृत होने वाली योजनाओं में पुनर्व्यवस्था योजना, योजना संख्या 11 योजना 10 एवं कार्यानुभव योजना है। इन योजनाओं के अन्तर्गत विद्यालयों के कक्षा 6–8 तक की शिक्षा में कृषि एवं शिल्प को मुख्य शिल्प के रूप में अंगीकृत किया है।

यह पुनर्व्यवस्था योजना शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विशिष्ट एवं व्यापक तथा मौलिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य की प्रतिपूर्ति हेतु स्व0 प0 गोविन्द बल्लभ पन्त जी के मुख्य मंत्रित्व काल में वर्ष 1954 में प्रारम्भ की गई थी। जनता से दान रूप में प्राप्त भूमि को प्रदेश के विभिन्न जनपदों के सीनियर बेसिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के साथ संलग्न करके इस योजना का शुभारम्भ किया गया था। जनता से ही प्राप्त धन से "मुख्य मंत्री शिक्षा कोष नामक एक कोष भी निर्मित किया गया था।

इस योजना के समारम्भ एवं संचालन के उद्देश्य निम्नवत् थे :—

(अ) शिक्षा देश की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप बने तथा इससे समाज की वर्तमान आवश्यकताओं की अधिकतम पूर्ति हो सके।

(ब) शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत बालक यह सिद्ध करने में सक्षम सिद्ध हो सके कि वे समाज के अभिन्न एवं अविभाज्य अंग हैं।

(स) शिक्षा मुख्यतः क्रियात्मक हो तथा कोई न कोई उपयोगी उद्योग (शिल्प) शिक्षा का आधार हो सके।

(द) शिक्षण संस्थाओं में अर्जित ज्ञान विद्यार्थियों के जीविकोपार्जन में सहायक सिद्ध हो सके।

योजना का वर्तमान स्वरूप—

भूमि:—

प्रदेश के पुनर्व्यवस्थित विद्यालयों, जहां यह योजना प्रारम्भ की गई थी, की संख्या 2158 थी तथा इन विद्यालयों में पुनर्व्यवस्थित कृषि फार्म पर 22842.4 एकड़ भूमि उपलब्ध थी। इसमें से 4267 एकड़ कृषि योग्य भूमि "अ" श्रेणी में थी, 5900.2 एकड़ भूमि "ब" श्रेणी की तथा 124645.2 "स" तथा "द" श्रेणी की थी। "स" एवं "द" श्रेणी की भूमि अधिकतर बंजर एवं ऊसर थी। इसे सुधारने में प्रसार अध्यापकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी।

वर्तमान समय में सम्प्रति 1473 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं 702 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में पुनर्व्यवस्था योजना चल रही है, जिसके अन्तर्गत कृषि विषय को मुख्य शिल्प के रूप में अंगीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त 248 शिल्प केन्द्रित विद्यालय भी हैं। इनमें कताई-बुनाई, काष्ठ शिल्प, सिलाई तथा धातु शिल्प आदि को आधार शिल्प माना गया है।

योजना के सफल संचालन एवं निर्देशन हेतु 351 सहायक कृषि पर्यवेक्षक एवं सहायक पर्यवेक्षक जनपदीय एवं मण्डलीय कार्यालयों में पदस्थित किये गये हैं। इन पदों को मण्डलीय स्तर पर स्थानान्तरणीय बनाया गया है और इनके उच्चीकरण का प्रकरण भी शासन के स्तर पर विचाराधीन है।

योजना की सफलता इसी तथ्य से प्रमाणित है कि विद्यालयों से संबंधित कृषि क्षेत्र यद्यपि प्रदर्शन कृषि फार्मों के रूप में ही संचालित किये जा रहे हैं, तथापि 1.5 करोड़ रुपया विभिन्न विद्यालयों की पास बुकों में जमा हो चुका है। इस संचित धन को किसी लाभप्रदायी योजना में व्यय करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय स्तर पर "मुख्य मंत्री शिक्षा कोष" में भी वर्तमान समय में 33,38,894 रुपये जमा है।

इस संवर्ग के प्रसाराध्यापकों/शिल्प शिक्षकों के लिये कोई प्रोन्नति शृंखला न होने के कारण अध्यापक निराशा एवं कुण्ठा से ग्रस्त हैं। शासन ने अधिस्नातक वेतनक्रम के प्रसार अध्यापकों/शिल्प शिक्षकों के लिये सामान्य संवर्ग में प्रशिक्षित स्नातक वेतनक्रम तथा विद्यालय प्रति उप निरीक्षक की सीधी भर्ती के 50 पदों पर प्रोन्नति के मार्ग प्रशस्त किये गये हैं। इसी प्रकार का एक प्रस्ताव स्नातक वेतन क्रम के प्रसार शिल्प अध्यापकों के लिये, अधीनस्थ शिक्षा सेवा पदों के लिये, शासन के विचाराधीन है।

ऐसा ही एक और प्रस्ताव शासन के विचारार्थ सेवार्पित है, जिसमें योजना के रिक्त हुये पदों पर सामान्य संवर्ग से सी0टी0 वेतनक्रम में नियुक्तियां दी जानी है।

———

अध्याय–11

बालाहार एवं पौष्टाहार योजना

1––संतुलित आहार न केवल शारीरिक स्वास्थ्य अपितु मानसिक दक्षता के लिये भी आवश्यक है। अल्प आयु अथवा गर्भावस्था में बच्चों को पौष्टाहार न मिलने से उनके शारीरिक तथा मानसिक विकास की गति क्षीण हो जाती है। इस कमी की पूर्ति के लिये शिक्षा विभाग द्वारा प्राइमरी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों (6–11 वर्ष) को पौष्टिक आहार दिये जाने हेतु एक बालाहार योजना (मध्याह्न आहार) तथा शहरी क्षेत्रों के पूर्व विद्यालयों बच्चों (0–6 वर्ष) व गर्भवती तथा धात्री माताओं के लाभार्थ एक विशेष पौष्टाहार योजना कार्यान्वित की गई है। इन दोनों योजनाओं का मुख्य उद्देश्य समाज के निर्बल वर्ग एवं आर्थिक रूप से प्रभावित होने वाले वर्गों को पौष्टिक आहार की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करना है, जिससे बच्चों तथा गर्भवती माताओं, धात्री माताओं को उनके दैनिक उपभोग की आवश्यकता में प्रोटीन तथा कैलोरी राजकीय संसाधनों से उपलब्ध हो सके।

प्रदेश में समस्त बच्चों तथा गर्भवती माताओं तथा धात्री माताओं को पौष्टिक तत्व एक मुश्त में देना सम्भव नहीं है। अतः शिक्षा विभाग द्वारा यह प्रस्तावित किया गया है कि विशेष पौष्टाहार योजना, जो इस समय प्रदेश के 20 जनपदों में केयर विश्व खाद्य कार्यक्रम एवं विभागीय स्रोतों से चल रही है, के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में मलिन एवं निर्धन वर्ग के 0–6 वर्ष के बच्चों एवं गर्भवती मातायें/धात्री मातायें आती है, इस समय पौष्टिक आहार सुलभ कराया जा रहा है।

वर्तमान समय में प्रदेश में विशेष पौष्टिक आहार योजना के अन्तर्गत केयर संस्था द्वारा 70 हजार विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा 40 हजार तथा विभागीय स्रोतों से 36,700 लाभार्थी लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

बालाहार योजना केयर के माध्यम से 37 जनपदों में तथा विभागीय स्रोतों से 11 जनपदों में चल रही है। केयर के सहयोग से 5,81,000 तथा विभागीय स्रोतों से 2,04,000 कुल 7,85,000 लाभार्थियों का लक्ष्य है।

प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद व वाराणसी में 110 बालबाड़ी केन्द्रों का निर्माण हो चुका है। कानपुर में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना भी की गई है। आशा है कि यह यूनिट वर्ष 1985–86 में कार्य करने लगेगी। यह मशीन प्रति घंटे 700 किलोग्राम मीठी पंजीरी का उत्पादन करेगी। इसका संचालन तीन शिफ्टों में रहेगा, जो कानपुर जनपद के निकटवर्ती जनपदों में पौष्टिक आहार की पूर्ति करेगा। इससे एक लाख बच्चे दैनिक लाभान्वित होंगे।

वर्ष 1984–85

	आयोजनागत स्वीकृत राशि	भौतिक लक्ष्य	आयोजनेतर स्वीकृत धनराशि	भौतिक लक्ष्य (आंकड़े लाखों में)
मध्याह्न आहार योजना	26.06	1 25	132.70	6.60
विशेष पौष्टाहार योजना	13.17	0.13	58.68	1.34

अध्याय–12

पुस्तकालय

1––केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय––

शैक्षिक दृष्टि से इलाहाबाद स्थित राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय एक अत्यन्त उपयोगी और महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी स्थापना सन् 1949 में की गई थी। इसमें प्रेस तथा रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स ऐक्ट के अन्तर्गत प्रदेश में प्रकाशित प्रायः प्रत्येक पुस्तक की एक-एक प्रति संग्रहित है। इस प्रकार कापी राइट संग्रह की लगभग 1 लाख से अधिक पुस्तकें संग्रहित की जा चुकी है। इनमें कुछ पुस्तकें अत्यन्त दुर्लभ एवं बहुमूल्य तथा उपयोगी है। अनुसंधान की दृष्टि से भी ये पुस्तकें अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं लाभप्रद है।

इस केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय में हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू तथा बंगला एवं संस्कृत साहित्यों की लगभग 49,000 (उन्चास हजार) पुस्तकों का नवीनतम संग्रह है।

केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय के नये भवन के निर्माणार्थ रुपया 14,90,000 (रुपये चौदह लाख नब्बे हजार) की स्वीकृति भी की गई थी। भवन तैयार हो चुका है और पुस्तकालय अपने नये भवन में पहुंच गया है।

2––राजकीय जिला पुस्तकालय––

प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में आठ तथा पर्वतीय क्षेत्र में छः पुस्तकालय थे। इन सभी पुस्तकालयों का उद्देश्य अपने अपने जनपदों के जनसाधारण को स्वाध्याय की सुविधा प्रदान करने का है। प्रत्येक जिला पुस्तकालय में लगभग 11,000 (ग्यारह हजार) पुस्तकों का संकलन है। वर्ष 1982–83 तथा 1983–84 में मुरादाबाद, बिजनौर, बांदा, बस्ती, उन्नाव तथा सीतापुर जनपदों में राजकीय जिला पुस्तकालय स्थापित किये गये हैं।

वर्ष 1984–85 में रामपुर, फैजाबाद, जालौन, आजमगढ़, देवरिया, बुलन्दशहर, सुल्तानपुर (अमेठी) तथा बहराइच में राजकीय जिला पुस्तकालय स्थापित किये गये। वर्ष वर्ष 1984–85 में इस परियोजना के लिये रु0 52.37 लाख का प्रावधान किया गया है।

3––पुस्तकालय नीति एवं पद्धति का विकास––

सचिवालय स्तर पर शिक्षा विभाग के अन्तर्गत एक पुस्तकालय कोष्ठक की स्थापना वर्ष 1980–81 में की गई थी। इस कोष्ठक को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह प्रदेश में एक आधुनिक पुस्तकालय पद्धति के विषय में आवश्यक परियोजनायें बनाने और अन्य प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्य करें। सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान राजाराम मोहन लाइब्रेरी फाउन्डेशन योजना केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय, इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी, इलाहाबाद जनपदीय राजकीय जिला पुस्तकालयों का विकास तथा पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण आदि विषयक, जो कार्य शिक्षा निदेशालय में होता था, वह इस कोष्ठक को हस्तान्तरित कर दिया गया है।

4––पुस्तकालय को अनुदान––

इस शीर्षक के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1983–84 में रु0 7.18 लाख की राशि सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान देने हेतु उपलब्ध थी। 1984–85 में इस परियोजना के लिये रु0 15.38 लाख का प्रावधान था। अनुदान से 186 पुस्तकालय लाभान्वित हुये।

5--बाल पुस्तकालयों का विकास--

वर्ष 1983-84 में एक नई योजना के माध्यम से प्रदेश के 70 सार्वजनिक पुस्तकालयों को बाल पुस्तकें उपलब्ध कराई गई है, ताकि बालक/बालिकाओं की रुचि, स्वाध्याय की ओर जाग्रत हो। इस परियोजना के लिये वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 में रु0 1.00 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया था।

6--इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी--

प्रदेश के इस प्राचीन पुस्तकालय, जिसकी स्थापना वर्ष 1863 में की गई थी, का प्रान्तीयकरण वर्ष 1975 में किया गया था। इस पर होने वाले वाला व्यय उच्च शिक्षा के आय व्ययक से किया जाता है। इसके संचालन हेतु, आयुक्त इलाहाबाद मण्डल की अध्यक्षता में एक प्रबन्ध समिति वर्ष 1981 से गठित की गई है। पुस्तकालय में संदर्भ, शोध तथा अन्य सामान्य ग्रन्थों का अच्छा संकलन है, जिसकी संख्या 70,000 से अधिक है। पुस्तकालय के 300 से अधिक पंजीकृत सदस्य है। लगभग 200 व्यक्ति प्रतिदिन इस पुस्तकालय का उपयोग करके लाभान्वित होते है।

7--राजाराम मोहन राय लाइब्रेरी फाउन्डेशन, कलकत्ता को अनुदान--

इस फाउन्डेशन को प्रति वर्ष रु0 2 लाख का अनुदान दिया जाता है। इस परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश के 86 पुस्तकालयो को लगभग रु0 5 लाख की पुस्तकीय सहायता पहुंचाई गई है।

अध्याय 13

पत्राचार शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के शैक्षिक स्तरोन्नयन एवं परीक्षा पद्धति के अभिनवीनीकरण के उद्देश्य से प्रदेश में पत्राचार शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश (इन्स्टीट्यूट आफ करेन्सपाण्डेन्स एजूकेशन, यू0पी0) की स्थापना शासन द्वारा छठीं पंचवर्षीय योजना-काल में वर्ष 1980–81 में की गई है। प्रथम चरण में पत्राचार शिक्षा संस्थान द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट (साहित्यिक) व्यक्तिगत परीक्षा हेतु पत्राचार पाठ्यक्रम की अनिवार्य व्यवस्था की गयी है। इस हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश के नियम संग्रह के विनियम 8 में आवश्यक संशोधन कर प्रावधान किया गया है। कालान्तर में यह संस्थान परिषद् की हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षाओं से सम्बन्धित समस्त परीक्षा कार्यों का उत्तरदायित्व ग्रहण कर लेगा।

सर्वप्रथम वर्ष 1984 की माध्यमिक शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट (साहित्यिक वर्ग) व्यक्तिगतपरीक्षा में लगभग 5000 परीक्षार्थी पत्राचार पाठ्य-क्रम का अनुसरण कर सम्मिलित हुए। वर्ष 1985 की उक्त परीक्षा हेतु लगभग 4000 अभ्यर्थियों का पंजीकरण गत वर्ष किया जा चुका है। सम्प्रति पत्राचार शिक्षा संस्थान द्वारा इन्टरमीडिएट साहित्यिक वर्ग के कुल 15 विषयों में पत्राचार पाठ्य-क्रम की व्यवस्था सम्बन्धित परीक्षार्थियों को सुलभ है। वर्ष 1986 की उक्त परीक्षा में सम्मिलित होनेवाले अभ्यर्थियों का पंजीकरण वर्तमान वर्ष में आरंभ होगा जिनकी अनुमानित संख्या लगभग 10 हजार होगी। सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में पत्राचार पाठ्यक्रम के अन्तर्गत इण्टरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए रचनात्मक वर्ग, ललितकला वर्ग तथा वाणिज्य वर्ग के विषयों का समावेश किये जाने का प्रस्ताव भी शासन को प्रस्तुत किया जा चुका है। इस योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप लगभग 40 हजार अभ्यर्थी लाभान्वित होंगे।

पत्राचार शिक्षा संस्थान द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम का अनुसरण करने वाले अभ्यर्थियों के लिये सभी विषयों के उद्भट विद्वानों द्वारा परामर्शदात्री समिति एवं पाठ-लेखन/पाठ परिमार्जन समितियों का गठन करके पाठों को तैयार कराया जाता है तथा मुद्रित पाठ छात्रों को उपलब्ध कराये जाते हैं। पत्राचार पाठ्यक्रम के अन्तर्गत पंजीकृत अभ्यर्थियों की प्रगति की समीक्षा के लिए तथा उनके द्वारा अनुभूत कठिनाइयों के निवारण हेतु रेस्पान्सशीटों के मूल्यांकन एवं निर्देशन तथा सम्पर्क शिविरों के आयोजन की व्यवस्था है।

अध्याय–14

दक्षिण भारतीय भाषाओं की शिक्षा

शिक्षा के माध्यम से उत्तर दक्षिण की दूरी कम करने एवं भाषायी भेदभाव मिटाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने प्रदेश में दक्षिण भारतीय भाषाओं के शिक्षण की व्यवस्था कर रक्खी है। इस प्रकार की कक्षाओं का संचालन, राजकीय माध्यमिक विद्यालय मेरठ, अलीगढ़, कानपुर, गोरखपुर, बरेली, झांसी, इलाहाबाद तथा वाराणसी में किया जाता है। लखनऊ में मोती लाल मेमोरियल सोसाइटी में तामिल एवं तेलगू भाषाओं के उच्च अध्ययन की व्यवस्था की गई है। इस प्रयोजन हेतु सोसाइटी को आवर्तक एवं अनावर्तक अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। तामिल और तेलगू भाषाओं में उच्च पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, उनमें से प्रत्येक को, प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेने के उपरान्त 200 रु0 तथा दूसरे वर्ष के अन्त में कोविद-परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेने के उपरान्त 250 रुपये का पारितोषिक प्रदान किया जाता है।

भावात्मक एवं राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, दक्षिण भारतीय भाषाओं के शिक्षण की योजनान्तर्गत वर्ष 1984–85 में आयोजनेतर बजट में रु0 2,00,000 (दो लाख) के व्यय करने का प्रावधान किया गया है। मोतीलाल नेहरू मेमोरियल सोसाइटी लखनऊ द्वारा संचालित दक्षिण भारतीय भाषाओं (तामिल तथा तेलगू) की कक्षाओं में एतद् विषयक उच्च अध्ययन चल रहा है।

भारत सरकार प्रदेशीय शासन द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायता से कन्नड़ और मलयालम भाषाओं की कक्षायें भी जनवरी, 1970 से चल रही हैं। परीक्षार्थियों का 14 वां बैच रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा संचालित 1984 की परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा।

अध्याय 15

संस्कृत शिक्षा

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विगत 37 वर्षों में प्राचीन शिक्षा क्षेत्र में प्रदेश में उत्तरोत्तर वृद्धि एवं प्रगति हुई है। वर्ष 1982–83 तक 1100 संस्कृत विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया गया है। इसके अनुसार इस समय प्रदेश में सहायता प्राप्त संस्कृत पाठशालाओं की संख्या 1220 हो गई है। वर्ष 1982–83 में 25 संस्कृत पाठशालाओं को "क" वर्ग में, 16 संस्कृत पाठशालाओं को "ख" वर्ग में एवं 3 पाठशालाओं को "ग" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 1982–83 में 17 संस्कृत पाठशालाओं को विकास योजनान्तर्गत भवन-साज-सज्जा एवं पुस्तकालय अनुदान से शासन द्वारा लाभान्वित किया गया और इन पर शासन ने रु0 1,62,500 का राज्यानुदान स्वीकृत किया था। वर्ष 1984–85 में प्रदेश के ऐसे सहायता प्राप्त संस्कृत पाठशालाओं के कर्मियों के वेतनादि के निमित्त रु0 3,26,43,000 अनुदान के रूप में दिये जाने का प्रावधान है।

प्रदेश की संस्कृत पाठशालाओं के शिक्षकों को भी अन्य सामान्य शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों की भांति वर्ष 1981–82 में राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्रदान किये गये थे। राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त ऐसे संस्कृत शिक्षकों को भी, अन्य शिक्षकों की भांति, अधिवर्षता आयु के पश्चात दो वर्ष के सेवा-विस्तरण प्रदान करने की सुविधा देने विषयक आदेश शासन द्वारा निर्गत किये जा चुके हैं।

संस्कृत पाठशालाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को भी योग्यता छात्रवृत्ति, निर्धन एवं पिछड़ी तथा अनुसूचित जातीय छात्रों को भी छात्रवृत्ति स्वीकृत करने का प्रावधान है। केन्द्र द्वारा असहाय पंडितों या उनके मरणोपरान्त उनके आश्रितों को सहायता, तथा निर्धन एवं धनाभाव से ग्रस्त संस्कृत पंडितों या उनके मरणोपरान्त उनके आश्रितों को देय सहायता विषयक पूर्व-निर्धारित योजनान्तर्गत शासन द्वारा वर्ष 1981–82 में 96 पंडितों को सहायता प्रदान की गई।

प्रदेश की अन्य सामान्य शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों की भांति, संस्कृत पाठशालाओं के शिक्षकों को भी शासन द्वारा 1–7–79 से नवीन संशोधित वेतनमानों के लाभ से लाभान्वित किया गया है।

अध्याय–16

अरबी तथा फारसी शिक्षा

प्रदेश में इस समय मान्यता प्राप्त अरबी तथा फारसी मदरसों की कुल संख्या 330 है; जो वर्ष 1984–85 की तुलनात्मक संख्या से एक कम है। इनमें से 222 मदरसे शासकीय अनुदान सूची पर हैं। विभाग द्वारा ऐसे मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त मदरसों को विभिन्न प्रकार के दिये जाने वाले अनुदान निम्नवत् हैं:—

अनुरक्षण अनुदान, मंहगाई भत्ता, अतिरिक्त मंहगाई भत्ता, इनके अतिरिक्त प्रारम्भिक अनुरक्षण अनुदान के साथ-साथ भवनानुदान, साज-सज्जा और पुस्तकालय अनुदान के रूप में अनेक अनावर्तक अनुदान भी प्रदान किये जाते हैं।

परीक्षायें:—विभाग द्वारा अरबी एवं फारसी की पांच परीक्षायें संचालित की जाती हैं। फारसी की दो परीक्षायें मुन्शी तथा कामिल, और अरबी की तीन परीक्षायें, मौलवी, आलिम तथा फाजिल हैं। इन सभी पांचों परीक्षाओं के पाठ्यक्रम दो-दो वर्ष के हैं। इन परीक्षाओं के संचालन और आयोजन के लिये एक बोर्ड गठित है, जो आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम में सुधार संशोधन और परीक्षकों की नियुक्तियां करता है। अरबी तथा फारसी परीक्षा में परीक्षार्थियों की जो वृद्धि हुई है उसका अनुदान निम्नलिखित तालिका से स्वतः स्पष्ट है:–

वर्ष	पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या	सम्मिलित परीक्षार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या
1980	4277	3277	1903
1981	5558	3985	2816
1982	6279	4760	3046
1983	6630	5114	3745
1984	7272	5567	4198

सहायता पाने वाले अरबी मदरसों के अतिरिक्त दो और भी मदरसे है। इसमें से एक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मिर्जापुर का ओरियन्टल सेक्शन तथा दूसरा राजकीय ओरियेन्टल कालेज, रामपुर।

निरीक्षक, अरबी मदरसाज, उत्तर प्रदेश, अरबी तथा फारसी परीक्षाओं के रजिस्ट्रार तथा उर्दू माध्यम विद्यालयों के निरीक्षक भी है।

सहाय्यिक अरेबिक मदरसों को अनुरक्षण, मंहगाई आदि आवर्तक अनुदान के साथ प्रदेश के अन्य असहाय्यिक मान्यता प्राप्त मदरसों को शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष अनुदान सूची में शामिल किया जाता है। इस प्रकार सहाय्यिक मदरसों की संख्या में प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। इसके अतिरिक्त कतिपय शर्तें पूरी करने वाले सहाय्यिक मदरसों को प्रत्येक वर्ष शासन द्वारा विकास (भवन, साज-सज्जा, पुस्तकालय) अनुदान (अनावर्तक) दिये जाने का भी प्रावधान बनाया जाता है।

अध्याय–17

उर्दू शिक्षा

उर्दू भाषा शिक्षण की व्यवस्था

उर्दू प्रदेश की प्रमुख अल्प संख्यक भाषा है तथा उसके बोलने वालों की संख्या प्रदेश की आबादी का एक अहम हिस्सा है। अतः प्रदेश में (1) मातृभाषा के माध्यम से अल्प संख्यकों के बच्चों को शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराने (2) राष्ट्रीय एकता तथा भाषायी सामंजस्य को बढ़ावा देने तथा (3) शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर उर्दू के पठन-पाठन की सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है।

प्राथमिक स्तर––

ऐसे प्राथमिक विद्यालयों में जहां एक कक्षा में न्यूनतम 10 छात्र या पूरे विद्यालय में न्यूनतम 40 छात्र यदि उर्दू पढ़ने हेतु उपलब्ध हों तो वहां एक उर्दू अध्यापक की व्यवस्था की जाती है।

बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राइमरी स्कूलों में उर्दू पढ़ने के लिये प्रत्येक परिषदीय प्राइमरी विद्यालय में अग्रिम पंजिका रजिस्टरों के रखने व भरे जाने के स्थायी निर्देश हैं, जिससे नये सत्र के प्रारम्भ होने के पूर्व अभिभावक उर्दू शिक्षण विषयक अपनी आवश्यकता का उल्लेख करें तो मानक के अनुसार उर्दू शिक्षण की समुचित व्यवस्था की जा सके। सम्प्रति 48,316 विद्यालयों में इस प्रकार के रजिस्टर रखे व भरे जा रहे हैं। . . . . . .

प्राइमरी स्कूलों में प्रवेश प्रार्थना पत्रों में मातृभाषा तथा जिस भाषा के माध्यम से छात्र पढ़ना चाहते हैं उसकी सूचना एकत्र की जाती है। विद्यालयों में उर्दू पढ़ाने हेतु पृथक से घण्टे व मूल्यांकन की व्यवस्था की गयी है।

जूनियर हाई स्कूल स्तर पर कक्षा 6 से 8 तक त्रिभाषा सूत्र योजनान्तर्गत उर्दू भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ाने की व्यवस्था है तथा जूनियर हाई स्कूल को सार्वजनिक परीक्षा में मान्यता प्राप्त उर्दू माध्यम के विद्यालयों के छात्रों हेतु प्रश्न पत्रों के उर्दू अनुवाद उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। प्रदेश में कुल 814 अनुदानित मकतब हैं।

प्रदेश के परिषदीय जूनियर हाई स्कूल स्तर पर उर्दू शिक्षण हेतु 5000 उर्दू अध्यापकों के पद सत्र 1984–85 में सृजित किये गये हैं।

उर्दू से प्रशिक्षित उर्दू अध्यापकों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराने हेतु प्रदेश के चार स्थानों––लखनऊ, मवाना (मेरठ), आगरा तथा सकलडीहा (वाराणसी) में 4 उर्दू बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है।

प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कूल स्तर की सभी राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकों के उर्दु संस्करण उपलब्ध करा दिये गये हैं। छात्रों को इनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु समय समय पर निर्देश दिये जाते हैं तथा परिणामी व्यवस्था की जाती है। उर्दू पाठ्य पुस्तकों के मूल्य हिन्दी के समान करने हेतु "सबसीडी" भी दी जाती है।

प्रदेश में उर्दू माध्यम के प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 2142 तथा पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2,22,437 है।

प्राथमिक स्तर पर उर्दू को एक विषय के रूप में पढ़ाने वाले विद्यालयों की संख्या 3,690 व पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 1,50,143 है ।

उर्दू अध्यापकों की संख्या 5,445 व विषय अध्यापकों की संख्या 3,867 है ।

प्रदेश के प्राथमिक स्तर पर उर्दू विषय/माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कुल 3,72,580 तथा पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या 9,313 है ।

माध्यमिक स्तर--

त्रिभाषा सूत्र के अधीन 364 गैर सरकारी तथा 202 परिषदीय जूनियर हाई स्कूल एवं 62 नगरपालिका के जूनियर हाई स्कूलों में उर्दू अध्यापक के लिये अनुदान दिया जाता है ।

इसी प्रकार 505 गैर सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उर्दू अध्यापकों को अनुदान दिया जाता है ।

830 गैर सरकारी तथा 109 सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उर्दू की पढ़ाई की सुविधा हाई स्कूल कक्षाओं में उपलब्ध है ।

312 गैर सरकारी तथा 38 सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में इण्टर स्तर पर उर्दू विषय पढ़ाने की व्यवस्था है ।

हाई स्कूल की परीक्षा 1984 में 7631 संस्थागत तथा 7020 व्यक्तिगत परीक्षार्थी उर्दू विषय में पंजीकृत हुए ।

इण्टरमीडिएट परीक्षा 1984 में 3265 संस्थागत तथा 4535 व्यक्तिगत परीक्षार्थी उर्दू विषय में पंजीकृत हुए ।

उच्च शिक्षा स्तर--

प्रदेश के महाविद्यालयों में उर्दू विषय की उच्च शिक्षा के अध्ययन-अध्यापन को शासन द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है । मानक के अनुसार स्नातक स्तर पर यदि किसी विषय में 25 छात्र उपलब्ध होते हैं तभी उस महाविद्यालय में उस विषय को सम्बद्धता प्रदान की जाती है, किन्तु उर्दू के लिये शिथिलता प्रदान कर न्यूनतम छात्र संख्या केवल 15 रखी गई है ।

सम्प्रति 67 महाविद्यालयों में उर्दू विषय पढ़ाया जाता है । छात्र संख्या 3575 है । इनमें 76 शिक्षक उर्दू का अध्यापन कर रहे हैं इसके अतिरिक्त मुरादाबाद तथा देवबन्द के महाविद्यालयों को शासन द्वारा उर्दू विषय पढ़ाने के लिये संबद्धता प्रदान कर दी गई है। इन 67 महाविद्यालयों में से कुछ महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर भी उर्दू की शिक्षा दी जाती है ।

उर्दू को अन्य सुविधायें

उर्दू शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए रियासती अंजुमन तरक्की उर्दू लखनऊ को 6 उर्दू माध्यम स्कूलों तथा 10 जनपदों में उर्दू की प्रौढ़ शिक्षा साक्षरता कक्षायें चलाने के लिये लगभग 95,000 रुपयों का वार्षिक अनुदान दिया जाता है ।

राजकीय स्थानीय निकायों एवं सार्वजनिक निगमों के कर्मचारियों को उर्दू सीखने हेतु प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शासन द्वारा प्रति वर्ष उर्दू की दो प्रवीणता परीक्षायें एक जूनियर हाई स्कूल स्तर की तथा दूसरी हाई स्कूल स्तर की रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षायें, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा संचालित होती है । उत्तीर्ण कर्मचारियों को नकद पुरस्कार व प्रमाण-पत्र दिये जाते हैं ।

उर्दू शिक्षा की देख-रेख के लिए निदेशालय स्तर पर (उर्दू) सलाहकार तथा उप शिक्षा निदेशक (उर्दू) के पद सृजित है। मण्डल स्तर पर उप विद्यालय निरीक्षक (उर्दू माध्यम) नियुक्त है। जनपदों में उर्दू माध्यम के विद्यालयों की देख-रेख करने के लिए एक प्रति उप विद्यालय निरीक्षक निर्दिष्ट किये गये हैं।

गैर उर्दू जानकार जूनियर तथा माध्यमिक स्तरों के विभिन्न विषयों के अध्यापकों को उर्दू तथा अन्य भारतीय भाषाओं में 10 माह का सघन प्रशिक्षण देकर उन्हें अपने विद्यालयों में अपने विषय के अलावा उर्दू तथा अन्य भाषाओं में त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत पढ़ाने हेतु केन्द्रीय सरकार के केन्द्रीय भाषा संस्थान मैसूर द्वारा देश के विभिन्न स्थानोंपर प्रशिक्षण योजना संचालित है। इसके अन्तर्गत प्रशिक्षण की अवधि में केन्द्र सरकार अध्यापकों का पूरा वेतन रुपये 200 मासिक छात्रवृत्ति तथा मार्ग व्यय स्वयं वहन करती है। प्रोत्साहन स्वरूप इन प्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षण भाषा का शिक्षण करने हेतु रुपये 70 मासिक का भुगतान भी केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। इस वर्ष प्रदेश में 119 ऐसे अध्यापक/अध्यापिकाये विभिन्न भाषाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त लखनऊ में उर्दू शिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र भी खोला जो चुका है। वर्तमान सत्र में 23 प्रशिक्षणार्थी इस केन्द्र पर प्रशिक्षित हो रहे हैं।

उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी

उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी। अकादमी का मुख्य उद्देश्य उर्दू भाषा की उन्नति करना और इसके साहित्य को लोकप्रिय बनाना है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी को शासन द्वारा स्थापना के समय 5.10 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया था। वर्ष 1976 में शासन ने अकादमी के बढ़ते हुए कार्य-कलापों को दृष्टिगत रखकर अनुदान की राशि 10 लाख कर दी और 1981–82 में यह राशि रु0 18 लाख तथा 1984–85 में पुनः वृद्धि करके अनुदान की राशि लगभग 23 लाख रुपये कर दी है।

अकादमी के मेमोरेन्डम आफ एसोसियेशन में उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये वर्ष 1983–84 में अकादमी द्वारा निष्पादित कार्य-कलापों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है––

1––पुस्तकों का प्रकाशन––वर्ष 1972 से 1984 तक अकादमी द्वारा विभिन्न विषयों पर लगभग 200 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं जिसमें शैक्षिक एवं साहित्यिक रचनाओं के अतिरिक्त स्वतंत्रता संग्राम, बाल साहित्य आदि से संबंधित पुस्तकें सम्मिलित है। अकादमी द्वारा उच्च शिक्षा के पाठयक्रम की भी पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों को रियायती मूल्य पर उच्च शिक्षा स्तर पर उर्दू की पुस्तकें उपलब्ध हो सकें।

2––उर्दू पढ़नेवाले छात्रों की छात्रवृत्तियां––उर्दू अकादमी प्रत्येक वर्ष कक्षा 6 से एम0 ए0 तक तथा पी0 एच0 डी0 के छात्रों की योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति स्वीकृति करती है। इस वर्ष छात्रवृत्ति की संख्या 650 से बढ़ाकर 2500 कर दी गयी है।

3––उर्दू साहित्यकारों को प्रकाशन सहायता––अकादमी द्वारा उत्तर प्रदेश ऐसे लेखकों को उनकी पाण्डुलिपियों के प्रकाशन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करती है जो स्वयं उन्हें प्रकाशित करने में असमर्थ है।

4––पुस्तकों पर पुरस्कार––प्रति वर्ष उर्दू में प्रकाशित उच्च कोटि की पुस्तकों पर 1.25 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार के लिये प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष जनवरी से दिसम्बर तक की अवधि में प्रकाशित पुस्तकें आमंत्रित की जाती है। यह पुरस्कार रु0 750 से रु0 5000 तक के हैं।

5—पुस्तकालयों को अनुदान—अकादमी द्वारा प्रदेश के सार्वजनिक पुस्तकालयों को उर्दू पुस्तकें तथा समाचार पत्रों, पत्रिकायें इत्यादि क्रय करने हेतु प्रत्येक वर्ष रुपया 2.50 लाख का अनुदान वितरित किया जाता है।

6—विपन्न लेखकों एवं कवियों को आर्थिक सहायता—अकादमी प्रदेश के वयोवृद्ध तथा बीमार उर्दू लेखकों तथा कवियों को मासिक और एक मुश्त वार्षिक सहायता देती है। सुविख्यात उर्दू लेखकों पर सेमिनार तथा काव्य गोष्ठियां इत्यादि का भी समय समय पर आयोजन किया जाता है।

7—उर्दू भाषा का प्रचार-प्रसार—उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी उर्दू भाषा एवं साहित्य के विकास और प्रसार के लिये उत्तर प्रदेश शासन को उर्दू शिक्षा संबंधी कठिनाईयों से भी अवगत कराती है। उर्दू न जानने वालों को उर्दू सिखाने हेतु उर्दू कोचिंग कक्षाओं को भी आरम्भ किया गया है। उर्दू किताब स्कूल तथा उर्दू टाइप स्कूल अकादमी के प्रांगण में चलाया जाता है। अकादमी द्वारा मण्डल स्तर पर तालीमी कान्फ्रेन्स का भी आयोजन किया जाता है।

अध्याय 18

केन्द्र लक्ष्य 1984–85 अनौपचारिक शिक्षा

क्रम-संख्या	जनपद का नाम	प्राइमरी स्तरीय केन्द्रों की संख्या	मिडिल स्तरीय केन्द्रों की संख्या
1	2	3	4
1	मेरठ	500	75
2	सहारनपुर	500	75
3	मुजफ्फरनगर	500	75
4	गाजियाबाद	500	75
5	बुलन्दशहर	500	75
	योग ..	2500	375
6	आगरा	500	75
7	एटा	500	75
8	मथुरा	500	75
9	मैनपुरी	500	75
10	अलीगढ़	500	75
	योग ..	2500	375
11	बरेली	500	75
12	बदायूं	500	75
13	शाहजहांपुर	500	75
14	पीलीभीत	500	75
	योग ..	2000	300
15	इलाहाबाद	500	75
16	फतेहपुर	500	75
17	कानपुर	500	75
18	फर्रुखाबाद	500	75
19	इटावा	500	75
	योग ..	2500	375
20	मुरादाबाद	500	75
21	रामपुर	500	75
22	बिजनौर	500	75
	योग ..	1500	225

1	2		3	4
23	लखनऊ	.. ..	500	75
24	सीतापुर	.. ..	500	75
25	खीरी	.. ..	500	75
26	हरदोई	.. ..	500	75
27	उन्नाव	.. ..	500	75
28	रायबरेली	.. ..	500	75
		योग ..	3000	450
29	वाराणसी	.. ..	500	75
30	मिर्जापुर	.. ..	500	75
31	जौनपुर	.. ..	500	75
32	गाजीपुर	.. ..	500	75
33	बलिया	.. ..	500	75
		योग ..	2500	375
34	गोरखपुर	.. ..	500	75
35	देवरिया	.. ..	500	75
36	बस्ती	.. ..	500	75
37	आजमगढ़	.. ..	500	75
		योग ..	2000	300
38	फैजाबाद	.. ..	500	75
39	बाराबंकी	.. ..	500	75
40	प्रतापगढ़	.. ..	500	75
41	गोण्डा	.. ..	500	75
42	सुल्तानपुर	.. ..	500	75
43	बहराइच	.. ..	500	75
		योग ..	3000	450
44	झांसी	.. ..	500	75
45	जालौन	.. ..	500	75
46	ललितपुर	.. ..	500	75
47	हमीरपुर	.. ..	500	75
48	बांदा	.. ..	500	75
		योग ..	2500	375

1	2		3	4
49	नैनीताल	.. ..	500	50
50	अल्मोड़ा	.. ..	500	50
51	पिथौरागढ़		500	50
		योग ..	1500	150
52	पौड़ी	..	500	50
53	उत्तरकाशी	..	500	50
54	चमोली	..	500	50
55	टेहरी	.. ..	500	50
56	देहरादून	..	500	50
		योग ..	2500	250
		महायोग ..	28,000	4000

नामांकन लक्ष्य 1984–85

अनौपचारिक शिक्षा

प्राइमरी स्तर

क्रम-संख्या	जनपद का नाम	कुल बच्चों की संख्या			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मेरठ	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
2	सहारनपुर	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
3	मुजफ्फरनगर ..	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
4	गाजियाबाद	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
5	बुलन्दशहर	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
	योग ..	37500	25000	62500	7500	5000	12500	750	500	1250
6	आगरा ..	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
7	एटा	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
8	मथुरा ..	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
9	मैनपुरी	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
10	अलीगढ़	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
	योग ..	37500	25000	62500	7500	5000	12500	750	500	1250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	बरेली	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
12	बदायूं	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
13	शाहजहांपुर	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
14	पीलीभीत ..	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
	योग ..	30000	20000	50000	6000	4000	10000	600	400	1000
15	इलाहाबाद ..	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
16	फतेहपुर	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
17	कानपुर	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
18	फर्रुखाबाद ..	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
19	इटावा	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
	योग ..	37500	25000	62500	7500	5000	12500	750	500	1250
20	मुरादाबाद	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
21	रामपुर	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
22	बिजनौर	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
	योम ..	22500	15000	37500	4500	3000	7500	450	300	750

23	लखनऊ	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
24	सीतापुर	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
25	खीरी	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
26	हरदोई	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
27	उन्नाव	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
28	रायबरेली	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
	योग ..	45000	30000	75000	9000	6000	15000	900	600	1500
29	वाराणसी	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
30	मिर्जापुर	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
31	जौनपुर	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
32	गाजीपुर	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
33	बलिया	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
	योग ..	37500	25000	62500	7500	5000	12500	750	500	1250
34	गोरखपुर	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
35	देवरिया	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
36	बस्ती	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
37	आजमगढ़	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
	योग ..	30000	20000	50000	6000	4000	10000	600	400	1000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	फैजाबाद	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
39	बाराबंकी	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
40	प्रतापगढ़	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
41	गोण्डा	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
42	सुल्तानपुर	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
43	बहराइच	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
	योग ..	45000	30000	75000	9000	6000	15000	900	600	1500
44	झांसी	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
45	जालौन	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
46	ललितपुर	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
47	हमीरपुर	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
48	बांदा	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
	योग ..	37500	25000	62500	7500	5000	12500	750	500	1250
49	नैनीताल	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
50	अल्मोड़ा	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
51	पिथौरागढ़	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
	योग ..	22500	15000	37500	4500	3000	7500	450	300	750

52	पौड़ी	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
53	उत्तरकाशी	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
54	चमोली	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
55	टेहरी	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
56	देहरादून	7500	5000	12500	1500	1000	2500	150	100	250
	योग ..	37500	25000	62500	7500	5000	12500	750	500	1250
	महायोग	420000	280000	700000	84000	56000	140000	8400	5600	14000

नामांकन लक्ष्य 1984–85

(मिडिल स्तर) अनौपचारिक शिक्षा

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कुल बच्चों की संख्या			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मेरठ ..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
2	सहारनपुर ..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
3	मुजफ्फरनगर ..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
4	बाजियाबाद ..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
5	बुलन्दशहर ..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
	योग ..	5625	3750	9375	1125	750	1875	115	75	190

1	2		3	4	5	9	7	8	9	10	11
6	आगरा	..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
7	एटा	..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
8	मथुरा	..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
9	मैनपुरी	..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	83
10	अलीगढ़	..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
	योग	..	5625	3750	9375	1125	750	1875	115	75	190
11	बरेली	..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
12	बदायूं	..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
13	शाहजहांपुर	..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
14	पीलीभीत	..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
	योग	..	4500	3000	7500	900	600	1500	92	60	152
15	इलाहाबाद	..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
16	फतेहपुर	..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
17	कानपुर	..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
18	फैजाबाद	..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
19	इटावा	..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
	योग	..	5625	3750	9375	1125	750	1875	115	75	190

20	मुरादाबाद ..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
21	रामपुर ..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
22	बिजनौर ..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
	योग ..	3375	2250	5625	675	450	1125	69	45	114
23	लखनऊ ..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
24	सीतापुर ..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
25	खीरी ..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
26	हरदोई ..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
27	उन्नाव ..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
28	रायबरेली ..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
	योग	6750	4500	11250	1350	900	2250	138	90	229
29	वाराणसी ..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
30	मिर्जापुर ..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
31	जौनपुर ..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
32	गाजीपुर ..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
33	बलिया ..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
	योग ..	5625	3750	9375	1125	750	1875	115	75	190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	गोरखपुर ..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
35	देवरिया ..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
36	बस्ती ..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
37	आजमगढ़ ..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
	योग ..	4500	3000	7500	900	600	1500	92	60	152
38	फैजाबाद ..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
39	बाराबंकी ..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
40	प्रतापगढ़ ..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
41	गोण्डा ..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
42	सुल्तानपुर ..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
43	बहराइच ..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
	योग ..	6750	4500	11250	1350	900	2250	138	90	228
44	झांसी ..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
45	जालौन ..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
46	ललितपुर ..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
47	हमीरपुर ..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
48	बांदा ..	1125	750	1875	225	150	375	23	15	38
	योग ..	5625	3750	9375	1125	750	1875	115	75	190

49	नैनीताल	..	750	500	1250	150	100	250	15	10	25
50	अल्मोड़ा	..	750	500	1250	150	100	250	15	10	25
51	पिथौरागढ़	..	750	500	1250	150	100	250	15	10	25
	योग	..	2250	1500	3750	450	300	750	45	30	75
52	पौड़ी	..	750	500	1250	150	100	250	15	10	25
53	उत्तरकाशी	..	750	500	1250	150	100	250	15	10	25
54	चमौली	..	750	500	1250	150	100	250	15	10	25
55	टेहरी	..	750	500	1250	150	100	250	15	10	25
56	देहरादून	..	750	500	1250	150	100	250	15	10	25
	योग	..	3750	2500	6250	750	500	1250	75	50	125
	महायोग	..	60000	40000	100000	12000	8000	20000	1224	800	2024

आर्थिक लक्ष्य

1984–85 की जिला योजना में जनपदों द्वारा प्रावधान कराई जाने वाली धनराशि का जिलेवार विवरण

(रु0 हजार में)

क्र0 सं0	मण्डलवार जनपद का नाम	वर्ष 1984–85 हेतु सततीकरण कार्यक्रमों की धनराशि			1984–85 हेतु नवीन कार्यक्रम की धनराशि			कुल योग		
		राज्य अंश	केन्द्र अंश	योग	राज्य अंश	केन्द्र अंश	योग	राज्य अंश	केन्द्रअंश	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मेरठ ..	442	442	884	225	225	450	667	667	1334
2	सहारनपुर ..	419	420	839	161	161	322	580	581	1161
3	मुजफ्फरनगर ..	419	420	839	96	97	193	515	517	1032
4	गाजियाबाद ..	420	419	839	64	65	129	484	484	968
5	बुलन्दशहर ..	420	419	839	193	193	386	613	612	1225
	योग ..	2120	2120	4240	739	741	1480	2859	2861	5720
6	आगरा ..	442	442	884	129	128	257	561	570	1131
7	एटा ..	419	420	839	257	257	514	676	677	1353
8	मथुरा ..	420	419	839	32	33	65	452	452	904
9	मैनपुरी ..	419	420	839	129	128	257	548	548	1096
10	अलीगढ़ ..	420	419	839	193	194	387	613	613	1226
	योग ..	2120	2120	4240	740	740	1480	2850	2860	5710

11	बरेली	..	442	442	884	129	128	257	571	570	1141
12	बदायूं	..	419	420	839	225	225	450	644	645	1289
13	शाहजहांपुर	..	420	419	839	64	64	128	484	483	967
14	पीलीभीत	..	419	420	839	..	..	..	419	420	839
	योग	..	1700	1701	3401	418	417	835	2118	2118	4236
15	इलाहाबाद	..	442	442	884	514	515	1029	956	957	1913
16	फतेहपुर	..	420	419	839	64	65	129	484	484	968
17	कानपुर	..	419	420	839	257	257	514	676	677	1353
18	फर्रुखाबाद	..	420	419	839	64	65	129	484	484	968
19	इटावा	..	419	420	839	65	64	129	484	484	968
	योग	..	2120	2120	4250	964	966	1930	3084	3086	6170
20	मुरादाबाद	..	442	442	884	225	225	450	667	667	1334
21	रामपुर	..	420	419	839	..	..	..	420	419	839
22	बिजनौर	..	419	420	839	65	64	129	484	484	968
	योग	..	1281	1281	2562	290	289	579	1571	1570	3141
23	लखनऊ	..	442	442	884	..	..	..	442	442	884
24	सीतापुर	..	419	420	839	257	257	514	676	677	1353
25	खीरी	..	420	419	839	128	121	257	548	543	1096
26	हरदोई	..	419	420	839	257	257	514	676	677	1353
27	उन्नाव	..	420	419	839	161	161	322	581	580	1161
28	रायबरेली	..	419	420	839	257	257	514	676	677	1353
	योग	..	2539	2540	5079	1060	1061	2121	3599	3601	7200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	वाराणसी ..	442	442	884	321	322	643	763	764	1527
30	मिर्जापुर ..	419	420	839	290	289	579	709	709	1418
31	जौनपुर ..	420	419	839	289	290	579	709	709	1418
32	गाजीपुर ..	419	420	839	161	161	322	580	581	1161
33	बलिया ..	420	419	839	225	225	450	645	644	1289
	योग ..	2120	2120	4240	1286	1287	2573	3406	3407	6813
34	गोरखपुर ..	442	442	884	643	643	1286	1085	1085	2170
35	देवरिया ..	419	420	839	578	577	1155	997	997	1994
36	बस्ती ..	420	419	839	675	675	1350	1095	1094	2189
37	आजमगढ़ ..	419	420	839	579	578	1157	998	998	1996
	योग ..	1700	1701	3401	2475	2473	4948	4175	4174	8349
38	फैजाबाद ..	444	445	889	225	225	450	669	670	1339
39	बाराबंकी ..	420	419	839	161	161	332	581	580	1161
40	प्रतापगढ़ ..	419	420	839	129	128	257	548	548	1096
41	गोण्डा ..	420	419	839	450	450	900	870	869	1739
42	सुल्तानपुर ..	419	420	839	354	353	707	773	773	1546
43	बहराइच ..	420	419	839	257	257	514	677	676	1353
	योग ..	2542	2542	5084	1576	1574	3150	4118	4116	8234

44	झांसी	..	442	442	884	..	..	..	442	442	884
45	जालौन	..	420	419	839	..	..	..	420	419	839
46	ललितपुर	..	419	420	839	..	..	..	419	420	839
47	हमीरपुर	..	420	419	839	32	33	65	452	452	904
48	बांदा	..	419	420	839	97	96	193	516	516	1032
	योग	..	2120	2120	4240	129	129	258	2249	2249	4498
49	नैनीताल	..	427	426	853	193	193	386	620	19	1239
50	अल्मोड़ा	..	405	406	811	160	160	320	565	566	1131
51	पिथौरागढ़	..	406	405	811	96	97	193	502	502	1004
	योग	..	1238	1237	2475	449	450	899	1687	1687	3374
52	पौड़ीगढ़वाल	..	426	427	853	193	193	386	619	620	1239
53	उत्तरकाशी	..	405	406	811	..	..	..	405	406	811
54	चमोली	..	406	405	811	96	97	193	502	502	1004
55	टेहरी	..	405	406	811	65	64	129	470	470	940
56	देहरादून	..	406	405	811	..	..	..	406	405	811
	योग	..	2048	2049	4097	354	354	708	2402	2403	4805
	महायोग	..	23648	23651	47299	10480	10481	20961	34128	34132	68260
	अविभाज्य	..	360	360	720	612	612	1224	972	972	1944
	कुल योग	..	24008	24011	48019	11092	11085	22183	35100	35104	70204

सारिणी 1

शिक्षा के लिये निर्दिष्ट बजट

वर्ष			बालकों की शिक्षा के लिये बजट	बालिकाओं की शिक्षा के लिये बजट	शिक्षा के लिये सम्पूर्ण बजट
1			2	3	4
1946–47		..	2,50,32,561	68,17,239	**3,18,49,800**
1950–51		..	6,61,14,800	76,29,400	**7,37,44,200**
1960–61	शिक्षा	..	12,17,33,000	1,18,23,200	**13,35,56,200**
1960–61	शिक्षा नियोजन	..	*	*	**3,87,41,000**
1970–71	शिक्षा	..	61,50,01,000	6,38,60,000	**67,88,61,000**
1970–71	शिक्षा नियोजन	..	6,40,23,500	63,95,700	**7,04,19,200**
1980–81	शिक्षा	..	2,77,82,09,000	43,47,96,000	**3,21,30,05,000**
1980–81	शिक्षा नियोजन	..	15,41,82,000	2,84,000	**15,44,66,000**
1981–82	शिक्षा	..	2,76,00,99,000	40,23,16,000	**3,16,24,15,000**
1981–82	शिक्षा नियोजन	..	21,31,35,000	8,81,000	**21,40,16,000**
1984–85	शिक्षा	..	4,48,00,62,000	35,58,63,000	**4,83,59,25,000**
1984–85	शिक्षा नियोजन	..	..	..	**43,06,11,000**

टिप्पणी:—इसके अतिरिक्त बालकों की शिक्षा के लिए बजट में बालिकाओं की शिक्षा पर व्यय सम्मिलित है।

*बजट में उपलब्ध नहीं है।

सारिणी 2

शिक्षा के विभिन्न शीर्षकों

1	1946–47 2	1950–51 3	1960–61 4
शिक्षा—			
1–प्रारम्भिक	1,21,72,100	3,32,18,200	5,69,27,000
2–माध्यमिक	99,16,800	1,65,95,000	3,36,10,200
3–विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज	26,91,900	47,77,100	1,13,62,000
4–ट्रेनिंग*	18,14,200	5,99,400	9,83,400
5–अन्य	52,54,800	1,85,54,500	3,06,73,600
6–विशेष शिक्षा	..	..	..
7–प्राविधिक शिक्षा	..	..	..
8–क्रीड़ा एवं युवक कल्याण	..	..	..
9–सामान्य शिक्षा	..	..	..
10–एक मुश्त प्रावधान	..	..	..
11–कला एवं संस्कृति	..	..	..
12–अनुसूचित जातियों/जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण ।	..	..	..
13–मंत्रिपरिषद्	..	..	..
योग	3,18,49,800	7,37,44,200	13,35,56,200
शिक्षा नियोजन—			
1—प्राथमिक	..	..	2,54,76,900
2—माध्यमिक	..	..	63,67,000
3—विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज ।	..	..	41,17,000
4—ट्रेनिंग **	..	..	13,06,000
5—अन्य	..	..	14,74,100
6—विशेष शिक्षा	..	..	..
7—प्रावधिक शिक्षा	..	..	..
8—क्रीड़ा एवं युवक कल्याण	..	..	..
9—सामान्य शिक्षा	..	..	..
10—एकमुश्त प्रावधान	..	..	..
11—कला एवं संस्कृति	..	..	..
12—अनुसूचित जातियों/जन-जातियों एवं पिछड़े हुये वर्ग का कल्याण ।	..	..	..
योग	..	..	3,87,41,000

*प्राविधिक शिक्षा का बजट प्रावधान 1979–80 से अनुदान संख्या 35 को स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

के लिये बजट

1970–71	1980–81	1981–82	1984–85
5	6	7	8
31,67,13,700	1,64,65,06,000	1,68,69,83,000	2,43,46,26,000
18,24,37,500	94,44,30,000	1,04,64,79,000	1,79,69,30,000
4,66,36,300	32,03,86,000	33,27,46,000	47,39,72,000
29,94,300	..	..	
13,00,79,200	..	..	
..	3,19,42,000	3,51,17,000	5,08,78,000
..	..	..	..
..	2,77,59,000	3,39,32,000	5,09,32,000
..	24,000	24,000	24,000
..	21,48,24,000	..	..
..	1,60,000	1,60,000	1,60,000
..	2,69,74,000	2,69,74,000	2,82,53,000
..	..	..	1,50,000
67,88,61,000	3,21,30,05,000	3,16,24,15,000	4,83,59,25,000
3,47,12,900	6,97,93,000	8,80,71,000	21,75,18,000
82,97,800	2,81,18,000	4,44,42,000	8,70,60,000
68,37,800	95,04,000	1,83,92,000	3,44,13,000
4,26,900	..	..	
2,01,43,800	..	..	..
..	3,17,41,000	4,36,31,000	
..	*..	*..	
..	69,16,000	33,02,000	62,21,000
..	..	..	..
..	25,03,000	..	56,25,000
..	1,00,000	1,00,000	1,00,000
..	57,91,000	1,60,78,000	..
7,04,19,200	15,44,66,000	21,40,16,000	43,06,11,000

**ट्रेनिंग से सम्बन्धित बजट वर्ष 1974–75 से विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेजों में सम्मिलित कर दिया गया है।

सारिणी 3

प्रबंधानुसार शिक्षा संस्थायें (सामान्य शिक्षा)

	1946–47	1950–51	1960–61	1970–71	1980–81	1981–82	1984–85**
1	2	3	4	5	6	7	8
राजकीय ..	201	1,094	1,341	1,304	1,025	1,080	887
स्थानीय निकाय ..	16,673	30,323	39,386	63,363	75,834	76,220	81,920
विश्वविद्यालय* ..	5	6	9	11	19	19	19
सहायता प्राप्त/असहायता प्राप्त ..	5,551	4,449	5,663	10,050	12,906	14,449	10,909
योग ..	22,430	35,872	46,399	74,728	89,784	91,768	93,735

टिप्पणी (1) *विश्व विद्यालयों की संख्या 1946–47, 1950–51, तथा 1960–61 में सहायता प्राप्त संस्थाओं की संख्या सम्मिलित थी।

(2) वर्ष 1970–71 तक दो विश्वविद्यालय मानी गयी संस्थायें सम्मिलित नहीं है।

1—काशी विद्यापीठ वाराणसी।

2—गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय सहारनपुर।

(3) वर्ष 1980–81 से एक विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार सहारनपुर सम्मिलित नहीं है। वर्ष 1981–82 से दो विश्वविद्यालय मानी गई संस्था गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार सहारनपुर तथा दयालबाग एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट दयालबाग आगरा सम्मिलित नहीं है।

(4) **आंकड़े अनुमानित हैं।

सारिणी 4

विभिन्न प्रकार की मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थायें (प्रथम तीन स्तर)

	1946–47	1950–51	1960–61	1970–71	1980–81	1981–82	1984–85*
1	2	3	4	5	6	7	8
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (लड़के) ..	415	833	1489	2834	4420	4519	4822
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (लड़कियां) ..	91	154	282	581	758	776	832
योग ..	506	987	1771	3415	5178	5295	5654
ग्रामीण क्षेत्र में ..	55	305	749	1840	3394	3491	3672
सीनियर बेसिक स्कूल (लड़के) ..	1344	2386	3674	6779	10355	11185	11261
सीनियर बेसिक स्कूल (लड़कियां) ..	506	468	661	2008	3200	3228	3353
योग ..	1850	2854	4335	8787	13555	14413	14614
ग्रामीण क्षेत्र ..	1199	1984	3272	6867	11322	11956	12039
जूनियर बेसिक स्कूल (लड़के) ..	18370	29459	35156	50503	70606	71602	72959
जूनियर, बेसिक स्कूल (लड़कियां) ..	1678	2520	4927	11624	मिश्रित	मिश्रित	मिश्रित
योग ..	20048	31979	40083	62127	70606	71602	72959
ग्रामीण क्षेत्र ..	16501	23710	35302	55998	64021	64849	66156
नर्सरी स्कूल (लड़के) ..	..	6	55	86	34	40	54
नर्सरी स्कूल (लड़कियां) ..	..	..	18	55	31	30	34
योग ..	..	6	73	141	65	70	88
ग्रामीण क्षेत्र में ..	..	..	..	..	..	..	..

*आंकड़े अनुमानित है।

सारिणी 5

विभिन्न प्रकार की मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थायें (अन्तिम दो स्तर)

	1946–47	1950–51	1960–61	1970–71	1980–81	1981–82	1984–85*
1	2	3	4	5	6	7	8
विश्वविद्यालय लड़के ..	5	6	9	11	19(क)	19(क)	19(क)
लड़कियां ..	..	..	..	..	..	..	..
योग ..	5	6	9	11	19(क)	19(क)	19(क)
(ख) डिग्री कालेज—							
लड़के ..	14	34	108	194	283	291	317
लड़कियां ..	2	6	20	53	78	78	84
योग ..	16	40	128	247	361	369(ख)	401

*आंकड़े अनुमानित हैं।

(क) विश्वविद्यालय मानी गई संस्था गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार, सहारनपुर तथा दयालबाग एजूकेशन इंस्टीट्यूट दयालबाग, आगरा सम्मिलित नहीं है।

(ख) वर्ष 1981–82 तक ये केवल सामान्य शिक्षा डिग्री कालेज हैं।

सारिणी 6

संस्थानुसार छात्रों की संख्या

		1946–47	1950–51	1960–61	1970–71	1980–81	1981–82	1984–85*
1		2	3	4	5	6	7	8
विश्वविद्यालय—								
लड़के	..	9760	19105	29785	51799	84121	77893	97125
लड़कियां	..	758	1671	4033	11906	20091	18644	21035
	योग ..	10518(अ)	20776	33818	63705	104212	96537	118160
डिग्री कालेज—								
लड़के	..	20643(ब)	27294	58959	146242	275948	285093	310735
लड़कियां	..	1700(ब)	2504	8743	39133	69221	73334	74699
	योग ..	22343(ब)	29798	67702	185375	345169	358427	385434
उच्चतर माध्यमिक स्कूल—								
लड़के	..	177562(स)	359580	757592	1851759	2752494	2936609	3232892
लड़कियां	..	25663(स)	57825	154485	463977	695829	771678	988231
	योग ..	203225(स)	417405	912077	2315736	3448323	3708287	4221123

1		2	3	4	5	6	7	8
सीनियर बेसिक स्कूल—								
लड़के	..	164667	278339	446139	1095740	1412783	1494736	1633735
लड़कियां	..	83174	69798	103688	285166	391731	435784	528823
	योग ..	247841	348137	549827	1380906	1804514	1930520	2162558
जूनियर बेसिक स्कूल—								
लड़के	..	1386453	2392175	3170868	6748031	6593572	6893043	7905132
लड़कियां	..	189055	334948	787960	3867691	2774829	2966544	3703410
	योग ..	1575508	2727123	3958828	10615722	9368401	9859587	11608542
नर्सरी स्कूल—								
लड़के	..	..	644	4486	13742	9276	9476	11500
लड़कियां	..	..	162	3068	10551	5979	6125	7300
	योग ..	..	806	7554	24293	15255	15601	18800

*आंकड़े अनुमानित हैं—

(अ) यह केवल विज्ञान और कला में विद्यार्थियों की संख्या है।

(ब) इन संस्थाओं में समस्त इण्टर कला के विद्यार्थी सम्मिलित हैं।

(स) इण्टर कक्षाओं के विद्यार्थी सम्मिलित नहीं हैं।

सारिणी 7

संस्थानुसार अध्यापकों की संख्या

	1946–47	1950–51	1960–61	1970–71	1980–81	1981–82	1984–85*
विश्वविद्यालय—							
पुरुष ..	839	1201	2089	3708	5184	4983	5900
महिला ..	56	71	159	390	796	832	1020
योग ..	895	1272	2248	4098	5980	5815	6920
डिग्री कालेज में—							
पुरुष ..	441	1175	3113	6820	10123	10125	10788
महिला ..	37	74	331	1446	2264	2277	2381
योग ..	478	1249	3444	8266	12387	12402	13169
उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में—							
पुरुष ..	7610	15453	30222	64810	96117	98332	99669
महिला ..	1577	2774	5854	14836	19747	20486	22605
योग ..	9187	18227	36076	79646	115864	118818	122274

1		2	3	4	5	6	7	8
सीनियर बेसिक स्कूलों में---								
पुरुष	..	7960	11605	19057	41306	58775	59830	59975
महिला	..	3421	2900	4202	10880	14326	14556	15057
	योग ..	11381	14505	23259	52186	73101	74386	75032
जूनियर बेसिक स्कूलों में---								
पुरुष	..	39358	65110	87340	170857	203712	206806	208757
महिला	..	2961	5189	11714	32502	44042	45830	46145
	योग ..	42319	70299	99054	203359	247754	252636	254902
नर्सरी स्कूलों में---								
पुरुष	..	..	8	51	270	69	74	133
महिला	..	..	14	348	750	490	490	568
	योग ..	..	22	399	1020	559	564	701

*आंकड़े अनुमानित हैं ।

सारिणी 8

स्तरानुसार छात्रों की संख्या

		1981–82	1984–85*
1	2	3	4
छात्रों की संख्या प्री-प्राईमरी स्तर ..	कुल	34,619	36,812
	बालिका	13,929	14,238
जूनियर बेसिक स्तर (कक्षा–1–5) ..	कुल	1,01,80,709	1,17,07,354
	बालिका	30,93,388	37,77,122
सीनियर बेसिक स्तर (कक्षा 6–8) ..	कुल	33,29,058	37,23,272
	बालिका	7,45,675	8,95,132
हाई/हायर सेकेन्डरी स्तर (कक्षा–9–12) ..	कुल	19,79,153	25,58,152
	बालिका	3,28,258	5,62,017
स्नातक स्तर ..	कुल	2,96,456	2,99,200
	बालिका	62,955	63,700
स्नातकोत्तर स्तर ..	कुल	67,285	68,900
	बालिका	18,582	26,200

*आंकड़े अनुमानित हैं।

सारिणी 9

माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं के लिये मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या

	1946–47	1950–51	1960–61	1970–71	1980–81	1981–82	1984–85
1	2	3	4	5	6	7	8
हाईस्कूल परीक्षा :							
लड़कों की शिक्षा संस्थायें ..	428	749	1,404	2,656	41,50	4,213	4,419
लड़कियों की शिक्षा संस्थायें ..	73	130	257	541	692	695	720
योग ..	501	879	1,661	3,197	4842	4,908	5,139
इन्टरमीडिएट परीक्षा—							
लड़कों की शिक्षा संस्थायें ..	168	334	786	1,468	2,386	2,459	2,571
लड़कियों की शिक्षा संस्थायें ..	15	41	148	302	416	419	430
योग ..	183	375	934	1,770	2,802	2,878	3,001

सारिणी 10

हाईस्कूल परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या

	1947	1951	1961	1971	1981	1984
1	2	3	4	5	6	7
हाईस्कूल परीक्षा में पंजीकृत संख्या—						
लड़के	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	2,15,252	4,83,161	7,07,254	9,45,907
लड़कियां	..	..	22,620	81,477	1,36,717	1,82,169
योग	33923	110581	237872	564638	843971	1128076
परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों की संख्या :						
लड़के	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	2,04,315	4,47,949	6,71,665	8,66,797
लड़कियां	..	..	21,526	74,824	1,21,799	1,65,648
योग ..	31,506	98,534	2,25,841	5,22,773	7,93,464	10,32,445
उत्तीर्ण होने वालों की संख्या :						
लड़के	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	89,880	1,69,383	2,31,922	2,31,727
लड़कियां	..	..	13,860	49,262	72,589	68,601
योग ..	19,937	58,234	1,03,740	2,18,645	3,04,511	3,00,328

सारिणी 11

इंटरमीडिएट परीक्षा के परिक्षार्थियों की संख्या

	1947	1951	1961	1971	1981	1984
1	2	3	4	5	6	7
इंटरमीडिएट परीक्षा में पंजीकृत सं0						
लड़के	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	99,600	2,49,683	3,70,586	3,98,881
लड़कियां	..	..	13,745	51,221	10,3,138	1,09,556
योग ..	अनुपलब्ध	41,009	1,13,345	3,00,904	4,73,724	5,08,437
परीक्षा में सम्मिलित होने वाली सं0						
लड़के	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	89,542	2,23,786	3,39,536	3,66,998
लड़कियां	..	..	12,282	46,421	94,574	97,700
योग ..	अनुपलब्ध	34,464	1,01,824	2,70,207	4,34,110	4,64,698
उत्तीर्ण होने वालों की सं0						
लड़के	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	35,645	1,04,665	1,60,318	1,66,808
लड़कियां	..	..	6,557	29,281	52,550	53,546
योग ..	अनुपलब्ध	20,523	42,202	1,33,946	2,12,868	2,20,354

संस्कृत पाठशालाओं की संख्या और राजकीय सहायता

	1950–51	1960–61	1970–71	1980–81	1981–82	1984–85*
1	2	3	4	5	6	7
स्वीकृत पाठशालायें ..	1,400	10,50	900	957	957	1,220
छात्र संख्या ..	34,093	42892	51,245	62,798	62,925	65,060
अध्यापक ..	3,603	4.644	4,420	4,580	4,584	6,162
सहायता प्राप्त पाठशालायें ..	332	637	810	867	867	10,55
राज्य से प्राप्त सहायता रु० में	2,53,512	9,62,953	35,73,313	2,10,54,000**	2,24,40,000**	3,50,00,000**

*आंकड़े अनुमानित हैं।

**आय-व्ययक प्रावधान 1984–85 के अनुसार है।

सारिणी–13

अरेबिक मदरसों की संख्या और राजकीय सहायता

	1950–51	1960–61	1970–71	1980–81	1981–82	1984–85*
1	2	3	4	5	6	7
स्वीकृत मदरसा ..	86	104	146	283	334	330
छात्र संख्या ..	..	16,710	29,578	53,442	58,786	70,320
अध्यापक ..	620	726	1,606	3,670	4,037	4,500
सहायता प्राप्त मदरसे ..	86	104	123	209	209	222
राज्य से प्राप्त सहायता (रु0 में)	90,672	1,24,154	3,31,515	80,08,000**	1,00,08,000**	1,30,00,000**

*आंकड़े अनुमानित है।

**आंकड़े आय-व्ययक प्रावधान के अनुसार है।

सारिणी–14

प्रशिक्षण संस्थान तथा सम्बद्ध प्रशिक्षण संस्थायें

	1946–47	1950–51	1960–61	1970–71	1980–81	1981–82	1984–85*
1	2	3	4	5	6	7	8
ट्रेनिंग कालेज एल0टी0 तथा बी0एड0							
पुरुष	2	4	7	6	9	9	9
महिला	1	5	3	4	5	4	6
योग	3	9(ग)	10	10	14	13	15
विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण विभाग (बी0एड0 तथा एम0एड0 पुरुष तथा महिला सम्मिलित)		2	5	5	8	8	8
डिग्री कालेज की प्रशिक्षण कक्षायें (बी0एड0, एम0एड0)							
पुरुष	..	8	28	44	80	81	76
महिला	..	1	2	7	18	18	22
योग	..	9	30	51	98	99	98
बी0टी0सी0 (2 वर्ष)							
पुरुष	..	..	..	..	61	62	65
महिला	..	..	..	..	49	51	56
योग	..	..	..	..	110	113	121

(ग) इस संस्था में 9 ट्रेनिंग क्लास सम्मिलित है जिनमें एक वर्ष का कोर्स था; आंकड़े अनुमानित हैं। *

सारिणी–15

प्रशिक्षण संस्थायें तथा सम्बद्ध प्रशिक्षण कक्षायें (छात्र संख्या)

	1946–47	1950–51	1960–61	1970–71	1980–81	1981–82	1984–85*
1	2	3	4	5	6	7	8
ट्रेनिंग कालेज (एल0टी0 तथा बी0एड0)							
पुरुष ..	295	226	500	659	645	640	700
महिला ..	117	337	520	1,357	896	743	800
योग ..	412	563(ख)	1,020	2,016	1541	1,383	1,500
विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण विभाग (बी0 एड0 तथा एम0 एड0)							
पुरुष ..	..	312	356	609	1,084	905	975
महिला ..	..	107	144	734	890	764	800
योग ..	..	419	500	1,343	1,974	1,669	17,75

डिग्री कालेजों की प्रशिक्षण कक्षायें							
(बी0 एड0 तथा एम0 एड0)							
पुरुष	.. ..	520	2,413	3,332	6,563	6,528	6,794
महिला	.. ..	66	509	1,716	4,316	4,341	5,080
योग	.. ..	586	2,922	5,048	10,879	10,869	11,874
बी0टी0सी0 (दो वर्ष)							
पुरुष	.. .. ..	..	..	..	2,925	2,719	2,800
महिला	.. .. ..	..	..	..	1,880	1,823	1,900
योग	.. .. ..	..	..	..	4,805	4,542	4,700

**आंकड़ें अनुमानित हैं

(ख) इसमें सी0 टी0 के छात्र भी सम्मिलित हैं।

सारिणी–16

प्रशिक्षण संस्थायें एव सम्बद्ध प्रशिक्षण कक्षायें उत्तीर्ण होने वाले छात्राध्यापकों और छात्राध्यापिकाओं की सं0

	1946–47	1950–51	1960–61	1970–71	1980–81	1981–82	1984–85*
1	2	3	4	5	6	7	8
एल0 टी0 तथा बी0 एड0 (1 वर्ष)							
पुरुष ..	289	880	3,032				
महिला ..	108	208	977				
योग ..	397	1,088	4,009	..	..	..	..
एम0एड0 (एक वर्ष)							
पुरुष ..	4	58	74	..	..	..	..
महिला ..	1	25	42	..	..	..	..
योग ..	5	83	116	..	..	..	..
बी0टी0सी0 (दो वर्ष)							
पुरुष ..			..	..	..	..	..
महिला ..			..	..	..	..	..
योग ..	..	..	..	..	..	..	..

*आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं।

सारिणी—17

रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षायें एवं सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं का तीन वर्ष का परीक्षाफल

क्रम सं0	परीक्षायें	परीक्षार्थियों की संख्या 1982 सम्मिलित	उत्तीर्ण	प्रतिशत	परीक्षार्थियों की संख्या 1983 साम्मिलित	उत्तीर्ण	प्रतिशत	परीक्षार्थियों की संख्या 1984 सम्मिलित	उत्तीर्ण	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें—									
1	सी0पी0एड0 परीक्षा ..	187	180	96	183	177	97	207	167	81
2	डी0पी0एड0 परीक्षा	182	178	98	179	178	99	212	182	86
3	टी0सी0 (गृह विज्ञान)	37	31	83	38	26	68	75	68	92
4	टी0सी0 (बधिर)	21	18	86	21	18	86	18	21	75
5	टी0सी0 (शिशु परीक्षा)	128	106	83	117	99	85	111	109	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	एल0टी0 (बेसिक) परीक्षा	95	70	78	97	87	90	101	92	91
7	एल0टी0 रचनात्मक परीक्षा	147	133	90	153	142	93	159	149	94
8	एल0टी0 गृह विज्ञान	10	10	100	22	20	90	30	28	93
9	एल0टी0 सामान्य (नया पाठ्यक्रम) ..	1,038	932	90	799	711	89	806	593	74
10	एल0टी0 सामान्य (पुराना पाठ्यक्रम)				..	..	..	95	49	52
11	बी0टी0सी0 परीक्षा	3,043	2,577	85	2,419	1,218	50	2,540	2,151	85
12	बी0टी0सी0 (आंशिक)				..	..	..	395	267	68
13	आंग्ल भाषा ..	22	9	41	52	29	56	..	4	..
14	दक्षिण भारतीय भाषा ..	90	45	50	88	44	50	83	45	54

15 डिप्लोमा इन गाइडेन्स	15	14	93	83	12	92	13	12	92
16 माध्यमिक शिक्षा परिषदीय परीक्षायें . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
(i) हाई स्कूल . .	(क) संस्थागत			(क) संस्थागत			(क) संस्थागत		
	6,11,851	3,00,603	49	7,93,837	3,39,275	43	7,69,440	2,43,615	32
	(ख) व्यक्तिगत			(ख) व्यक्तिगत			(ख) व्यक्तिगत		
	2,09,455	75,241	36	2,86,594	75,064	26	2,63,005	56,713	22
(ii) इण्टरमीडिएट . .	(क) संस्थागत			(क) संस्थागत			(क) संस्थागत		
	3,39,270	2,02,611	60	3,11,147	1,99,480	64	3,44,488	1,82,269	53
	(ख) व्यक्तिगत			(ख) व्यक्तिगत			(ख) व्यक्तिगत		
	1,42,321	65,267	46	1,60,778	73,881	46	1,20,210	38,085	32

सारिणी–18

जिलेवार 1981 की जनसंख्या, साक्षरता का प्रतिशत तथा

क्रम-संख्या	जिले का नाम	जनसंख्या (हजार में)	पुरुष	महिला	समस्त जनपदों में
1	2	3	4	5	6
1	लखनऊ	2,017	49.12	29.66	40.20
2	सीतापुर	2,238	21.02	9.95	21.41
3	खीरी	1,963	27.55	10.03	19.52
4	हरदोई	2,294	33.91	10.71	23.39
5	उन्नाव	1,826	37.31	13.15	26.96
6	रायबरेली	1,888	35.24	10.90	23.49
	लखनऊ संभाग	..	..	..	..
7	प्रतापगढ़	1,807	40.98	9.85	25.33
8	सुल्तानपुर	2038	35.27	9.97	22.81
9	फैजाबाद	2,370	38.09	12.85	25.89
10	बाराबंकी	2,013	29.32	6.18	19.55
11	बहराइच	2,221	25.06	6.30	16.41
12	गोण्डा	2,896	27.09	6.64	17.46
	फैजाबाद संभाग	..	..	..	..
13	बस्ती	3,577	31.55	7.97	20.19
14	गोरखपुर	3,786	37.11	10.90	24.51
15	देवरिया	3,487	37.00	9.22	23.18
16	आजमगढ़	3,533	37.72	12.28	24.86
	गोरखपुर संभाग	..	..	..	..
17	बलिया	1,926	41.87	14.25	28.15
18	गाजीपुर	1,942	42.00	13.45	27.77
19	जौनपुर	2,527	41.80	11.01	26.33
20	वाराणसी	3,697	40.00	16.30	31.89
21	मिर्जापुर	2,034	35.16	11.77	14.16
	वाराणसी संभाग	..	..	..	..

30 सितम्बर 1984 को विद्यालयों की संख्या

विद्यालयों की संख्या						
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय			सीनियर बेसिक स्कूल		जू0 बे0 स्कूल	
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	मिश्रित
7	8	9	10	11	12	13
85	43	128	183	75	258	1,173
50	12	62	241	72	313	1,513
40	5	45	189	61	250	1,400
60	8	68	276	82	358	1,574
62	14	76	247	71	318	1,281
47	7	54	197	56	253	1,079
344	89	433	1,333	417	1,750	8,020
80	6	86	186	53	239	1,065
80	6	86	232	57	289	1,572
89	13	102	196	60	256	1,489
38	5	43	170	68	238	1,464
45	6	51	141	60	201	1,513
55	9	64	138	72	210	1,937
387	45	432	10,63	370	1,433	90,40
124	11	135	366	42	408	2,120
145	19	164	319	105	424	1,917
168	10	178	406	48	454	1,777
148	15	163	304	96	400	1,802
585	55	640	1,395	291	1,686	7,816
90	7	97	174	34	208	1,227
88	11	99	225	38	263	1,064
139	12	151	272	69	341	1,318
139	37	176	320	130	450	1,706
70	9	79	190	43	233	1,578
526	76	602	1,18	314	1,495	6,893

1	2	3	4	5	6
22	बिजनौर	1,926	36.80	15.20	26.80
23	मुरादाबाद	3,155	28.63	11.37	20.74
24	रामपुर	1,117	22.57	8.94	16.33
	मुरादाबाद संभाग	..	..	..	..
25	इलाहाबाद	3,781	41.95	13.60	28.61
26	फतेहपुर	1,573	38.68	12.48	26.43
27	कानपुर	3,791	52.89	32.73	43.73
28	फर्रुखाबाद	2,002	43.02	19.47	32.37
29	इटावा	1,747	48.69	24.02	37.49
	इलाहाबाद संभाग	..	..	..	..
30	जालौन	987	50.10	18.89	35.87
31	हमीरपुर	1,194	38.93	11.48	26.27
32	बांदा	1,536	35.58	8.53	23.04
33	ललितपुर	587	30.62	9.39	20.82
34	झांसी	1,133	50.33	21.02	36.71
	झांसी संभाग	..	..	..	..
35	आगरा	2,852	44.32	20.36	33.45
36	मैनपुरी	1,724	45.19	18.57	33.08
37	एटा	1,833	37.05	13.06	26.19
38	मथुरा	1,544	43.92	12.25	29.71
39	अलीगढ़	25,65	43.70	16.33	31.21
	आगरा संभाग	..	..	..	..
40	बुलन्दशहर	2,350	42.70	13.14	28.98
41	गाजियाबाद	1,867	49.28	21.70	36.7[illegible]
42	मेरठ	2,766	46.33	20.47	33.5[illegible]
43	मुजफ्फरनगर	2,288	39.97	17.21	29.3[illegible]
44	सहारनपुर	2,674	38.97	18.05	29.47
	मेरठ संभाग	..	..	..	..

7	8	9	10	11	12	13
65	16	81	121	85	206	1,153
109	34	143	210	70	280	1,888
45	14	59	76	16	92	718
219	64	283	407	171	573	3,759
180	31	211	395	81	476	1,838
78	7	85	147	55	202	989
148	36	184	393	168	561	2,199
111	18	129	345	87	432	1231
113	13	126	268	63	331	1,217
630	105	735	1548	454	2002	7,474
61	7	68	175	45	220	961
45	6	51	142	55	200	1,113
49	7	56	191	59	250	1,264
20	4	24	80	8	88	598
41	20	61	161	52	213	1028
216	44	260	752	219	971	4964
118	37	155	246	88	334	1361
73	8	81	303	66	369	1,396
83	10	93	284	33	317	1,152
97	15	112	141	52	193	1,147
121	26	147	269	63	332	1,463
492	96	588	1243	302	1,545	6,519
152	19	171	104	56	160	1,313
90	20	110	104	69	173	841
180	45	225	161	99	260	1558
98	23	121	147	76	223	1,269
92	25	117	159	97	256	1,510
612	132	744	675	397	1,072	6,491

1	2	3	4	5	6
45	बदायूं	1,964	22.94	7.49	16.03
46	शाहजहांपुर	1,649	30.03	10.81	21.56
47	बरेली	2,265	29.75	12.28	21.82
48	पीलीभीत	1,006	30.42	9.82	20.97
	बरेली संभाग	..	..	..	..
49	नैनीताल	1,133	46.96	27.27	37.48
50	अल्मोड़ा	773	58.43	21.14	38.90
51	पिथौरागढ़	486	56.44	20.41	37.98
	कुमायूं संभाग	..	..	..	..
52	पौड़ी गढ़वाल	624	48.05	27.12	41.90
53	टेहरी गढ़वाल	493	37.07	9.47	27.35
54	उत्तरकाशी	191	45.69	937	28.67
55	चमोली	364	57.34	18.63	37.60
56	देहरादून	757	60.69	41.41	52.02
	पौड़ी संभाग	..	..	..	..
	महायोग उ0प्र0	1,10,886	38.90	14.42	27.40

7	8	9	10	11	12	13
39	13	52	155	59	214	1,344
32	10	42	141	52	193	1,333
66	17	83	218	52	270	1,444
19	6	25	99	23	122	745
156	46	202	613	186	799	4,866
80	22	102	209	47	256	10,89
126	8	134	136	14	150	1,197
75	12	87	135	11	146	904
281	42	323	480	72	552	3,190
148	8	156	129	73	202	1,194
78	5	83	110	32	142	841
24	1	25	82	6	88	409
65	5	70	122	7	129	700
59	90	78	128	42	170	783
374	38	412	571	160	731	3927
4,822	832	5,654	11,261	3,353	14,614	72,959

* आंकड़े अस्थायी हैं ।

सारिणी

30 सितम्बर, 1984 को जिलेवार

क्रम-सं0	जनपद का नाम	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय		
		बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5
1	लखनऊ ..	60,116	39,976	1,00,092
2	सीतापुर ..	40,722	13,399	54,121
3	खीरी ..	32,885	10,091	42,976
4	हरदोई ..	43,094	9,963	53,057
5	उन्नाव ..	47,740	10,281	58,021
6	राय बरेली ..	43,598	10,057	53,655
	लखनऊ सम्भाग ..	2,68,155	93,767	3,61,922
7	प्रतापगढ़ ..	54,306	8,098	62,404
8	सुल्तानपुर ..	43,386	8,186	51,572
9	फैजाबाद ..	71,339	15,957	87,296
10	बाराबंकी ..	35,186	7,035	42,221
11	बहराइच ..	30,728	8,056	38,784
12	गोण्डा ..	47,639	9,951	57,590
	फैजाबाद सम्भाग ..	2,82,584	57,283	3,39867
13	बस्ती ..	74,228	85,59	82,787
14	गोरखपुर ..	1,06,793	73,375	14,41,68
15	देवरिया ..	9,73,89	13,366	1,10,755
16	आजमगढ़ ..	98,135	20,475	1,18,610
	गोरखपुर सम्भाग ..	3,76,545	79,775	4,56,320
17	बलिया ..	64,998	11,853	76,851
18	गाजीपुर ..	57,176	10,408	67,584
19	जौनपुर ..	1,06,261	24,918	1,31,179
20	वाराणसी ..	103,219	32,107	1,35,326
21	मिर्जापुर ..	45,858	12,500	58,358
	वाराणसी सम्भाग ..	37,7,512	91,786	4,69,298

19

संख्या के अनुसार छात्र संख्या (–)

सीनियर बेसिक स्कूल			जूनियर बेसिक स्कूल		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
6	7	8	9	10	11
26,796	9,993	36,789	1,33,853	76,524	2,10,377
36,546	6,583	43,129	1,34,664	72,214	2,11,878
23,135	4,490	27,625	1,33,130	60,285	1,93,415
44,183	98,72	54,055	1,77,050	73,003	2,50,053
25,205	6,292	31,497	1,35,957	65,357	2 01,314
31,387	8,230	39,617	1,45,910	72,584	2,18,494
1,87,252	45,460	2,32,712	8,65,514	4,19,967	12,85,481
27,046	6,609	33,655	1,54,410	50,068	2,04,478
46,522	6,025	46,547	1,83,733	71,660	2,55,393
23,875	6,991	30,866	1,70,377	72,725	2,43,102
23,117	6,073	29,190	1,49,706	59,037	2,08,743
19,775	6,315	26,096	147,126	51,286	1,98,412
16,910	8,070	24,980	1,64,864	5 ,410	2,23,274
151245	40083	191328	970216	363186	1333402
34,767	5,667	40,434	2,75,686	76,332	3,52,018
40,698	12,551	53,249	2,33,284	1,00,453	3,38,737
50,029	8,959	58,988	2,28,834	1,02,734	3,31,568
37,561	10,320	47,881	2,36,750	96,481	3,33,231
1,63,055	37,497	2,70,552	9,74,554	3,76,000	13,50,554
30,113	9,846	39,959	1,41,581	70,735	2,12,316
34,176	7,391	41,567	1,55,972	74,329	2,30,301
30,537	8,587	39,124	2,10,760	96,170	3,06,930
79,533	28,959	1,08,492	2,31,167	1,10,854	3,42,021
31,860	12,865	44,725	1,33,758	68,126	2,01,884
2,06,219	67,648	2,73,867	8,73,238	4,20,214	12,93,452

1	2	3	4	5
22	बिजनौर ..	54,457	17,494	71,951
23	मुरादाबाद ..	75,220	30,311	1,05,531
24	रामपुर ..	22,630	8,432	31,112
	मुरादाबाद सम्भाग ..	1,52,307	56,287	2,08,594
25	इलाहाबाद ..	1,21,574	36,494	1,58,068
26	फतेहपुर ..	41,783	9,627	51,410
27	कानपुर ..	124,425	49,693	1,74,118
28	फर्रुखाबाद ..	73,234	21,885	95,119
29	इटावा ..	65,470	19,993	85,463
	इलाहाबाद सम्भाग	4,26,486	1,37,692	5,64,178
30	जालौन ..	46,378	11,518	57,896
31	हमीरपुर ..	30,643	10,286	40,929
32	बांदा ..	36,894	17,853	54,747
33	ललितपुर ..	10,480	8,467	18,947
34	झांसी .	27,204	17,294	54,498
	झांसी सम्भाग ..	1,51,599	65,418	2,17,017
35	आगरा ..	80,495	44,023	1,24,518
36	मैनपुरी ..	60,112	14,669	74,781
37	एटा ..	53,854	12,987	66,841
38	मथुरा ..	66,638	14,639	81,277
39	अलीगढ़ ..	93,033	26,404	1,19,437
	आगरा सम्भाग ..	3,54,132	1,12,722	4,66,854
40	बुलन्दशहर ..	96,348	27,625	1,23,973
41	गाजियाबाद ..	80,684	26,606	1,07,290
42	मेरठ ..	1,10,163	37,543	1,47,706
43	मुजफ्फरनगर ..	73,144	24,606	97,750
44	सहारनपुर ..	91,027	35,902	1,21,929
	मेरठ सम्भाग ..	4,51,366	1,47,282	5,98,648

6	7	8	9	10	11
29,123	12,645	41,768	1,27,216	54,946	1,82,162
37,352	10,663	48,015	2,02,417	77,763	2,80,180
10,144	3,007	13,151	75,238	32,699	1,07,937
76,619	26,315	1,02,934	4,04,871	1,65,408	5,70,279
45,195	14,527	59,722	2,06,288	95,788	3,02,076
43,161	9,392	52,553	1,21,371	62,444	1,83,815
96,926	52,529	1,49,455	2,34,250	1,55,810	3,90,060
31,409	10,825	42,234	1,49,290	80,512	2,29,802
42,771	13,796	56,567	1,61,185	98,791	2,59,976
2,52,462	1,01,069	3,60,531	8,72,384	493,345	13,65,729
17,689	5,079	22,768	89,200	46,690	1,35,890
14,254	4,401	18,655	93,392	39,959	1,33,351
19,046	5,356	24,402	1,16,225	51,647	1,67,872
6,145	1,761	7,906	96,650	24,365	1,21,015
31,189	13,960	45,149	1,05,162	54,153	1,59,315
88,323	30,557	1,18,880	5,00,629	2,16,814	7,17,443
31,263	12,537	43,800	1,66,128	75,701	2,41,829
30,539	9,378	39,917	1,45,339	75,261	2,20,600
39,582	12,321	51,903	1,40,241	53,306	1,93,547
17,216	9,124	26,340	1,20,358	56,957	1,77,315
39,717	10,888	50,605	1,88,516	82,455	2,70,971
1,58,317	54,248	2,12,565	7,60,582	3,43,680	11,04,262
15,388	10,507	25,895	1,46,539	61,573	2,08,112
18,423	7,117	27,540	1,02,970	50,247	1,53,217
39,690	17,530	57,220	1,46,563	79,271	2,25,834
34,318	9,461	43,779	1,62,765	72,640	2,35,405
55,346	20,385	75,731	1,36,170	98,094	2,34,264
1,63,165	65,000	2,28,165	6,95,007	3,61,825	10,56,832

1	2	3	4	5
45	बदायूं	34,976	11,158	46,134
46	शाहजहांपुर	29,567	11,431	40,998
47	बरेली	53,268	26,958	80,226
48	पीलीभीत	24,122	6,008	30,130
	बरेली सम्भाग	1,41,933	555,55	1,97,488
49	नैनीताल	40,294	20,859	61,153
50	अल्मोड़ा	43,093	10,381	53,474
51	पिथौरागढ़	28,263	8,024	36,287
	कुमायूं सम्भाग	1,11,650	39,264	1,50,914
52	पौड़ी गढ़वाल	38,925	12,038	50,963
53	टेहरी गढ़वाल	25,127	5,639	30,766
54	उत्तर काशी	15,023	4,149	19,172
55	चमोली	23,993	6,285	30278
56	देहरादून	35,555	23,289	58,944
	पौड़ी गढ़वाल सम्भाग	1,38,623	51,400	1,90,023
	महायोग, उत्तर प्रदेश	32,32,892	9,88231	42,21,12,316

*आंकड़ें अस्थायी हैं।

6	7	8	9	10	11
15,618	4,302	19,920	1,36,200	60,175	1,96,375
26,913	6,815	33,728	1,19,324	53,796	1,73,120
26,520	8,588	35,108	1,45,464	66,620	2,12,084
15,480	4,893	20,373	78,444	40,911	1,19,355
84,531	24,598	1,09,129	4,79,432	2,21,502	700,934
22,592	8,801	31,393	99,166	46,482	1,45,648
11,278	3,738	15,016	81,223	55,791	1,37,014
9,300	3,636	12,936	62,058	38,620	1,00,678
43,170	16,175	53,345	2,42,447	1,40,893	3,83,340
10,723	4,319	15,042	69,726	52,897	1,22,623
10,834	2,986	13,820	50,435	25,936	76,371
6,587	1,620	8,207	33,391	21,511	54,902
12,110	4,252	16,362	47,489	32,968	80,457
12,123	6,996	19,119	65,217	47,264	1,12,481
52,377	20,173	72,550	2,66,258	1,80,576	4,46,734
33,735	5,28,823	21,62,558	79,05,132	37,03,410	1,16,08,542

सारिणी–20

30 सितम्बर, 1984 को जिलेवार संस्थानुसार अध्यापक संख्या

क्रम-सं0	जनपद का नाम	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में			सीनियर बेसिक स्कूल में			जूनियर बेसिक स्कूल में		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	लखनऊ ..	2172	1535	3707	1268	640	1908	2747	2057	480
2	सीतापुर ..	968	325	1293	1097	258	1355	3583	656	4239
3	खीरी ..	864	202	1066	805	188	993	3611	605	4216
4	हरदोई ..	1005	259	1264	1241	276	1517	4074	611	4685
5	उन्नाव ..	1227	204	1431	1161	238	1399	3450	519	3969
6	रायबरेली ..	1059	185	1244	1160	186	1346	4155	547	4702
	लखनऊ संभाग ..	7295	2710	10005	6732	1786	8518	21620	4995	26615
7	प्रतापगढ़ ..	1512	129	1641	1036	113	1149	3866	489	4355
8	सुल्तानपुर ..	1452	163	1615	1268	194	1462	4719	611	5330
9	फैजाबाद ..	2389	447	2836	1550	203	1758	5437	760	6197
10	बाराबंकी ..	730	142	872	817	278	1095	3783	756	5539

11	बहराइच ..	718	182	900	789	148	937	4016	522	4539
12	गोंडा ..	1484	236	1720	1015	340	1355	5495	1082	6577
	फैजाबाद संभाग ..	8285	1299	9584	6475	1281	7756	27316	4220	31536
13	बस्ती ..	2,624	213	2,837	938	200	1,138	6,810	818	7,628
14	गोरखपुर ..	3,671	621	4,292	2,159	341	2,500	6,565	873	7,438
15	देवरिया ..	4,041	241	4,282	2,104	277	2,381	5,780	1,134	6,914
16	आजमगढ़ ..	3,285	358	3,643	1,746	354	2,100	6,975	1,134	8,109
	गोरखपुर संभाग ..	13,621	1,433	15,054	6,947	1,172	8,119	26,130	3,959	30,089
17	बलिया ..	2,124	202	2,326	847	200	1,047	3,914	652	4,566
18	गाजीपुर ..	1,996	218	2,214	1,448	174	1,622	3,851	663	4,514
19	जौनपुर ..	2,744	192	2,936	1,413	585	1,998	5,515	972	6,487
20	वाराणसी ..	3,290	824	4,114	2,983	724	3,707	6,489	1,491	7,980
21	मिर्जापुर ..	1,207	239	1,446	1,091	72	1,163	3,635	557	4,192
	वाराणसी संभाग ..	11,361	1,675	13,036	7,782	1,755	9,537	23,404	4,335	27,739
22	बिजनौर ..	1,474	418	1,892	590	273	863	3,788	1,229	5,017
23	मुरादाबाद ..	2,010	651	2,661	893	411	1,304	5,374	1,288	6,662
24	रामपुर ..	547	250	797	296	130	426	1,580	345	1,925
	मुरादाबाद संभाग ..	4,031	1,319	5,350	1,779	814	2,593	10,742	2,862	12,604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	इलाहाबाद ..	3,647	1,207	4,854	2,246	469	2,715	6,030	1,646	7,676
26	फतेहपुर ..	1,378	170	1,548	856	198	1,054	3,227	549	3,776
27	कानपुर ..	3,558	1,197	4,755	2,462	896	3,358	60,33	2,578	8,611
28	फर्रुखाबादा ..	2,061	396	2,457	1,764	210	1,974	4,097	792	4,889
29	इटावा ..	2,236	321	2,557	1,698	341	2,039	3,969	376	3,345
	इलाहाबाद संभाग ..	12,880	3,291	16,171	9,026	2,114.	11,140	23,356	5,941	29,297
30	जालौन ..	1,204	204	1,408	684	80	764	2,180	425	2,605
31	हमीरपुर ..	767	182	949	677	99	776	2,501	428	2,929
32	बांदा ..	976	203	1,179	890	205	1,095	3,212	414	3,626
33	ललितपुर ..	260	146	406	248	30	278	996	108	1,104
34	झांसी ..	1,034	506	1,540	703	210	913	2,235	707	2,942
	झांसी संभाग	4,241	1,241	5,482	32,02	624	3,826	11,124	2,082	13,206
35	आगरा ..	2,309	1,080	3,389	1,510	610	2,120	3,940	1,347	5,187
36	मैनपुरी ..	1,677	308	1,985	1,029	270	1,299	3,530	587	4,117
37	एटा ..	1,546	281	1,827	931	269	1,200	3,920	591	4,511

38	मथुरा	..	1,962	367	2,329	704	179	883	3,193	634	3,827
39	अलीगढ़	..	2,887	612	3,499	1,206	257	1,463	4,527	1,048	5,575
	आगरा संभाग	..	10,381	2,648	13,029	5,380	1,585	6,965	19,010	4,207	2,3217
40	बुलन्दशहर	..	3,172	457	3,629	452	183	635	4,115	712	48,27
41	गाजियाबाद	..	2,462	700	3,162	674	446	1,120	2,000	1,233	3,233
42	मेरठ	..	4,069	910	4,979	1,089	460	1,549	4,915	1,309	6,224
43	मुजफ्फरनगर	..	2,132	526	2,658	807	244	1,051	4,031	958	4,989
44	सहारनपुर	..	2,862	672	3,534	1,673	504	2,177	7,031	1,764	8,795
	मेरठ संभाग	..	14,697	3,265	17,962	4,695	1,837	6,532	22,092	5,976	28,068
45	बदायूं	..	824	316	1140	804	211	1,015	3,258	648	3,906
46	शाहजहांपुर	..	660	317	977	901	224	1,125	2,925	622	3,547
47	बरेली	..	1,428	569	2,017	1,068	307	1,375	3,800	1,405	5,205
48	पीलीभीत	..	434	156	590	439	148	587	1,734	395	2,129
	बरेली संभाग	..	3,346	1,378	4,724	3,212	890	4,102	11,717	3,070	14,787

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	नैनीताल ..	1,427	551	1978	861	428	1289	2161	867	3028
50	अल्मोड़ा ..	1,764	244	2008	653	82	735	2501	607	3108
51	पिथौरागढ़ ..	1,129	192	1321	624	44	668	1256	695	1951
	कुमायूं संभाग ..	4,320	987	5307	2138	554	2692	5918	2169	8087
52	पौड़ी गढ़वाल ..	1,886	239	2,125	687	187	874	1,811	886	2,697
53	टिहरी गढ़वाल ..	928	128	1,056	486	67	553	1,099	305	1,404
54	उत्तरकाशी ..	422	85	507	306	31	337	447	87	528
55	चमोली ..	1,001	128	1,129	507	35	542	1,024	437	1,461
56	देहरादून ..	974	779	1,753	621	325	946	1,947	620	2,567
	पौड़ी संभाग ..	5,211	1,359	6,570	2,607	645	3252	6,328	2,329	8,657
	महायोग उ० प्र० ..	99,669	22,605	1,22,274	59,975	15,057	75,032	2,08,757	46,145	2,54,902

*आंकड़े अस्थाई हैं।

सारिणी—21

जिलेवार महाविद्यालय छात्र संख्या एवं अध्यापक संख्या

(30 सितम्बर 1984 की स्थिति के अनुसार)

क्रम-सं0	जनपद का नाम	विश्वविद्यालय का नाम जिससे महाविद्यालय सम्बद्ध है	महाविद्यालयों की संख्या	छात्र संख्या	अध्यापक संख्या
1	2	3	4	5	6
1	लखनऊ	लखनऊ विश्वविद्यालय	19	27,344	766
2	सीतापुर	कानपुर विश्वविद्यालय	5	1956	67
3	खीरी	तदैव	3	3,039	81
4	हरदोई	तदैव	3	2,119	62
5	उन्नाव	तदैव	2	4,470	75
6	रायबरेली	तदैव	6	2,881	131
		लखनऊ संभाग ..	38	41,809	1,182
7	प्रतापगढ़	अवध विश्वविद्यालय	7	3,483	135
8	सुल्तानपुर	तदैव	7	4,467	133
9	फैजाबाद	तदैव	6	8,575	216
10	बाराबंकी	तदैव	2	772	25
11	बहराइच	तदैव	3	1,619	63
12	गोण्डा	तदैव	3	2,847	148
		फैजाबाद संभाग ..	28	21,763	720
13	बस्ती	गोरखपुर विश्वविद्यालय	8	7,043	191
14	गोरखपुर	तदैव	13	10,764	321
15	देवरिया	तदैव	11	16,009	373
16	आजमगढ़	तदैव	14	13,002	410
		गोरखपुर संभाग ..	46	46,818	1,295
17	बलिया	गोरखपुर विश्वविद्यालय	11	11,597	277
18	गाजीपुर	तदैव	9	7,618	206
19	जौनपुर	तदैव	14	12,294	426
20	वाराणसी	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय	19	16,989	581
21	मिर्जापुर	गोरखपुर विश्वविद्यालय	5	5,048	125
		वाराणसी संभाग ..	58	53,546	1,615

1	2	3	4	5	6
22	बिजनौर	रूहेल खण्ड विश्व-विद्यालय ।	6	4,439	194
23	मुरादाबाद	तदैव	11	11,119	412
24	रामपुर	तदैव	2	1,592	110
		मुरादाबाद संभाग ..	19	17,150	716
25	इलाहाबाद	इलाहाबाद विश्व-विद्यालय	16	16,784	530
26	फतेहपुर	कानपुर विश्वविद्यालय	2	1,022	28
27	कानपुर	तदैव	22	34,408	1,120
28	फर्रुखाबाद	तदैव	9	5,829	156
29	इटावा	तदैव	6	6,639	203
		इलाहाबाद संभाग ..	55	64,682	2,037
30	जालौन	बुन्देलखंड विश्वविद्यालय	5	4,263	143
31	हमीरपुर	तदैव	4	1,885	94
32	बांदा	तदैव	4	3,197	141
33	ललितपुर	तदैव	2	491	24
34	झांसी	तदैव	4	7,169	135
		झांसी संभाग ..	19	17,005	537
35	आगरा**	आगरा विश्वविद्यालय	11	17,895	673
36	मैनपुरी	तदैव	07	5,224	184
37	एटा	तदैव	05	3,826	135
38	मथुरा	तदैव	07	50,53	223
39	अलीगढ़	तदैव	06	10,383	393
		आगरा संभाग ..	36	42,381	1,608
40	बुलन्दशहर	मेरठ विश्वविद्यालय	10	5,758	269
41	गाजियाबाद	तदैव	13	11,192	520
42	मेरठ	तदैव	17	16,987	789
43	मुजफ्फरनगर	तदैव	9	67,26	305
44	सहारनपुर	तदैव	11	86'79	330
		मेरठ संभाग ..	60	49,342	2,213

1	2	3	4	5	6
45	बदायूं	रूहेलखंड विश्वविद्यालय	3	1,412	43
46	शाहजहांपुर	तदैव	3	1,910	65
47	बरेली	तदैव	5	9,294	246
48	पीलीभीत	तदैव	2	906	31
		बरेली संभाग	13	13,522	385
49	नैनीताल	कुमायूं विश्वविद्यालय	4	3,349	125
50	अल्मोड़ा	तदैव	5	658	60
51	पिथौरागढ़	तदैव	4	1,459	111
		कुमायूं संभाग ..	13	5,466	296
52	पौड़ी गढ़वाल	गढ़वाल विश्वविद्यालय	4	1,215	87
53	टिहरी गढ़वाल	तदैव	1	40	5
54	उत्तरकाशी	तदैव	1	489	41
55	चमोली	तदैव	3	1,818	77
56	देहरादून	तदैव	7	8,888	355
		पौड़ी संभाग ..	16	11,950	565
		महायोग उत्तर प्रदेश ..	401	3,85,434	13,169

** आगरा के दो कालेज विश्वविद्यालय मानी गई संस्था "दयाल बाग एजूकेशनल" इन्सटीट्यूट में सम्मिलित कर दिये गये हैं।

वाराणसी में चार कालेज बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है शेष 15 गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अन्तर्गत तीन टिटोरियल कालेज जो वास्तव में छात्रावास हैं इसमें सम्मिलित नहीं किये गये हैं।

*आंकड़े अस्थायी हैं।

सारिणी—22

(अ) केन्द्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1984–85 में संचालित प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का विवरण

क्रम-संख्या	जनपद का नाम	संचालित केन्द्र	पुरुष केन्द्र	महिला केन्द्र	मिश्रित केन्द्र	कुल पूंजी प्रतिभागी	पुरुष प्रतिभागी
1	2	3	4	5	6	7	8
	(क) पश्चिमी प्रखण्ड						
1	सहारनपुर ..	300	138	162	..	9006	4144
2	मेरठ ..	300	143	157	..	9042	4297
3	बरेली	300	135	165	..	9000	4050
4	रामपुर ..	300	150	150	..	8831	4449
5	बदायूं ..	300	157	143	..	9000	4710
6	आगरा ..	170	..	170	..	5100	..
7	मैनपुरी ..	300	..	300	..	9020	..
8	बुलन्दशहर ..	300	120	180	..	9000	3600
9	मथुरा ..	300	120	176	4	9000	3670
10	इटावा ..	300	146	153	1	8971	4398
11	शाहजहांपुर ..	300	164	124	12	9002	5205
12	पीलीभीत ..	300	198	102	..	9757	5940
13	बिजनौर ..	200	119	181	..	9000	3570
14	एटा ..	300	72	228	..	9014	2447
15	गाजियाबाद ..	300	..	300	..	9768	..
16	मुरादाबाद ..	300	190	110	..	9041	5724
17	अलीगढ़ ..	300	..	300	..	9047	..
18	मुजफ्फरनगर ..	300	100	200	..	9221	3106
19	फर्रुखाबाद ..	300	126	172	2	9000	3779
	प्रखण्ड योग	5570	2078	3473	19	168821	63089
	(ख) बुन्देलखण्ड प्रखण्ड—						
20	बांदा ..	300	148	138	14	9000	4735
21	झांसी ..	300	116	176	8	9022	3601
22	जालौन ..	300	150	150	..	9156	3491
23	ललितपुर ..	300	120	180	..	8897	3530
	प्रखण्ड योग ..	1200	534	644	22	36075	16357

(माह सितम्बर 1984)

महिला प्रति 0	अनुसूचित/जनजाति			पिछड़ी जाति		
	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
9	10	11	12	13	14	15
4862	1613	1745	3358	1771	1379	3183
4746	1729	1291	3020	1644	1539	3183
4950	844	872	1716	2303	3178	5481
4382	1737	1610	3347	2077	1860	3937
4290	2003	1429	3432	2158	2145	4303
5100	..	1700	1700	..	3400	3400
9020	..	2836	2836	..	4953	4953
5400	1491	1746	3237	1113	1611	2724
5330	1707	1821	3528	1669	1072	2741
4573	1755	1423	3178	2228	2475	4703
3797	1351	841	2192	3101	1857	4958
3817	1668	1336	3004	3940	1980	5920
5430	1540	2417	3957	1493	1663	3156
6567	796	2271	3063	1353	3239	4592
9768	..	3198	3197	..	3131	3131
3317	2140	1143	3283	2344	1133	3477
9047	..	2323	2323	..	2065	2065
6115	1152	2101	3253	876	1685	2561
5221	1245	1606	2851	2074	2600	4674
105732	22771	33709	56480	30144	42965	73109
ज0जा0	30		30			
4265	1363	854	2217	2202	1683	3885
ज0जा0	302	274	576			
5421	1491	1847	3338	1904	2926	4830
4665	1756	1677	9433	2127	1992	2119
5367	1329	1555	2884	1857	2744	4601
ज0जा0	42	8	50			
19718	5939	5933	11872	8090	9345	17435
ज0जा0	344	282	626			

1	2	3	4	5	6	7	8
(ग)	केन्द्रीय प्रखण्ड—						
24	कानपुर ..	300	120	180	..	9000	3600
25	लखनऊ (मोहन लालगंज)	300	..	143	157	9880	3041
26	रायबरेली ..	300	179	115	6	9088	5550
27	सीतापुर ..	300	17	103	180	9132	2297
28	लखीमपुर-खीरी	300	111	189	..	9000	3300
29	फतेहपुर ..	300	89	210	1	9000	2688
30	हरदोई ..	300	134	121	45	9445	5152
	प्रखण्ड योग ..	2100	650	1061	389	64545	28628
(घ)	पूर्वी प्रखण्ड—						
31	बहराइच ..	300	43	68	189	9000	3965
32	फैजाबाद ..	300	122	125	53	9012	4484
33	प्रतापगढ़ ..	300	74	154	72	9000	3324
34	देवरिया ..	300	121	134	45	9000	4091
35	बस्ती ..	298	143	150	5	8940	4383
36	आजमगढ़ ..	300	130	170	..	9000	3930
37	गाजीपुर ..	300	133	163	4	8996	4053
38	वाराणसी ..	300	104	196	..	9000	3120
39	मिर्जापुर ..	300	101	174	25	9069	3567
40	इलाहाबाद ..	300	79	193	28	9000	2941
41	गोण्डा ..	203	151	52	..	6090	4530
42	जौनपुर ..	300	90	210	..	9000	2700
43	बलिया ..	300	96	204	..	9000	2880
44	गोरखपुर ..	300	194	106	..	9000	5620
	प्रखण्ड योग ..	4101	1581	2099	421	13107	53788

9	10	11	12	13	14	15
5400	1652	1920	3672	1654	2359	4013
6839	2280	4665	6945	673	1896	2569
3538	2365	1148	3513	2627	1588	4215
5835	1339	1895	3234	1527	3008	4535
5700	1572	2269	3841	1237	2064	3301
ज0जा0	1	..	1			
6312	940	1408	2348	1403	3576	4979
4293	1755	1128	2883	2710	2544	5254
ज0जा0	12	4	16			
37917	11903	14433	26336	11831	17035	28866
ज0जा0	13	4	17			
5035	1251	1519	2770	3005	2472	4477
4528	2060	2385	4445	2039	1751	3990
5676	1547	2073	3620	1448	2468	3916
4909	1566	1788	3354	2098	2264	4362
4557	1525	1821	3346	2118	1884	4002
5070	1368	1686	3054	2207	2338	4545
4944	1009	1627	2636	2834	2948	5782
5880	1028	1232	2260	1728	3180	4908
5502	1958	2363	4321	1493	2710	4203
ज0जा0	5	20	25			
6059	1478	2352	3830	1261	2789	4050
ज0जा0	..	32	32			
1560	876	302	1178	1359	438	1827
6300	1387	2702	4089	1089	2782	3871
6120	940	1560	2500	1735	3805	5540
3180	2048	801	2849	2996	1607	4603
69319	20041	24211	44952	26410	33466	59876
ज0जा0	5	52	57			

1	2	3	4	5	6	7	8
(ङ)	पर्वतीय प्रखण्ड						
45	अल्मोड़ा ..	300	..	300	..	9107	979
46	बैनीताल (रूद्रपुर)	300	99	156	45	8712	3830
47	पौड़ी गढ़वाल ..	300	..	277	23	9000	630
48	टिहरी-गढ़वाल	300	..	300	..	9005	259
49	देहरादून ..	239	41	170	28	7211	1653
50	पिथौरागढ़ ..	300	..	300	..	8975	356
51	चमोली ..	300	..	300	..	9000	447
52	उत्तरकाशी ..	300	26	132	142	9000	3157
	प्रखण्ड योग ..	2339	166	1935	238	70010	11311
	(अ) केन्द्रीय योग	15310	5009	9212	1089	462558	171173
(ब)	राज्य कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1984–85 में संचालित प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का विवरण						
1	सुल्तानपुर ..	300	72	154	74	9000	3298
2	बारांवकी ..	300	101	155	44	9000	3941
3	लखनऊ (काकोरी)	300	57	109	134	9849	4106
4	उन्नाव ..	300	110	179	11	8944	3490
5	फर्रुखाबाद ..	300	106	194	..	9000	3180
6	गोण्डा ..	250	..	250	..	9875	..
7	मुजफ्फरनगर ..	300	150	150	..	9000	4500
8	गोरखपुर ..	300	38	69	193	9000	3655
9	अलीगढ़ ..	300	..	300	..	7719	..
10	हरदोई ..	300	23	104	193	10066	3302
11	मुरादाबाद ..	300	229	71	..	9123	6978
12	फतेहपुर ..	300	144	156	..	9000	4320
13	नैनीताल (ओखल-कांडा)	100	..	54	46	2695	453
14	हमीरपुर ..	300	147	153	..	9000	4410
(ब)	राज्य स्तरीय योग ..	3950	1177	2098	675	118271	45613
	महा योग (अ+ब)	19260	6186	21310	1764	580829	216786

9	10	11	12	13	14	15
8128	280	1674	1954	7	67	74
ज0 जा0	22	162	184	..		
4882	601	1344	1945	740	823	1563
ज0 जा0	1664	1304	2968			
8370	191	1162	1353	5	45	50
ज0 जा0		32	32			
8746	53	456	509	..	..	..
5558	342	1018	1360	471	1661	2132
ज0 जा0	289	484	773			
8619	185	2782	2967	5	25	30
ज0 जा0	..	5	25			
8553	117	1614	1731	5	25	30
ज0 जा0	14	266	280			
5843	1184	1995	3179	..	..	..
58699	2953	12045	14998	1233	2646	3879
ज0 जा0	1989	2273	4262	..	..	..
291385	63607	90331	153938	77708	105457	183165
ज0 जा0	2381	2611	4992	..	..	..
माह सितम्बर, 1984						
5702	1707	2888	4685	1240	2055	3295
5059	1890	2208	4098	1771	2449	4220
5743	1913	2278	4291	1836	2391	4227
5454	1458	2296	3754	1734	2435	4169
5820	1605	2931	4536	917	1658	2575
6875	..	6365	6365	..	210	210
4500	1410	2460	4870	1280	900	2180
5365	2000	2672	4672	1359	2273	3632
7719	..	2235	2235	..	2047	2047
6764	1701	3310	5011	1401	2639	4040
2145	3593	970	4563	1980	576	2556
4680	2007	2232	4239	1914	1821	3735
2242	361	923	1284	..	18	18
4590	2108	1783	3891	2056	1947	4003
72658	22843	36051	58894	17488	23419	40907
364043	86450	126382	212832	95196	128874	224072
ज0 जा0	2381	2611	4992	..	..	..

सारिणी–23

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम

मण्डल का नाम	जनपद का नाम	प्राइमरी स्तर (छात्र संख्या 9-II वय वर्ग)			
		केन्द्र संख्या	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6
1—मेरठ	1—मेरठ	500	6833	3608	10441
	2—सहारनपुर	400	4445	1819	6264
	3—मुजफ्फर नगर	500	6218	2700	8918
	4—गाजियाबाद	400	6132	2433	8565
	5—बुलन्दशहर	350	5123	3547	8670
	योग ..	2150	28751	14107	42858
2—आगरा	6—आगरा	500	5995	3760	9755
	7—मथुरा	400	5002	3317	8319
	8—मैनपुरी	400	6425	3930	10335
	9—अलीगढ़	500	6990	3977	10967
	10—एटा	400	6774	3898	10672
	योग ..	2200	31186	18882	50068
3—बरेली	11—बरेली	350	5842	3572	9414
	12—बदायूं	400	6833	2073	8906
	13—शाहजहांपुर	300	5779	3139	8918
	14—पीलीभीत	500	5798	2010	7808
	योग ..	1550	24252	10794	35046
4—इलाहाबाद	15—इलाहाबाद	400	5746	4167	9913
	16—फतेहपुर	500	6033	4109	10142
	17—फर्रुखाबाद	400	6579	3125	9704
	18—कानपुर	500	6315	4242	10557
	19—इटावा	500	6355	3763	10118
	योग ..	2300	31028	19406	50434

सारिणी–23–क्रमश :

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम

मिडिल स्तर (छात्र संख्या 11–14 वय वर्ग)

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	केन्द्र ख्या	बालक	बालिका	योग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति
7	8	9	10	11	12	13	14
3247	..	75	1559	725	2284	482	..
1718	..	75	535	271	806	288	..
2590	..	75	1071	374	1445	434	..
2408	..	75	10405	223	1638	321	..
3219	..	75	994	881	1875	559	..
13182	..	375	5564	2474	8038	2084	..
3173	..	74	1221	498	1719	412	..
2201	..	75	1383	218	1601	235	..
2225	..	75	1453	432	1885	474	..
2235	..	74	970	217	1187	190	..
2641	9	75	1413	476	1889	312	..
12475	9	373	6440	1841	8281	1623	..
2302	..	75	1266	280	1546	201	..
1863	..	75	1266	213	1479	151	..
2510	..	75	1306	583	1889	461	..
1497	..	70	990	447	1437	275	..
8172	..	295	4828	1523	6351	1088	..
4252	..	75	1248	357	1605	500	..
4114	..	75	1467	456	1923	462	..
2704	..	75	1301	484	1785	461	..
3771	..	75	1299	419	1718	483	..
3602	..	75	1549	205	1754	638	..
18443	..	375	6864	1921	8785	2564	..

1	2	3	4	5	6
5—लखनऊ	20—लखनऊ		400	5308	2756	8064
	21—सीतापुर		400	7637	3516	11153
	22—लखीमपुर खीरी		496	7236	2654	9890
	23—हरदोई		400	5900	5921	11821
	24—उन्नाव		400	6163	3633	9796
	25—रायबरेली		490	6279	4394	10673
		योग ..	2606	38523	22874	61397
6—वाराणसी	26—वाराणसी		327	4722	2297	7019
	27—मिर्जापुर		400	7083	2680	9763
	28—जौनपुर		348	4857	3993	8850
	29—गाजीपुर		400	5458	4562	10020
	30—बलिया	..	500	642	4133	1075
		योग ..	1995	28162	17665	43827
7—गोरखपुर	31—गोरखपुर		350	5385	3383	8768
	32—देवरिया		400	7224	2540	9764
	33—बस्ती		350	5828	8870	8698
	34—आजमगढ़		397	5594	4588	10182
		योग ..	1497	24031	19381	43412
8—फैजाबाद	35—फैजाबाद		400	5765	4379	10144
	36—बाराबंकी		500	6664	3492	10156
	37—प्रतापगढ़		400	5991	4009	10000
	38—गोण्डा		400	6328	3765	10153
	39—सुल्तानपुर		400	5385	4645	9880
	40—बहराइच		400	7600	3635	10235
		योग ..	2500	37593	22925	60518
9—झांसी	41—झांसी		400	6085	3642	9727
	42—जालौन		350	4606	3383	7989
	43—ललितपुर		378	7312	2125	9487
	44—हमीरपुर		400	5895	1957	7852
	45—बांदा		400	6031	2124	8155
		योग ..	1928	29921	13231	43220

7	8	9	10	11	12	13	14
3400	..	75	876	381	1257	320	..
3870	..	73	1055	346	1401	425	..
2846	311	72	670	224	894	243	..
4426	..	75	1055	397	1452	443	..
3585	..	75	1107	406	1513	468	..
4327	..	73	785	419	1204	468	..
22454	311	443	5548	2173	7721	2567	..
2065	..	71	1861	249	2100	275	..
740	..	75	928	221	1149	450	..
2878	..	74	1197	519	1716	451	..
988	..	75	1390	489	1870	568	..
3364	..	75	1095	749	1844	642	..
18835	..	370	6471	2227	8698	2386	..
2578	29	75	1050	273	1325	318	..
3135	..	75	1063	325	1688	354	..
2603	..	75	1477	388	1865	340	..
4610	..	75	2424	437	2861	562	..
11926	29	300	6314	1423	7737	1574	..
4022	..	75	1282	412	1695	440	..
3388	..	75	1101	298	1396	415	..
2742	..	75	1545	330	1875	306	..
2388	426	75	1428	394	2922	393	72
2647	..	75	1191	422	1613	375	..
2217	528	75	1125	750	1875	914	140
16404	954	450	1673	2705	10378	2843	212
3723	..	75	781	393	1174	484	..
3200	..	75	847	390	1237	548	..
2766	..	72	1216	673	1889	310	..
3090	..	75	1512	226	1738	370	..
16669	..	75	1198	399	1597	285	..
14445	..	372	5554	2281	7635	1995	..

1	2	3	4	5	6
10—मुरादाबाद	46—मुरादाबाद	400	6498	2163	8661
	47—रामपुर	300	4983	2963	7946
	48—बिजनौर	400	5797	4301	10098
	योग ..	1100	17278	9427	26705
11—नैनीताल	49—नैनीताल	300	4245	2342	6587
	50—अल्मोड़ा	288	685	1937	2622
	51—पिथौरागढ़	300	1878	1232	3110
	योग ..	898	6808	5511	12319
12—पौड़ी	52—पौड़ीगढ़वाल	300	1714	1860	3574
	53—उत्तरकाशी	300	1732	2344	4076
	54—चमोली	246	948	1051	1999
	55—टिहरी गढ़वाल	300	5882	2796	8678
	56—देहरादून	300	2376	2218	4594
	योग ..	1446	12652	10269	22921
	महायोग .	22105	297859	209658	507515

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 5 शिक्षा—21-5-85—(638)—1985—2,000(प्रो0)

7	8	9	10	11	12	13	14
2612	..	75	1394	421	7815	567	..
1941	..	60	690	379	1069	319	..
3783	14	75	1248	744	1992	599	..
8336	14	210	3332	1544	4876	1485	..
2251	1015	40	393	293	686	183	114
696	..	38	151	158	309	72	..
1074	187	40	453	342	795	321	37
4021	1202	118	997	793	1790	576	151
729	108	40	330	360	690	229	18
1105	30	40	275	162	435	162	..
378	256	18	70	85	155	14	22
2137	..	40	765	307	1072	131	..
848	1517	40	309	114	423	57	175
5289	1911	178	1749	1028	2775	555	215
154182	4400	3839	60354	21233	81583	21347	529

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No.....
Date.....